लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

Preservation 6-7-92
Fumigated On 9.1.84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 12 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/ CONTENTS

अंक 9—गुरुवार, 22 फरवरी, 1968/ 3 फाल्गुन, 1889 (शक)

No. 9—Thursday, February 22, 1968/ Phalguna 3, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या

*S.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
211.	दिल्ली दुग्ध योजना	Delhi Milk Scheme	1093—1094
227.	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बेचे जाने वाले दूध के मूल्यों में वृद्धि	Increase in prices of Milk by DMS	1094—1099
213.	संसदीय विशेषाधिकार	Parliamentary Privileges	1099—1102
214.	पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थी	Migrants form East Pakistan	1102—1104
215.	विदेशी तैल कम्पनियों में नौकरी की सुरक्षा	Job security in Foreign Oil Companies	1104—1108

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S.Q. Nos.

212.	पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात	Imports under P. L. 480	1108
216.	कार्मिक संघों के बीच प्रति-स्पर्धा	Trade Union Rivalry	1108—1109

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
217.	श्रीलंका से स्वदेश लौटे व्यक्तियों का पुनर्वास	Resettlement of Repatriates from Ceylon	1109
218.	निर्वाचन सम्बन्धी सुधार	Electrol Reforms	1109
219.	लम्बे रेशे वाली रुई के सम्बन्ध में अनुसंधान	Research on long Staple Cotton	1110
220.	व्यापारी फसलें बढ़ाना	Development of Commercial Crops	1110—1111
221.	चीनी का आयात	Import of Sugar	1111
222.	गोरक्षा-समिति का प्रतिवेदन	Cow Protection Committee's Report	1111
223.	जम्मू तथा काश्मीर में दायर की गई चुनाव याचिकायें	Election Petitions filed in Jammu and Kashmir.	1111—1112
224.	फसल उगाने की प्रणाली के संबंध में गोष्ठी	Symposium on Cropping Pattern	1112—1113
225.	खाद्य क्षेत्र	Food Zones	1113
226.	समुदाय विकास परियोजना का अभिनवीकरण	Reorientation of Community Developmet Projects	1113
228.	खाद्यान्नों के लिये राज-सहायता	Subsidy on Foodgrains	1113—1114
229.	खाद्यान्न का रक्षित भण्डार	Buffer Stock of Foodgrains	1114
230.	बैंकिंग उद्योग सम्बन्धी औद्योगिक समिति	Industrial Committee on Banking Industry	1115
231.	वसूली मूल्य निर्धारित किया जाना	Fixing of Procurement Prices	1115
232.	लौह तथा मैंगनीज कर्मचारी मजूरी—बोर्ड	Iron and Manganese Workers' Wage Board	1115—1116
233.	किसानों को प्रोत्साहन	Incentives to Farmers	1116
234.	परती भूमि में सहकारी खेती	Fallow Lands under Co-operative Farming	1116—1117
235.	खाद्य क्षेत्रों को समाप्त करना	Abolition of Food Zones	1117
236.	खरीफ के अनाजों का समाहार	Procurement of Kharif Cereals	1117—1118
237.	गन्ने के मूल्य	Prices of Sugarcane	1118
238.	हरियाना से मकई का बाहर भेजा जाना	Export of Maiz from Harayan	1118

ता० प्र० संख्या

S.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
239. स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों द्वारा हड़ताल	Strike by Local Dailies	1119
240. मजदूरों के लिये पेंशन योजना	Pension Scheme for Workers	1119

अता० प्रश्न संख्या

U.S.Q. Nos.

1516. नजफगढ़ नाला (दिल्ली) में जल के दूषित होने के कारण मछलियों की मृत्यु	Death of Fish due to Pollution of Najafgarh Nallah (Delhi)	1119—1120
1517. डाक तथा तार विभाग की प्रशुल्क युक्तिकरण समिति	Tariff Rationalisation Committee of Post and Telegraphs	1120
1518. डाक तथा तार विभाग की प्रशुल्क वैज्ञानिक समिति	Tariff Rationalisation Committee of P & T.	1120—1121
1519. रेलवे डाक सेवा के कार्यालयों का गंटाकल स्थानान्तरण	Transfer of R.M.S. Units to Guntakel	1121
1520. उड़ीसा में चीनी का वितरण	Distribution of Sugar in Orissa	1121
1521. उड़ीसा में तम्बाकू	Tobacco in Orissa	1121—1122
1522. रूसी ट्रैक्टरों का आयात	Import of Russian Tractors	1122
1523. कार्मिक संघों द्वारा हड़ताल	Strikes by Trade Unions	1122
1524. भारतीय संविधान का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद	Translation of the Constitution of India into Regional Languages	1123
1525. पश्चिमी बंगाल के पोस्ट मास्टर जनरल द्वारा दक्षिण वियतनाम सम्बन्धी पुस्तकों पर प्रतिबन्ध	Banning of Books on South Vietnam by P. M G., West Bengal	1123
1526. रूसी ट्रैक्टरों का आरक्षण	Reservation of Russian Tractors	1123 -1124
1527. डाक फार्मों की बिक्री	Sale of Postal Forms	1124
1528. भिवानी तहसील में अकाल सहायता कार्य	Famine Relief works in Bhiwani Tahsil	1124—1125
1529. भिवानी तहसील में नहरें खोदना	Digging of Canals in Bhiwani Tahsil	1125
1530. मछेरों को भूमि का आवंटन	Assignment of Land to Fishermen	1125

तारा० प्रश्न सं०

U.S.Q. Nos.

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1531.	खाद्यान्नों के मूल्य	Prices of Foodgrains	1125—1126
1532.	खाद्यान्नों के लिये राज-सहायता	Subsidy on Foodgrains	1126
1533.	दिल्ली दुग्ध योजना	Delhi Milk Scheme	1126—1127
1534.	सरकार के पास खाद्यान्नों का स्टाक	Stock of Foodgrains with Government	1127
1536.	खाद्यान्नों की तस्करी	Smuggling of Foodgrains	1127—1128
1537.	टेलीफोन के उपकरण बनाने का कारखाना	Plan for Maufacturing Telephone Equipment	1128
1538.	भारत में डाकघर	Post offices in India	1128—1129
1539.	दिल्ली में दुग्ध योजना द्वारा दूध की प्रगति	Milk Procurement by DMS	1129
1540.	सर्कस कर्मचारियों की माँगें	Demands of Circus Employees	1129—1130
1541.	सहकारी भंडार, नई दिल्ली	Co-operative store, New Delhi	1130
1542.	पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों के लिये पुनर्वास केन्द्र	Rehabilitation Centres for displaced persons from East Pakistan	1131
1543.	पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थी	Refugees from East Pakistan	1131—1132
1544.	हिन्दी के दूरमुद्रक (टेली-प्रिंटर)	Hindi Teleprinters	1132—1133
1545.	अनौपचारिक सलाहकार समिति के दिए गए सुझाव	Suggestions made at Informal Consultative Committee	1133
1546.	पुरुष/महिला कर्मचारियों के लिये मजूरी की दरें	Rates of Wages forMale and Female Workers	1133
1547.	पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर से विस्थापित हुए व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Displaced Persons from Pakistan occupied Kashmir	1133—1134
1549.	एग्रीकल्चर एसोसियेशन लिमिटेड	Agricultual Association Ltd.	1134
1550.	झाड़ासुगुडा (उड़ीसा) में रेलवे डाक-सेवा का डिवीजन	M. R. S. Division in Jharasuguda (Orissa)	1134—1135

अता० प्र० संख्या

U.S.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1551.	बीड़ी कर्मचारी	Bidi Workers	1135
1553.	मरुभूमि विकास बोर्ड	Desert Development Board	1135—1136
1554.	चावल का आयात	Import of Rice	1136—1137
1555.	भविष्य निधि के धन का विनियोजन	Investments of Provident Fund Money	1137
1556.	दिल्ली और बंगलौर के बीच सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था	Direct Dialling Between Delhi and Bangalore	1137—1138
1557.	बड़े नगरों में सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था	Direct Dialling in Big Cities	1138
1558.	संसद् सदस्य का किसी राज्य में मंत्री होना	M. P. as a Minister in a State	1138—1139
1559.	राज्य सहकारी बैंक	State Co-operative Banks	1139
1561.	त्यागराज नगर (नई दिल्ली) में दूध-वितरण केन्द्र	Milk Booth at Thyagraraj Nagar, New Delhi	1139—1140
1562.	केरल को चावल की सप्लाई	Rice Supply to Kerala	1140
1563.	आसाम में चावल मिल	Rice Mills in Assam	1140
1564.	पूर्निया जिला (बिहार) में पूर्वी बंगाल से आये हुए शरणार्थी	East Bengal Refugees in Purnea District (Bihar)	1140—1141
1565.	मजदूर संघ	Labour Unions	1141—1142
1566.	दिल्ली टेलीफोन सलाहकार समिति	Delhi Telephone Advisory Committee	1142
1567.	भुवनेश्वर में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र	Automatic Telephone Exchange in Bhubaneswar	1142
1568.	उड़ीसा में चावल तथा धान का वसूली-मूल्य	Procurement Price of Rice and Paddy in Orissa	1142—1143
1569.	उड़ीसा में मुख्य डाकघर	Head Post Offices in Orissa	1143
1570.	उड़ीसा में डाकघर, तारघर तथा सार्वजनिक टेलीफोन	Post Offices, Telegraph Offices and Public Call Offices in Orissa	1143—1144
1571.	कलकत्ता में भारतीय मछली क्रय विक्रय निगम द्वारा मछली की बिक्री	Fish sold by Fish Corporation India in Calcutta	1144

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1572.	पश्चिम बंगाल में सागर डाकघर में टेलीफोन	Telephone connections in Sagar Post Office (West Bengal)	1144
1573.	भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें	Conditions of service in F. C. I.	1144—1145
1574.	गेहूँ देने का हरियाना का प्रस्ताव	Haryana's Offer for supply of Wheat	1145
1575.	चीनी का उत्पादन	Sugar Production	1145
1576.	चीनी का उत्पादन	Sugar Production	1146
1577.	संसद् सदस्यों को डाक टिकट मुफ्त देने का प्रस्ताव	Free distribution of postage stamps to the Members	1146
1578.	भारत पाकिस्तान संघर्ष से पीड़ित लोगों का पुनर्वास	Rehabilitation of Victims of Indo-Pak. conflict	1146
1579.	चंडीगढ़ में टेलीफोन	Telephone connections at Chandigarh	1146—1147
1580.	चीनी के उत्पादन की लागत	Cost of Sugar Production	1147—1148
1581.	केरल में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण	Construction of Quarters for P & T Staff in Kerala	1148
1582.	बिहार में सामुदायिक विकास परियोजनायें	Community Development Projecs in Bihar	1148
1583.	उत्तर प्रदेश में शीतागार के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for a Cold Storage in U. P.	1148—1149
1584.	उत्तर प्रदेश में गोदाम	Godowns in U.P.	1149
1585.	नैपाल की सीमा के अन्दर भारतीय प्रक्षेत्र	Indian Farms within Nepal Boundary	1149—1150
1586.	समस्तीपुर चीनी मिल	Samastipur Sugar Mill	1150
1587.	उड़ीसा में चावल तथा धान के वसूली मूल्य	Procurement prices of rice and paddy in Orissa	1150
1588.	पश्चिम बंगाल के राशन में मिलने वालेखाद्यान्नों के दाम	Prices of Rationed Foodgrains in West Bengal	1150—1151 1151
1589.	सहकारी खेती	Co-operative Farming	
1590.	भूतपूर्व नरेशों तथा जागीरदारों की परती भूमि का अधिग्रहण	Acquisition of Fallow land of former Princes and Jagirdars	1151—1152

अता० प्र० संख्या

U.S.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1591.	खाद्यान्नों के मूल्य	Prices of Foodgrains	1152
1592.	बिहार को चावल की सप्लाई	Rice Supply to Bihar	1152
1593.	एर्णाकुलम में डाकघर के लिये इमारत	Building for Post Office at Ernakulam	1153
1594.	वकील परिषद् की परीक्षायें	Bar Council Examinations	1153
1595.	एर्णाकुलम का दक्षिण डाक घर (कारीथाला)	South Post Office (Karithala) of Ernakulam	1153
1596.	पौधे संरक्षण निदेशालय के विमान	Planes owned by Plant Protection Directorate	1153—1154
1597.	पौधों पर विमानों से छिड़काव	Aerial Spraying over plants	1154—1155
1598.	त्रिपक्षीय भारतीय श्रम सम्मेलन	Tripartite Indian Labour Conference	1155
1599.	बटाईदारी पद्धति	Bataidari System	1155—1156
1600.	औद्योगिक सम्बन्ध	Industrial Relations	1156
1601.	चीनी के मूल्य	Prices of Sugar	1156
1602.	राज्यों द्वारा प्राप्त तथा उन्हें भेजे गए खाद्यान्नों की मात्रा में असंगति	Discripancy in Quantum of Foodgrains Desptached and received by States	1156—1157
1603.	दिल्ली में देसी गेहूँ की बिक्री	Sales of Indigeous Wheat in Delhi	1157
1604.	सीमेंट तथा रूई मिलों में न्यूनतम मजूरी का निर्धारण	Fixation of minimum Wages in Cement and Cotton Mills	1157
1605.	सामुदायिक विकास खण्ड	Community Development Blocks	1158
1606.	ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors	1158—1159
1607.	पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Refugees from East Pakistan	1160—1161
1608.	पैकेज प्रोग्राम	Package programme	1161
1609.	रियायती (राज सहायता-प्राप्त) दरों पर खाद्यान्नों की सप्लाई	Supply of Foodgrains at Subsidised Rates	1161
1610.	देहाती क्षेत्रों में नए डाकघर	New Post Offices in Rural Areas	1161—1162

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1612. इसराइल में सहकारी खेती	Co-operative Farming in Israel	1162
1613. कार्मिक संघ	Trade Unions	1162—1163
1614. कोयला मजूरी बोर्ड	Coal Wage Board	1163
1615. खाद्य नीति	Food Policy	1163
1616. हिन्दी विरोधी आन्दोलनों के कारण डाक तथा तार कार्यालयों को पहुँची क्षति	Damage to P and T Offices due to Anti-Hindi Agitation	1164
1617. श्रम तथा समाज - कल्याण में डिग्री	Degree in Labour and Social Welfare	1164
1618. मध्य प्रदेश में सहकारी चीनी कारखाना	Co-opertive Sugar Mill in Madhya Pradesh	1165
1619. प्रयोगात्मक नलकूप संगठन	Explanatory Tube-wells Organisation	1165
1620. प्रयोगात्मक नलकूप संगठन	Exploratory Tube-wells Organisation	1165—1166
1621. प्रयोगात्मक नलकूप संगठन	Exploratory Tube-well Organisation	1166
1622. भारत के खाद्य निगम के कार्यालय का दिल्ली से स्थानान्तरण	Shifting of Office of Food Corporation of India from Delhi	1166—1167
1623. उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन	Agricultual Production in U. P.	1167
1624. बरमों (ड्रिलिंग रिग) का आयात	Import of drilling rigs	1167
1625. मध्य प्रदेश में टेलीफोन	Telephone connection in Madhya Pradesh	1168
1626. मध्य प्रदेश में शिक्षित लोगों में बेरोजगारी	Unemployment of educated persons in Madhya Pradesh	1168—1169
1627. मध्य प्रदेश में नलकूपों के लिये ऋण	Loans for Tubewells in Madhya Pradesh	1169
1628. जम्मू तथा काश्मीर में बीजों में आत्मनिर्भरता	Self-sufficiency of seeds in Jammu and Kashmir	1169—1170
1629. मनीपुर के सहकारी विभाग के निरीक्षक	Ispectors in co-operative department, Manipur	1170
1630. पशु चिकित्सा तथा पशु-पालन विभाग, मनीपुर	Veterinary and Animal Husbandry Department, Manipur.	1170

अता० प्र० संख्या

U.S.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1631.	उत्तर प्रदेश में खण्ड विकास अधिकारी और ग्राम-स्तर कर्मचारी	Block Development officials and Village Level Workers in Uttar Pradesh	1171 1171
1632.	मैसर्स फायरस्टोन टायर एण्ड रबर कम्पनी में हड़ताल के कारण श्रम घंटों की हानि	Man-hours lost due to strike in M/s. Firestone Tyre and Rubber Company	1171 1171
1633.	कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendation of Coal Wage Board	1171—1172
1634.	काश्मीर के साथ दूर संचार सम्पर्क	Tele communication link with Kashmir	1172—1173
1635.	मनीपुर में लगान की वसूली	Collection of Land Revenue in Manipur	1173
1636.	मनीपुर में ग्राम पंचायतें	Gram Panchayats in Manipur	1173
1637.	मनीपुर में ग्राम पंचायतें	Gram Panchayats in Manipur.	1173—1174
1638.	राष्ट्रीय श्रम संहिता	National Labour Code	1174
1639.	खाद्यान्नों के लिये अतिरिक्त भाण्डागार	Additional storage for Foodgrains	1174—1175
1640.	दिल्ली के चिराग दिल्ली डाकघर में टेलीफोन व्यवस्था	Telephone Facilities in Chirag Delhi Post Office, Delhi	1175
1641.	बन तथा कृषि-भूमि का भू-संरक्षण	Soil Conservation for Forest and Agricultural Lands	1175—1176
1643.	टेलीफोन और तारघर	Telephone and Telegraph Offices	1176
1644.	डाक तथा तार कर्मचारियों के आवास के लिए भूमि का अधिग्रहण	Acqusition of Lands for Housing of P & T Staff	1176
1646.	चीनी का लागत ढांचा	Cost Structure of Sugar	1177—1178
1647.	महाराष्ट्र में चावल और ज्वार की वसूली	Rice and Jawar Procurement in Maharashtra	1178
1648.	घेराव	Gheraos	1178
1649.	गोरखपुर डाकघर से पार्सल गुम हो जाने की घटना	Missing of Parcel from Gorakhpur Post Office	1179
1650.	सचेतकों का सम्मेलन, शिमला	Whips' Conference, Simla	1179—1180

अता० प्र० संख्या

U.S.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1650-क. पंजाब, राजस्थान तथा हरियाना के सीमावर्ती क्षेत्रों में नलकूप	Tubewells on Border Areas of Punjab Rajasthan and Harayana	1180
1650-ख. लम्बे रेशे वाली कपास	Long Staple Cotton	1180—1182
1650-ग. भारतीय सागौन की लकड़ी (टीक)	Indian Teak	1182
अल्प सूचना प्रश्न S. N. Q. No.	Short Notice Question	1182—1183
1. नवगाम तेल-क्षेत्र	Nawagam Oil-fields	
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table	1183—1185
लोक पाल विधेयक पर राय	Opinion on Lok Pal Bill	1185
अनुपूरक अनुदानों की माँगें (रेलवे) 1967-68	Demands for Supplementary Grants (Railways) 1967-68	1185
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	1185—1186
चौदहवां प्रतिवेदन	Fourteenth Report	
कार्य-मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	1186—1187
चौदहवां प्रतिवेदन	Fourteenth Report	
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	Motion of thanks on President's Address	1187—1202
श्री नी० श्रीकान्तन नायर	Shri N. Sreekantan Nair	
श्री हनुमन्तैया	Shri Hanumanthaiya.	
श्री का० प्र० सिंह देव	Shri K. P. Singh Deo	
श्री रा० ढो० भण्डारे	Shri D. R. Bhandare	
श्री अन्बझगन	Shri Anbazhagan	
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjivan Ram	
श्री मंगलाथुमडम	Shri Mangalathumadam	
श्री बेदव्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	
श्री पी० गोपालन	Shri P. Gopalan	
श्री दीन दयाल उपाध्याय की मृत्यु की परिस्थितियों की जांच के बारे में	Re. Inquiry into Cirumstances of death of Shri Deen Dayal Upadhyaya.	
लक्खीसराय रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्घटना पर चर्चा	Discussion on accident at Luckeesarai Railway Station	1203—1207

श्री मधु लिमये Shri Madhu Limaye
श्री यमुना प्रसाद मंडल Shri Yamuna Prasad Mandla
श्री स० मो० बनर्जी Shri S. M. Banerjee
श्री सीताराम केसरी Shri Sitaram Kesri
श्री लोबो प्रभु Shri Lobo Prabhu
श्री न० ता० दास Shri N. T. Das
श्री कन्डप्पन Shri S.Kandappan
श्री ज्योतिमय बसु Shri Jyotirmoy Basu
श्री शिव नारायण Shri Sheo Narain
श्री लषण लाल कपूर Shri Lakhan Lal Kapoor
श्री चे० मु० पुनाचा Shri C. M. Poonacha

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 22 फरवरी, 1968/ 3 फाल्गुन, 1889 (शक)
Thursday, February 22, 1968/ Phalguna 3, 1889 (Saka)

———

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : श्री सान्मन्त

श्री बलराज मधोक : मेरा सुझाव यह है कि इसके साथ प्रश्न संख्या 227 पर भी विचार लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय :–यह बात ठीक है।

दिल्ली दुग्ध योजना

+

211. **श्री स० चं० सामन्त** : **श्री प्रेम चन्द्र शर्मा** :

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा अपेक्षित मानक वाले दुग्ध की नियमित सप्लाई न होने तथा उसके परिणामस्वरूप मूल्य में वृद्धि होने का कारण यह है कि वहाँ की व्यवस्था खराब है;

(ख) क्या यह भी सच है कि गाँवों में दुग्ध सप्लाई करने वाले लोग वर्तमान प्रबन्ध

व्यवस्था से सन्तुष्ट नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली दुग्ध योजना को दूध की नियमित सप्लाई नहीं होती है; और

(ग) यदि हाँ, तो दिल्ली दुग्ध योजना के प्रशासन को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बेचे जाने वाले दूध के मूल्यों में वृद्धि

227. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना के उनके द्वारा बेचे जाने वाले दूध के मूल्यों में वृद्धि कर दी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली प्रशासन ने दूध के मूल्य में इस वृद्धि के लिये केन्द्रीय सरकार से विरोध प्रगट किया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार को इस सम्बन्ध में उपभोक्ताओं से भी बहुत से अभ्यावेदन मिले हैं;

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) मूल्यों में वृद्धि के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हाँ।

(घ) मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद मूल्य में संशोधन किया गया था।

(ङ) मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) दूध के खरीद-मूल्य में पर्याप्त वृद्धि होना।

(2) स्टोरों के सभी प्रकार के खर्च में जिसमें स्प्रेटा दुग्धचूर्ण शामिल है, वृद्धि होना।

(3) मजदूरी, वेतन, मंहगाई भत्ता आदि के कारण खर्च का बढ़ना।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि प्रबन्धक वर्ग में गैर-तकनीकी लोग अधिक हैं और विक्रेताओं के साथ उनके सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह सच नहीं है कि प्रबन्धक वर्ग में गैर-तकनीकी लोग अधिक हैं। वास्तव में दो वर्ष पहले एक विशेषज्ञ दल ने इस मामले की छानबीन की थी और उन्होंने सुझाव दिया था कि कुछ अतिरिक्त अधिकारी नियुक्त किए जाने चाहिये जैसे उप-महाप्रबन्धक, प्रबन्धक (किस्म नियंत्रण), प्रबन्धक (वसूली), प्रबन्धक (प्रक्रिया), भण्डार नियंत्रक, पूछताछ अधिकारी, कार्यकारी इंजीनियर, भण्डार अधिकारी, सहकारी विस्तार अधिकारी और सुरक्षा अधिकारी। इन पदों पर समर्थ अधिकारियों की नियुक्ति के कारण दिल्ली दुग्ध योजना में तकनीकी कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि दूध की सप्लाई के बारे में मंत्रालय या दिल्ली दुग्ध योजना को संसद् सदस्यों और सरकारी अधिकारियों की कितनी शिकायतें मिली हैं ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं शिकायतों के इकट्ठे आँकड़े बता सकता हूँ। परन्तु संसद्-सदस्यों तथा अन्य लोगों की शिकायतों की अलग-अलग संख्या नहीं बता सकता। औसत रूप से हमें एक दिन में चार शिकायतें मिलती हैं और इनमें बहुत सी शिकायतें इस आशय की होती हैं कि दूध समय पर नहीं मिलता।

Shri Prem Chand Verma : One of the reasons of losses of Delhi Milk Scheme is that they purchase bottles of inferior quality and they break very often. There is also a large variation in the rate of purchase of milk. The third reason for the loss is theft of milk products. May I know as to what hon'ble Minister has got to say with regard to these things ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : कुछ दोष तो बताये जा सकते हैं और उसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश हो सकती है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिये कि दिल्ली दुग्ध योजना का कार्य संतोषजनक नहीं है। वास्तव में जहाँ तक इस योजना के चलाने के खर्च की लागत का सम्बन्ध है, डा० कुरियन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों के एक दल ने, जिसमें बम्बई दुग्ध योजना के महाप्रबन्धक भी सम्मिलित थे, कुछ मानक निश्चित किए थे जिनमें तोड़-फोड़, प्रशासनिक लागत आदि बातें सम्मिलित थीं। उन्होंने कहा था कि सामान्यत: वितरण, वसूली, प्रशासन आदि की लागत 21 पैसे प्रति लिटर से अधिक नहीं होनी चाहिये। दिल्ली दुग्ध योजना का स्तर कम रहा है। 1964-65 में यह सिफारिश की गयी थी। उसके बाद मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप खर्च में और वृद्धि हुई है। दिल्ली दुग्ध योजना के घाटे का मुख्य कारण यह है कि पिछले वर्षों में प्रचलित मूल्यों की अपेक्षा दूध का क्रय-मूल्य बहुत बढ़ गया है। दो वर्ष पूर्व औसत वसूली मूल्य 65 रुपये से 67 रुपए प्रति क्विंटल के बीच था अब औसत वसूली मूल्य लगभग 90 रुपये प्रति क्विंटल है। यदि हम वसूली, वितरण आदि की लागत को जोड़ें, तो दूध की औसत लागत एक रुपया दस-पैसे प्रति लिटर होती है जबकि हम एक रुपया चार पैसे प्रति लिटर के हिसाब से बेच रहे हैं। देश के अन्य नगरों में बहुत सी अन्य दुध योजनाओं की तुलना में यहाँ पर दूध का मूल्य सबसे कम है। (व्यवधान) मैं यह बात स्पष्ट करता हूँ। उदाहरण के लिये बम्बई में दुध का दर एक

रुपया सत्तर पैसे प्रति लिटर है और इसी प्रकार बहुत से अन्य नगरों में दिल्ली में बेचे जाने वाले दूध के दर की तुलना में दूध का दर बहुत अधिक है ।

Shri Prem Chand Verma : The hon'ble Minister has not said anything about prevention of thefts.

Mr. Speaker. He will try to prevent them.

श्री बलराज मधोक : क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना जनता की दूध की माँग पूरी नहीं कर सकी है और ऐसे बहुत से आवेदन-पत्र हैं जिन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। इस प्रकार के आवेदन-पत्र कितने हैं और इन लोगों को दूध कब सप्लाई किया जायेगा ? क्या यह भी सच है कि प्रबन्ध और दिल्ली में दूध के ऊँचे मूल्य का कारण यह है कि सभी गैर-सरकारी दुग्धशालाएँ नगर के बाहर चली गयी हैं और अब दिल्ली दुग्ध योजना का एकाधिकार है ? क्या सरकार दिल्ली में सरकारी क्षेत्र में या गैर-सरकारी क्षेत्र में और दुग्धशालाएं चलाने पर विचार करेगी जिससे प्रतियोगिता होगी और दिल्ली में दूध सस्ता होगा ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह ठीक है कि इस समय दूध की सप्लाई की अपेक्षा माँग अधिक है और 15,000 से अधिक लोगों के नाम प्रतीक्षा सूची में हैं। परन्तु मुख्य कठिनाई यह है कि दूध सप्लाई करने वाले अधिक मूल्य की माँग करते हैं जबकि नगर में कम आय वाले बहुत से लोग हैं जो यह आशा करते हैं कि दूध कम मूल्य पर उपलब्ध होना चाहिये। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक मेरे विचार में स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। जहाँ तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, दिल्ली में बहुत सी गैर-सरकारी दुधशालाएँ कार्य कर रही हैं हालाँकि विशेषज्ञ दल ने सिफारिश की थी कि यदि दिल्ली दुग्ध योजना को प्रभावशाली ढंग से कार्य करना है तो दिल्ली दुग्ध योजना के कार्य क्षेत्र में कम से कम नयी दुग्धशालाएं चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। नयी दिल्ली में जो गैर-सरकारी दुग्धशालाएं चल रहीं हैं वे दिल्ली दुग्ध योजना की अपेक्षा बहुत अधिक मूल्य पर दूध बेच रही हैं।

श्री बलराज मधोक : मैं दिल्ली दुग्ध योजना की तरह की बड़ी डेरी की बात कर रहा था । मुझे इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिये।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : दुग्धशाला खोलने पर इस समय कोई प्रतिबन्ध नहीं है। कोई भी व्यक्ति दुग्धशाला खोल सकता है। हम उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारों के साथ इस बारे में परामर्श करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि क्या दूध नियंत्रण आदेशों को लागू किया जा सकता है परन्तु यह मामला विचाराधीन है। यदि कोई व्यक्ति दुग्धशाला खोलना चाहे तो इस समय उस पर कोई कानूनी प्रतिबन्ध नहीं है।

श्री दत्तात्रय कुन्टे : क्या यह सच नहीं है कि हालाँकि दिल्ली में दुग्ध योजना में अब तकनीकी कर्मचारी हैं, उनके पास अपने ढोर नहीं हैं और वे उन ठेकेदारों से दूध खरीदते हैं जिनके पास भी अपने ढोर नहीं हैं ? वे उन ठेकेदारों पर निर्भर करते हैं जो धन एकत्र करने में लगे हैं और जिनको रुचि ढोर या दूध के विकास में नहीं है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य ठीक कहते हैं। वास्तव में विशेषज्ञ दल इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि बिचौलियों के कारण वसूली का कार्य ठीक ढंग से नहीं हो रहा और इसी लिये विशेषज्ञ दल ने सुझाव दिया था कि दूध उत्पादकों के सहकारों को संगठित करना चाहिये परन्तु इस सम्बन्ध में कई कठिनाइयाँ हैं, हालाँकि हम दूध उत्पादकों की सहकारी संस्था बनाने का प्रोत्साहन देना चाहेंगे ताकि बिचौलिये स्थिति का लाभ न उठा सकें।

Shri Kanwar Lal Gupta : It has been observed that the supply of milk is on the decrease. While in 1967 the quantity of milk supplied was 2145 quintals it has reduced to 1477 quintals in January, 1968. May I know the reason of this fall in supply ? It is because of installation of factories of milk products around Delhi or because of expansion of existing factories ? In order to ensure adequate and regular supply of milk would the Government ensure that neither the expansion of such existing factories takes place nor new factories are established? I also want to know whether there is any long-term scheme for adequate and regular supply of milk to Delhi? If so, the details thereof ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह ठीक है कि दूध की वस्तुएँ बनाने वाले बहुत से कारखानों के कारण दिल्ली दुग्ध योजना को प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से कुछ कारखानों का विस्तार हो रहा है और कुछ नए एकक स्थापित हो रहे हैं। इसीलिये मैंने कहा था कि सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि क्या दिल्ली दुग्ध योजना के कार्य क्षेत्र में दूध की वस्तुएँ बनाने वाले नये कारखाने स्थापित करने पर रोक लगायी जा सकती है या नहीं परन्तु यह रोक हरियाणा सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार की सलाह से लगायी जा सकती है। जहाँ तक भारत सरकार के प्रस्ताव का सम्बन्ध है, दिल्ली प्रशासन और हरियाणा सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है परन्तु उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति अभी नहीं मिली है और मेरे विचार में इसमें कुछ समय लगेगा। उनकी सहमति मिल जाने के पश्चात् इस सम्बन्ध में आगे विचार किया जायेगा।

सप्लाई के सम्बन्ध में माननीय सदस्य का विचार ठीक नहीं है। वर्ष 1965 में....

श्री कंवर लाल गुप्त :मैंने जनवरी 1967 और 1968 के आँकड़े दिए थे। मैंने 1965 की बात नहीं की है।

श्री अन्नासाहिब शिंदे : जहाँ तक प्रतिदिन की सप्लाई का सम्बन्ध है हम कुछ महीने पहले प्रतिदिन 2,23,000 लिटर दूध सप्लाई करते थे और अब भी 2,21,000 लिटर दूध प्रति दिन बाँटा जाता है। इसलिये जहाँ तक सप्लाई का सम्बन्ध है, उसमें अधिक अन्तर नहीं है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : जनवरी 1967 में दूध की सप्लाई कितनी थी ?

श्री अन्नासहिब शिंदे : आज भी, फरवरी में भी दूध की उतनी मात्रा व सप्लाई की जा रही है परन्तु वसूली की मात्रा में कमी हो गयी है और हम सपरेटा दूध के चूर्ण का प्रयोग कर के इतना दूध सप्लाई कर रहे हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : दूध की पर्याप्त सप्लाई के लिये दीर्घावधि योजना की क्या स्थिति है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं यह कह सकता हूँ कि विशेषज्ञों ने दिल्ली दुग्ध योजना के विस्तार के लिये सुझाव दिए हैं। जहाँ तक कार्य करने की क्षमता का सम्बन्ध है, हम पहले ही दिल्ली दुग्ध योजना के विस्तार की योजनाएं बना रहे हैं। जहाँ तक वसूली का सम्बन्ध है, मैंने पहले ही बता दिया है कि हम उपभोक्ताओं और उत्पादकों अर्थात् दोनों के हितों का ध्यान रखते हैं और उत्पादक के लिये उचित मूल्य निर्धारित करते हैं नहीं तो हमारे लिये दिल्ली दुग्ध योजना के लिये पर्याप्त सप्लाई की व्यवस्था करना तथा इस योजना का विस्तार करना सम्भव नहीं होगा।

श्री दी० चं० शर्मा: मंत्री महोदय के उत्तर से पता चलता है कि दूध की वसूली अपर्याप्त है और वितरण दोषपूर्ण है। इसलिये क्या वह दिल्ली दुग्ध योजना को समाप्त कर देंगे जिससे हम पहले की तरह बाजार से दूध खरीद सकें? यदि वह ऐसा नहीं कर रहे तो क्या मैं उनसे पूछ सकता हूँ कि गरीब लोगों को, जिनके बच्चे क्षय रोग तथा अन्य रोगों से पीड़ित हैं, दूध सप्लाई करने के लिये क्या व्यवस्था कर रहे हैं? वे लोग हमारे पास आकर सहायता के लिये प्रार्थना करते हैं और हमसे प्रमाण-पत्र चाहते हैं। परन्तु दिल्ली दुग्ध योजना इन लोगों को दूध सप्लाई करने में असमर्थ है।

श्री अन्नासहिब शिन्दे: दिल्ली दुग्ध योजना को समाप्त करने का कोई इरादा नहीं है। यह योजना इतनी लोकप्रिय है कि हजारों लोगों के नाम प्रतीक्षा सूची में हैं। इस योजना के फलस्वरूप लोगों को खालिस पास्चुरीकृत किये हुए दूध की बोतलें सप्लाई की जाती हैं।

श्री दी० चं० शर्मा: जो लोग इस प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं, क्या उन्हें दूध सप्लाई करने में कोई प्राथमिकता दी जाती है?

श्री सु० कुन्डू: दूध के हजारों जाली कार्ड बने हुए हैं और इसीलिये दूध की सप्लाई की कमी है। मुझे पता चला है कि कुछ लोग दूध की 60–70 बोतलें ले लेते हैं और संसद् सदस्य भी इस मामले में अपवाद नहीं हैं।

मैं जानना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। इसमें लगभग 1500 विद्यार्थी आँशिकालिक कार्य कर रहे हैं। उनको परेशान किया जाता है, मन मर्जी से मुअत्तिल किर दिया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस प्रकार की बात क्यों होती हैं और मंत्री महोदय इसको सुधारने के लिये प्रशासन से कहेंगे?

श्री अन्नासहिब शिन्दे: जहाँ तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है कुछ फर्जी कार्ड वाले भी हैं। जब कुछ नागरिक दिल्ली छोड़कर बाहर चले जाते हैं और अपने टोकन को दिल्ली दुग्ध योजना को वापिस न कर किसी दूसरे व्यक्ति के नाम में हस्तान्तरित कर जाते हैं तो इन टोकन का किसी सीमा तक दुरुपयोग किया जाता है। परन्तु हमने इसके लिये जासूसी दल नियुक्त किया है जो बहुत से ऐसे टोकन जिनका दुरुपयोग किया जा रहा था पकड़ने में सफल हुआ है।

जहाँ तक डिपो मैनेजरों को मुअत्तिल किये जाने का प्रश्न है इन डिपो मैनेजरों द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता था। बोतलों की सील बदली जाती थी तथा दूध में मिश्रण किया जाता था। गत वर्ष ऐसे कार्य के आरोप में 100 डिपो मैनेजरों को मुअत्तिल किया गया

और मेरा विचार है कि हमें इस सम्बन्ध में ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री हनुमन्तय्या : माननीय सदस्य ने नियम के विरुद्ध सदन के सदस्यों के विरुद्ध आरोप लगाये हैं। यह विशेषाधिकार का प्रश्न है। यदि उन्हें किसी विशेष सदस्य के विरुद्ध कुछ कहना था तो वे मामले के तथ्य से आपको या मंत्री महोदय को अवगत करा सकते थे। परन्तु सदन में इस प्रकार सब सदस्यों के विरुद्ध आरोप लगाना उचित नहीं..... (**व्यवधान**)

श्री हेम बरुआ : श्री कुन्दू ने अपने भाषण में कुछ संसद सदस्य' कहा था। श्री हनुमन्तय्या ने उसे सब संसद सदस्य समझा है।

श्री हनुमन्तय्या : वे उनके नाम बतायें

श्री हेम बरुआ : जब मैंने सभा में यह कहा था कि कुछ सदस्य अपने प्लेट आगे किराये पर दे रहे हैं तो मुझे उनके नाम बताने के लिये नहीं कहा गया था। मैं उनके नाम के सम्बन्ध में साक्ष्य भी नहीं दे सकता क्योंकि मैं पुलिसमैन नहीं हूँ। इसका पता लगाना सरकार का कार्य है।

श्री म० ला० सोंधी : मंत्री महोदय ने दिल्ली दुग्ध योजना के सम्बन्ध में दी गई कुरेन समिति की रिपोर्ट का उल्लेख किया है परन्तु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वह शायद इस रिपोर्ट को भूल गए हैं। कुरेन समिति ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि इस वर्ष शरद ऋतु में दूध के मूल्यों में 10 प्रतिशत कमी होगी परन्तु इस वर्ष शीतकाल में मूल्यों में 30 प्रतिशत वृद्धि हुई है। कुरेन समिति ने इस क्षेत्र में डेरियाँ स्थापित करने का निश्चय किया है। परन्तु ऐसी कोई डेरी अभी स्थापित नहीं की गई है। दूध का मूल्य बढ़ाये जाने से तो कुरेन समिति की रिपोर्ट का कोई महत्व ही नहीं रहता। अतः दिल्ली दुग्ध योजना (Delhi Milk Scheme) को लोग दिल्ली दुग्ध घोटाला (Delhi Milk Scandal) की संज्ञा देते हैं।

संसदीय विशेषाधिकार

213. **श्री बे० कु० दासचौधरी** : क्या **संसद्-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संसदीय विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने के लिए एक संसदीय समिति नियुक्त करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) और (ख) **जी नहीं। तथापि** (1) प्रेस, (2) संसद् के अधिष्ठाओं **एवम्** (3) संसद् में विभिन्न राजनैतिक दलों/ग्रुपों के नेताओं के परामर्श से इस तमाम विषय पर विचार किया जा रहा है।

श्री बे० कु० दास चौधरी : विधान सभा या संसद् के सदस्यों को इन विशेषाधिकारों का दिया जाना विधान सभाओं के प्रभावशाली ढंग से कार्य करने के लिये आवश्यक है। यद्यपि संसदीय विशेषाधिकारों और संसद् सदस्यों के अधिकारों में अक्सर संघर्ष होता है तथापि सरकार ने संहिता करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है।

इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा में श्री केशव सिंह के मामले में हमें दुखद अनुभव हुआ है जबकि विधान सभा और उच्च न्यायालय में मतभेद उत्पन्न हो गये थे। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूँगा कि वह संसदीय विशेषाधिकारों के लिये यथासम्भव शीघ्र संहिता तैयार करें।

अध्यक्ष महोदय : आपको कारण बताने की आवश्यकता नहीं।

श्री बे० कु० दास चौधरी : संसद् सदस्यों या विधान सभा के सदस्यों द्वारा प्राप्त इन संसदीय विशेषाधिकारों का बहुमत-प्राप्त सत्तारूढ़ दल द्वारा हनन किया जाता है। मैं यह जानना चाहूँगा कि मंत्री महोदय कब तक संहिता तैयार कर लेंगे।

डा० राम सुभग सिंह : इस महीने की 15 तारीख को जब उप-मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में वक्तव्य दिया था तो शायद माननीय सदस्य सभा में उपस्थित थे। संसदीय संवैधानिक अध्ययन संस्था ने एक गोष्ठी का आयोजन किया था जिसमें इससे विपरीत विचार व्यक्त किये गये थे और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा गया। हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं और यदि आवश्यक हुआ तो इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जायेगा।

Shri Atal Behari Vajpayee : Minister of Parliamentary Affairs has informed that the different political parties have been invited and they are considering to form a Committee. May I know whether it will not be appropriate if a Committee be formed under the Chairmanship of the Speaker which may take decision in this matter. I do not think that it will be useful to have consultations with the different political parties.

Dr. Ram Subhag Singh : I do agree with you. I will talk to the Speaker in this regard.

Shri Sheo Narain : May I know whether the Minister of Parliamentary Affairs will call a meeting of the Ministers of Parliamentary Affairs of the States, the Speakers and Parliamentary experts under the Chairmanship of the Speaker to consider this matter ?

Dr. Ram Subhag Singh : It is a good suggesion.

श्री हेम बरुआ : चूंकि संसदीय विशेषाधिकार पहले ही विद्यमान हैं और हम उनके अनुसार कार्य भी कर रहे हैं, इन विशेषाधिारों की संहिता तैयार करने से मंत्री महोदय का क्या अभिप्राय है।

डा० रामसुभग सिंह: विशेषाधिकार पहले ही विद्यमान हैं यह ठीक है, परन्तु वह उस समय के हैं जबकि हाउस आफ कामन्स में संविधान प्रवर्तन में आया। अतः संहिता तैयार करने और न करने दोनों ही प्रकार के विचार व्यक्त किए गए हैं। इन सब की जाँच अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में की जानी चाहिये।

श्री स्वैल : पश्चिमी बंगाल की विधानसभा के सभा की तथा सदस्यों की अनुमति के बिना अनिश्चित काल के लिये स्थगित किए जाने को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय संसद् तथा सदस्यों के लिये शीघ्रता से संहिता तैयार करना उचित समझते हैं ?

श्री लीलाधर कटकी : हमारी परम्पराएं हाउस आफ कामन्स और 'मे' की पार्लियामेन्टरी

प्रेक्टिस पर आधारित है। यहाँ ऐसे भी बहुत से मामले सामने आये हैं जो उसके अन्तर्गत नहीं आते। यदि यह ठीक है तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की ?

डा० रामसुभग सिंह : लिखित संविधान में विभिन्न प्रक्रियायें हो सकती हैं। जैसे ही हम संहिता तैयार करेंगे ऐसा हो सकता है कि कुछ विशेषाधिकारों को कम किया जाये। जब आप उनके लिये संहिता तैयार नहीं करते तो आप अपने विनियमनों के अनुसार उनका प्रसार कर सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या सरकार सभा को यह बतलायेगी कि क्या संसद् और असैनिक कर्मचारियों के लिये कोई संहिता तैयार करने की उसकी कोई योजना है ?

डा० रामसुभग सिंह : यह प्रश्न इससे उद्भूत नहीं होता। यह तो एक विशिष्ट प्रश्न है।

श्री कौशिक : हमारे कुछ नियम बेकार हो गए हैं। इन लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती जो उनका उल्लंघन करते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि स्वस्थ परम्पराओं पर निर्भर न रह कर इसके लिये संहिता तैयार की जाये।

डा० रामसुभग सिंह : मैं मूल प्रश्न के उत्तर में बता चुका हूँ कि इस बात पर विचार किया जा रहा है।

Shri Madhu Limaye : We should consider this question in the light of Article 105 (3) of the Constitution in which it has been stated that :

"In other respects, the powers, priveleges and immunities of each House of Parliament, and of the Members and the Committees of each House, shall be such as may from time to time be defined by Parliament by law and, until so defined shall be those of the House of Commons of the Parliament of the United Kingdom....".

There is a decision of the Supreme Court in this regard in which it has been said that when certain law or Code is made in this regard and there is a clash between the foundamental rights fo the citizes and their priveleyes, Supreme Court will have the right to intervene. Therefore, people like Shri Ranga think that we should not make law in this regard. May I know whether the Hon. Minister thinks that besides enacting the law a Select Committee should be appointed under the Chairmanship of the Speaker which may rame principles for guidance'.

Dr. Ram Subhag Singh: Almost the same suggetion was given by Shri Vajpayee and I accept it. If the Speaker agrees we will act accordingly.

श्री अमृत नाहाटा : पहले ही बहुत से कानून बने हैं पर उनको क्रियान्वित नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में क्या मंत्री महोदय यह पसन्द नहीं करेंगे कि विशेषाधिकारों के सम्बन्ध संहिता बनाने की बजाये स्वस्थ परम्पराएं स्थापित करें।

डा० रामसुभग सिंह : इस सम्बन्ध में लोगों ने बहुत जोरदार विचार व्यक्त किए हैं।

श्री नायनार : संविधान की धारा 356 (1) (ख) में उल्लेख किया गया है कि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू होगा तो राष्ट्रपति उदघोषणा द्वारा ?

> "घोषित कर सकेगा कि राज्य के विधान मंडल की शक्तियाँ संसद् के प्राधिकार के द्वारा या आधीन प्रयोक्तव्य होगी"

आज के समाचार-पत्र में एक समाचार है कि पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद एक मंत्री जिनकी नौकरी समाप्त हो गई थी ने अपने कार्यालय में कार्य किया। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह मामला भी संसद के विशेषाधिकार के अन्तर्गत आयेगा क्योंकि संविधान के अनुसार राज्य की विधान सभा की शक्तियों का भी संसद् द्वारा पालन किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : उस पर आप यहाँ कैसे चर्चा कर सकते हैं?

Shri Achal Singh : Apart from the question of priveleges will the Hon .Minister also call the attention of the members to their duties.

Dr. Ram Subhag Singh : Can there be any differences in this regard?

श्री लोबो प्रभु : सभा में गणपूर्ति न होने तथा अव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए क्या सदस्यों के विशेषाधिकारों के साथ उनके कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में भी कानून बनाया जायेगा?

डा० रामसुभग सिंह : इस सम्बन्ध में हम अध्ययन कर रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या माननीय मंत्री अन्य देशों के संसद् सदस्यों के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के बारे में सूचना प्राप्त करेंगे?

डा० रामसुभग सिंह : हम इसकी जाँच कर रहे हैं।

पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थी

\+

* 214. **श्री ओंकार लाल बेरवा** :
श्री अंबचेजियान :
श्री राम भद्रन :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार पूर्वी पाकिस्तान से आए नए शरणार्थियों में से स्थायी दायित्व श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये नए मकान बनाने तथा वर्तमान मकानों का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे व्यक्ति कितने हैं;

(ग) क्या उनकी संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती रहती है; और

(घ) ये नए मकान किन राज्यों में बनाये जायेंगे?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) पहले स्थापित की गई बस्तियों में रिक्त स्थानों को उपयोग में लाने और पूर्व पाकिस्तान से आये स्थायी दायित्व वाले नए विस्थापितों को बसाने का विचार है।

(ख) और (ग) स्थायी दायित्व की श्रेणी वाले इस समय 4,433 परिवार हैं जिनमें 15,379 व्यक्ति हैं।

(घ) दो-दो बस्तियाँ आसाम और उत्तर प्रदेश और एक-एक बस्ती त्रिपुरा, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बसाने का प्रस्ताव है ।

Shri Onkar Lal Berwa : A colony was set up in Sahabad of Kota Tehsil in Rajasthan to rehabiltiate the migrants from East Pakistan and that involved an embezzlement of Rs.5 lakhs. What action is being taken by Government in that regard against the Development officers ?

श्री दा० रा० चव्हाण : वर्तमान सभी बस्तियाँ सामाजिक सुरक्षा विभाग के प्रशासनिकि नियंत्रण में हैं। जैसा कि मैंने कहा स्थायी दायित्व के श्रेणी में आने वाले परिवारों को वर्तमान बस्तियों में बसाया जाना है और नई बस्तियाँ बसाने का भी विचार है। यह प्रश्न यदि सामाजिक सुरक्षा विभाग को सम्बोधित किया जाये तो इसका उत्तर मिल सकता है।

Shri Onkar Lal Berwa: May I know how the money given to the Rajasthan Minister Shri Brij Sunder Sharma for setting up 1,000 camps to reehabilitate the migrants from East Pakistan has been spent ? Where are those camps ?

श्री दा० रा० चव्हाण : मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या केन्द्रीय सरकार ने आसाम सरकार से अनुरोध किया है कि वह 1964 के बाद आने वाले विस्थापितों के पंजीकरण के लिये पंजीकरण अधिकारी नियुक्त करे; यदि हाँ, तो अब तक कितनों को पंजीकृत किया गया है और क्या आसाम या अन्य स्थानों में उन्हें बसाने के लिये सरकार ने कोई योजना प्रायोजित की है ?

श्री दा० रा० चव्हाण : स्थायी दायित्व की श्रेणी में आने वाले सभी परिवारों को पंजीकृत कर दिया गया है। आसाम में परिवारों की कुल संख्या 1474 है। जैसा कि मैंने पहले बताया शेष परिवारों को बसाने के लिये हम कुछ नई बस्तियाँ बसाना चाहते हैं।

डा० रानेन सेन : पश्चिम बंगाल और आसाम में स्थायी दायित्व वाले शिविरों कुछ वर्षों से बड़ी खस्ता हालत में हैं। हाल ही में पुनर्विलोक समिति ने जिसके अध्यक्ष श्री एन० सी० चैटर्जी हैं, सिफारिश की है कि स्थायी दायित्व की श्रेणी के लोगों को पर्याप्त संरक्षण दिया जाना चाहिये, इस सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री दा० रा० चव्हाण : जैसा कि मैंने अभी बताया स्थायी दायित्व वाली श्रेणी सामाजिक सुरक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है। स्थायी दायित्व के जो परिवार शिविरों में हैं उनके लिये हम नई बस्तियाँ बना रहे हैं। एक या दो वर्ष तक पुनर्वास विभाग इनकी देखभाल करेगा और तत्पश्चात् इनकी देखभाल का काम सामाजिक सुरक्षा विभाग को सौंप दिया जायेगा।

Shri Sita Ram Kesri : Has any representation been received from the migrants from East Pakistan Coming to Katihar regarding the inadequate loan assitance given to them ?

श्री दा० रा० चव्हाण : यह एक सर्वथा भिन्न प्रश्न है । मूल प्रश्न स्थायी दायित्व के विस्थापितों के बारे में है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Recently a Bill was passed to realise the amount spent on the displaced persons from the concerned persons. Will the provisions apply to those also who have left their property in East Pakistan ?

श्री दा० रा० चव्हाण : विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) (संशोधन) विधेयक हाल ही में पारित किया गया था । उस विधेयक का उद्देश्य भिन्न है। स्थायी दायित्व वाले परिवारों से मुआवजा वसूल करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जी० एस० रेड्डी : पूर्व पाकिस्तान के कुछ विस्थापितों को नागार्जुन सागर और विजयपुरी क्षेत्र में बसाया गया था । उन निवासियों का क्या बना ?

श्री दा० रा० चव्हाण : स्थायी दायित्व वाला अब कोई भी परिवार वहाँ नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय मंत्री ने कहा कि 15,000 विस्थापितों को बसाया जाना बाकी है और यह कि वर्तमान बस्तियों में रिक्त स्थानों में उन्हें बसाने के लिए प्रयत्न किए जायेंगे। इस समय बस्तियों में रिक्त स्थानों की संख्या क्या है तथा वे बस्तियाँ कहाँ स्थित हैं ?

श्री दा० रा० चव्हाण : तीन या चार बस्तियों में लगभग 1719 परिवारों को बसाया जा चुका है। कस्तूरबाई निकेतन, नई दिल्ली में 152 परिवारों को बसाया गया है। मेहरपुर बस्ती में 264 परिवारों को बसाया गया है। डालीगंज बस्ती, लखनऊ में 30 परिवारों को बसाया गया है। अरुंदथी नगर त्रिपुरा में लगभग 273 परिवारों को बसाया गया है। विभिन्न बस्तियों के रिक्त स्थानों में लगभग 310 परिवारों को बसाने का विचार है।

Shri Lakhan Lal Kapoor: In 1955 the States Reorganisation Commission had recommended that new refugees should not be settled in West Dinajpur district Saleempur Sub-Division. How many refugees have been rehabilitated in that area uptil now ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : मूल प्रश्न केवल स्थायी दायित्व वाले परिवारों को बसाने के सम्बन्ध में है। सभी शरणार्थियों के पुनर्वास से इसका सम्बन्ध नहीं है।

Shri O. P. Tyagi : Have Government made any efforts to rehabilitate these refugees in Assam, Nefa and Kashmir ?

श्री दा० रा० चव्हाण : यह भी एक भिन्न प्रश्न है।

Shri Y. S. Kushwah : Is Pakistan Government giving satisfactory Co-operation to the India Government in regard to the restoration of property to the displaced persons ?

श्री दा० रा० चव्हाण : यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

विदेशी तेल कम्पनियों में नौकरी की सुरक्षा

\+

*215. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** **श्री देवेन सेन :**

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी तेल कम्पनियों तथा तेल संशोधन कारखानों में नौकरी की सुरक्षा की समस्या की जाँच करने के लिये नियुक्त जाँच आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके काम में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस आयोग की नियुक्ति के बाद सम्बन्धित फर्मों ने कहाँ तक स्वचालित मशीनों को प्रयोग में लाना आरम्भ कर लिया है और अपने कर्मचारियों की संख्या में कितनी कमी की है?

श्रम तथा रोजगार मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं। आयोग द्वारा 1 जून, 1968 से पूर्व प्रतिवेदन दिया जाना अपेक्षित है।

(ख) कार्य संतोषजनक तरीके से चल रहा है और अन्तिम तर्क अगले महीने में सुने जायेंगे।

(ग) कार्यालयों के पुनर्गठन और कर्मचारियों को घटाने के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिन्हें आयोग के पास भेज दिया गया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: क्या यह सच नहीं है कि इन कम्पनियों के प्रबन्धक और कर्मचारी दोनों इस बात पर राजी हो गए हैं कि इस आयोग का अन्तिम प्रतिवेदन आने तक कोई भी पक्ष अपनी ओर से ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा जिसका रोजगार सुरक्षा पर असर पड़ता हो। और यदि हाँ, तो क्या उनकी जानकारी में ऐसे कोई मामले लाये गए हैं जिनमें इस करार के बावजूद पुनर्गठन की योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप छंटनी हुई है?

श्री हाथी: जी हाँ। इस त्रिपक्षीय बैठक के समय यह सुझाव दिया गया था और हम चाहते थे कि आयोग का प्रतिवेदन आने तक कोई एक पक्षीय कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये। दो या तीन महीने तक उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की यद्यपि उसके लिये वे वास्तव में सहमत नहीं हुए जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं। लगभग 6 या 8 शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं जिन्हें जाँच के लिये आयोग के पास भेज दिया गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: क्या मंत्री महोदय को पता है कि 7 दिसम्बर, 1967 को बर्मा शैल के प्रबन्धकों ने एक पारपत्र जारी किया था जिसके अन्तर्गत ई० डी० पी० संहिता व्यवस्था को चालू किया गया जिससे क्लर्क बेकार हो जाते हैं? क्या वह जानते हैं कि कलकत्ता में हाल की बैठक में इस मामले को उठाया गया था और समिति ने विवशता प्रकट की और कर्मचारियों को सलाह दी कि वे जो चाहें करें?

श्री हाथी: आयोग की बैठक में इस मामले के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया, इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: क्या ई० डी० पी० कोड पद्धति के बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है?

श्री हाथी: जी नहीं।

Shri Deven Sen : Do Government propose to nationalise the foreign oil companies as they are exploiting our workers and proving an obstacle in the progress of Indian Oil Corporation.

श्री हाथी: प्रश्न का सम्बन्ध आयोग की नियुक्ति तथा इसके कार्य की प्रगति से है। चार या पाँच वर्षों से इस पर आन्दोलन चल रहा था। अन्त में यह निर्णय किया गया कि हमें उन उपायों की जाँच करने के लिये एक आयोग नियुक्त करना चाहिये जिनके परिणामस्वरूप छंटनी की गई है कि सद्भाव से अथवा असद्भाव से ऐसा किया गया और इसके क्या कारण हैं। मजदूरों के अनुरोध पर यह आयोग नियुक्त किया गया था।

Shri Shinkre : Are Government aware that the foreign oil companies are harassing and exploiting their employees through the schemes of voluntary retirement and retrenchment for the last three years ? Do Government propose to hold an enquiry into this matter ?

श्री हाथी: वास्तव में इस तथ्य की जाँच होनी है। कम्पनी कहती है कि यह एक ऐच्छिक निवृत्ति योजना है। परन्तु कर्मचारी कहते हैं कि वास्तव में यह ऐच्छिक नहीं है बल्कि ऐच्छिक निवृत्ति योजना के नाम पर उनको निवृत्त होने को बाध्य किया जाता है, और वे अपने कार्य को इस प्रकार नियोजित करते हैं कि कर्मचारियों के पास कोई कार्य नहीं रहता। उनसे कहा जाता है कि बिना काम ही कार्यालय में आयें और बैठ रहें। सचमुच ही इन मामलों की जाँच हो रही है कि क्या यह वास्तव में एक ऐच्छिक योजना है अथवा यह सत्य है कि यह ऐच्छिक के रूप में अनिवार्य है। ज्योंही आयोग का प्रतिवेदन आयेगा, हम सब पता लगा लेंगे।

Shri Atal Bihari Vajpayee: Mr. speaker, the Hon'ble Minister has admitted that certain foreign companies are compelling the workers togive up their employment, in the name of voluntary retirement, after taking a certain amount, and those, who refuse to do so, are being harassed. In view of that, is the Government not in a position to give notice to the foreign companies to the effect that until the report of the Commission of inquiry is received, no worker should be retrenched ?

Shri Hathi : I have not admitted that they are doing so. What I have said is that the workers are complaining that companies are retiring them in this way whereas the companies say that there is nothing as such, they are doing so as the work load has decreased and when there is no work what they can do ? We have appointed a Commissiton to find what the truth is ?

श्री हेम बरुआ : क्योंकि इस आयोग के निदेश पदों में से एक यह भी है कि यथापूर्व स्थिति बनाये रखी जाये और क्यों कि पुनर्गठन के नाम पर कर्मचारियों की संख्या घटकर इन समवायों द्वारा उसका उल्लंघन भी किया गया है जैसा कि मंत्री जी ने स्वीकार किया है और जब कि मंत्री जी द्वारा आयोग को यह बताये जाने पर भी आयोग ने कर्मचारियों पर अपनी विवशता प्रकट की है तो क्या मैं जान सकता हूँ कि इस आयोग और उसके निदेश-पदों की गरिमा बनाये रखने के लिये, छंटनी किए गए कर्मचारियों की ओर से सरकार ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया ?

श्री हाथी : सर्वप्रथम तो मैं यह निवेदन करता हूँ कि आयोग के निदेश पदों में ऐसा वर्णन नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं।

श्री हेम बरुआ : उन्होंने ऐसा कहा है।

श्री हाथी : मैंने यह कभी नहीं कहा।

श्री हेम बरुआ : मंत्री महोदय ने कहा कि आयोग के निदेशपदों में से एक यह है कि कोई एक पक्षीय निर्णय नहीं होना चाहिये जिसका अर्थ यही है कि यथापूर्व स्थिति बनाये रखनी चाहिये।

श्री हाथी : यह तो श्री इन्द्रजीत गुप्त ने पूछा था; अर्थात कि जब त्रिपक्षीय बैठक हुई थी तो क्या यह निर्णय नहीं हुआ था कि उन्हें कोई एक-पक्षीय निर्णय नहीं लेना चाहिये; और मैंने कहा था कि यह कर्मचारियों की ओर से सुझाव था। हमने यह उनके सामने रखा था परन्तु उन्होंने इसे स्वीकर नहीं किया तथा आयोग के निदेश-पदों में यह शामिल नहीं है।

श्री इंद्रजीत गुप्त : यदि वे इस प्रकार एक-पक्षीय कार्यवाही करते आ रहे हैं तो आयोग का लाभ ही क्या है।

श्री हाथी : आयोग को तथ्यों का पता लगाना है।

श्री हेम बरुआ : ऐसी स्थिति में सरकार क्या कर रही है और क्या करने का विचार करती है? उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है।

श्री हाथी : मैंने विशेष रूप से कहा है कि इस तथ्य का कि ये लोग कदाशय के परिणाम-स्वरूप छंटनी किए गए हैं, आयोग सुनिश्चय करेगा और यदि ऐसा है तो समुचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री रंगा : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि इन विदेशी तेल समवायों में से काफी समवायों ने अपने कार्यकलापों को कम करके तथा यहाँ तेल-शोधन व तेल निकालने आदि के कार्य-कलापों, को अन्ततः त्याग देने की अपनी जिज्ञासा को अप्रत्यक्ष नहीं रखा है; क्या सरकार इन विदेशी तेल समवायों में इस समय काम करने वाले उन उच्च तकनीकी और अन्य प्रशिक्षित कर्मचारियों को अपने भारतीय तेल संस्थानों अथवा सरकार से सम्बन्धित अन्य संस्थानों में रोजगार देने की आवश्यकता और सम्भावना को ध्यान में रख रही है ?

श्री हाथी : हाँ महोदय, यह उत्तम सुझाव है और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि इन विदेशी समवायों के अधिशेष व्यक्तियों का किस सीमा तक अवशोषण किया जा सकता है ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या आयोग की नियुक्त यथापूर्व-स्थिति बनाये रखने के लिये हुई थी अथवा आयोग अपना प्रतिवेदन तब देगा जब छंटनी अन्तिम और पूर्ण हो जायेगी ?

श्री हाथी : आयोग को जाँच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है तथा

इसका कर्त्तव्य तथ्यों का सुनिश्चित करना है। जैसा कि आप जानते हैं, यह अपना निर्णय नहीं देता।

डा० रानेन सेन: इस आयोग की स्थापना से पूर्व भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक अन्य समिति--मेहता समिति-- थी जिसने ऐच्छिक निवृत्ति के प्रश्न पर जाँच की थी और वह इस निष्कर्ष पर पहुँची थी कि ऐच्छिक निवृत्ति वास्तव में ऐच्छिक नहीं प्रत्युत अवपीडक थी तथा, एक अभिप्राय से सरकार ने मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार भी कर लिया था। इसके पश्चात जब नियोक्ताओं ने इनका अनुसरण करना अस्वीकार कर दिया तो इस आयोग की स्थापना हुई। इस तथ्य के प्रकाश में कि नियोक्ताओं की मनोवृत्ति बड़ी जटिल है, भारत सरकार ने आयोग स्थापित करते समय ऐसे निदेश-पद का प्रसंग क्यों न रखा ताकि नियोक्तागण इस प्रकार का नामवारी पुनर्गठन को करने को बाध्य हो जाते ?

श्री हाथी: सांविधिक शक्तियों के अन्तर्गत एक आयोग को नियुक्त करने का ठीक यही कारण था। एक विभागीय समिति नियोक्ता को दस्तावेज प्रस्तुत करने को बाध्य करने तथा उनकी जाँच करने की शक्ति नहीं रखती। सदा यही रुकावट रह जाती है। यही कारण है कि एक सांविधिक आयोग नियुक्त किया गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात

*212. **श्री हिम्मतसिहका : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गत वर्ष की अपेक्षा 1968 में पी० एल० 480 के अन्तर्गत अधिक अनाज का आयात किए जाने की संभावना है जब कि इस वर्ष 950 लाख टन तक अच्छी फसल होने की आशा है ?

(ख) यदि हाँ, तो कितने खाद्यान्नों के आयात के लिये करार किए जा चुके हैं; और

(ग) क्या पी० एल० 480 के अन्तर्गत अनाज की सप्लाई में वृद्धि होने से अगले वित्तीय वर्ष में घाटे का बजट न बनाने में सहायता मिलेगी और यदि हाँ, तो किस हद तक ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

कार्मिक संघों के बीच प्रतिस्पर्धा

*216. **श्री स० मो० बनर्जी : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उपक्रमों में औद्योगिक शान्ति न होने के मुख्य कारणों में से एक कारण कार्मिक संघों के बीच प्रतिस्पर्धा है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है कि इन उपक्रमों में प्रत्येक में केवल एक कार्मिक संघ हो?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) जी हाँ। सरकारी उपक्रमों में औद्योगिक अशांति के कुछ मामले मजदूर संघों की प्रतिद्वंद्विता के कारण हुए हैं।

(ख) जी नहीं, परन्तु अनुशासन संहिता में नियोजकों द्वारा मजदूर संघों को मान्यता दिए जाने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

श्रीलंका से स्वदेश लौटे व्यक्तियों का पुनर्वास

*217. **श्री जंबचेजियान :** **श्री वेदव्रत बरुआ :**
श्री रा० रा० सिंह देव : **श्री य० अ० प्रसाद :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका से स्वदेश लौटे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये कोई योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) और (ख) एक विवरण, जिसमें भारत-श्रीलंका करार, 1964 के अन्तर्गत स्वदेश लौटने वाले भारतीयों को बसाने के सम्बन्ध में उठाए गए कदमों तथा विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा दिया गया है, सभा की मेज पर रख दिया गय है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 186/68**]

निर्वाचन सम्बन्धी सुधार

*218. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** **श्री रा० स्व० विद्यार्थी :**

क्या **विधि** मंत्री 19 दिसम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 753 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसद् और राज्य विधान मंडलों के लिए तथा राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों की विधियों में परिवर्तन तथा सुधार करने के प्रश्न पर कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) :

(क) और (ख) मामला सरकार के विचाराधीन है।

लंबे रेशे वाली रुई के संबन्ध में अनुसंधान

219. **श्री वेदव्रत बरुआ :**
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में लम्बे रेशे वाली रुई के सम्बन्ध में अनुसंधान में शीघ्रता लाने के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने अखिल भारतीय समन्वित परियोजना को आमंत्रित किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो परियोजना इंजीनियर किन भिन्न समस्याओं को सुलझायेंगे।

(ग) यह परियोजना किन-किन क्षेत्रों में काम आरम्भ करेगी; और

(घ) इस परियोजना के लिये कितना धन नियत करने का विचार है?

खाद्य, कृषि तथा सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) :

(क) जी हाँ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने ऐसी एक परियोजना को पहली अप्रैल, 1967 से सारे भारत में कार्यान्वित किए जाने के लिए स्वीकृति दी है।

(ख) यह परियोजना कपास के सुधार के सम्बन्ध में प्रादेशीय तथा अन्तर्प्रदेशीय महत्व वाणी महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करेगी । यह न केवल उन्नत किस्मों को पैदा करके उत्पत्ति विधमक तरीकों द्वारा ही कपास की औसत उपज को बढ़ाने के लिए देश में अनुसंधान को तीव्र करेगी, बल्कि कृषि-अनाकर्षंज तथा रोग और कीट नियंत्रण कार्यों के द्वारा भी समस्याओं को हल करेगी जो कपास-उत्पादन को सीमित करती है

(ग) हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मैसूर, आन्ध्र प्रदेश तथा मद्रास में।

(घ) 1-4-1967 से 31-3-1971 तक चार वर्ष के लिये 56 लाख रुपये ।

Development of Commercial Crops

*220. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the programme chalked out for the development of commercial crops for the current year with a view to boost exports ;

(b) the expenditure likely to be incurred thereon ; and

(c) the probable increase, crop-wise , in production as a result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde):

(a) Centrally Sponsored Schemes for Development of cotton, groundnut, jute, tabacco and cashewnut have been sanctioned by the Central Government in selected areas of different States.

(b) The expenditure likely to be incurred under the Centrally Sponsored Schemes, is Rs. 2.42 crores.

(c) It is too early to indicate probable increase.

चीनी का आयात

*221. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 में सरकार का विचार किस मूल्य पर चीनी का आयात करने का है;

(ख) इस आयातित चीनी को किस प्रकार बेचने का विचार है; और

(ग) आयातित चीनी को किस मूल्य पर बेचने का विचार है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) चीनी का आयात करने के सम्बन्ध में इस समय सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

Cow protection Committee's Report

*222. **Shri Raghuvir Singh Shastri : Shri Brahmanandji :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have received the report of the Cow Protection Committee ;

(b) if so, the main recommendations thereto ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculure, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Committee is engaged in collection of data, examination of witnesses and consideration of important questions connected with this problem. It has not been possible to complete all this yet, inspite of the anexity of the Committee to submit its reporte quickly.

Election Petitions filed in Jammu and Kashmir

*223. **Shri Prakash Vir Shastri : Shri Shiv Kumar Shastri : Shri Ram Avtar Sharma:**

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether the election petitions filed in Jammu and Kashmir in connection with the last General Elections have been decided ; and

(b) the resons for the delay in taking decisions on these petitions ?

The Minister of Law (Shri Govinda Menon) :

(a) 4 election petitions were filed in respect of the last General Elections to the House of the People and 57 election petitions in respect of the election to the State Legislative Assembly. Out of the election petitions in respect of State Legislative Assembly of Jammu and Kashmir, two were disposed of. In the case of one of them, which was dismissed for default, a restoration application is now pending in the High Court.

(b) The petitions in respect of the State Legisltive Assembly were first filed before the five Election Tribunals set up under the Jammu and Kashmir Representation of the People Act, 1957. After the amendment of the Act in September, 1957, they stood trasferred to the High Court. Two ad hoc Judges have been appointed for trying them. The change in the Election Law, transfer of the petitions to the High Court in pursuance of the changed law and the time taken in the appointment of *ad hoc* Judges are the main reasons for delay in the disposal of the petitions.

फसल उगाने की प्रणाली के संबन्ध में गोष्ठी

224. **श्री रवि राय :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था ने हाल ही में दिल्ली में फसल उगाने की प्रणाली पर एक गोष्ठी आयोजित की थी ;

(ख) यदि हाँ, तो गोष्ठी में कितने लेख पढ़े गए थे ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान डा० डी० आर गाडगिल की इस टिप्पणी की ओर दिलाया गया है कि अधिकतर कृषि अनुसंधान सिंचित खेती तक ही सीमित रहा है और 5 प्रतिशत किसान जो असीचित भूमि पर खेती करते हैं इससे वंचित रहे हैं ; और

(घ) इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि , सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) :

(क) जी हाँ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने 27 जनवरी, से 31 जनवरी 1968 तक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में फसल उगाने की प्रणाली पर एक गोष्ठी का आयोजन किया था।

(ख) केन्द्रीय अनुसंधान संस्थाओं, कृषि विश्वविद्यालयों, राज्यों के कृषि विभागों, मौसम विज्ञान विभाग तथा कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने 127 लेख पढ़े थे।

(ग) योजना आयोग के उपाध्यक्ष डा० डी० आर० गाडिगिल ने गोष्ठी के उस सामान्य अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें इन लेखों का पुनर्विलोकन प्रस्तुत किया गया था। अधिवेशन के अन्त में 28 जनवरी 1968 के पूर्वाह्न के अधिवेशन में डा० गाडगिल ने कहा था कि सिंचाई पर बल देने के पश्चात् भी, देश का बहुत सा भाग अभी असीचित रह गया है। असंचित क्षेत्रों की समस्याओं पर विचार करना पड़ेगा और हमारे अनुसंधान कार्यक्रमों में उनको प्राथमिकता देनी पड़ेगी।

(घ) गोष्ठी के क्षेत्रीय समितियों ने जिन्होंने प्रत्येक क्षेत्र के फसल उगाने की प्रणाली के

विषय में विस्तृत लेखों पर विचार-विमर्श किया था, डा० गाडगिल के सुझावों को भी ध्यान में रखा था। वे अन्त में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णयों पर पहुँची :—

"सिंचाई के क्षेत्र को बढ़ाने पर बल देने के पश्चात् भी समस्त क्षेत्रों में, विशेषकर देश के दक्षिणी, उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में, अधिकांश शस्यगत क्षेत्र वर्षा पर आश्रित रहेगा। अतः सिफारिश की गई है कि सूखी खेती के विषय में एक समन्वित अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया जाये ताकि असिंचित क्षेत्रों में शस्य विज्ञान, भूमि तथा जल-संरक्षण और फसल उगाने की प्रणालियों के विषय में नई विधियों का विकास किया जा सके।"

खाद्य क्षेत्र

225. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसानों को अपने उपज के अच्छे मूल्य दिलाने के लिये छ राज्य सरकारों का विचार खाद्य क्षेत्रों को बढ़ाने का है;

(ख) क्या इस बारे में राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से बातचीत की है; और

(ग) क्या केन्द्र ने अनुमति दे दी है और यदि हाँ, तो खाद्य क्षेत्रों में क्या-क्या परिवर्तन करने का प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक बिकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) :

(क) से (ग) हिमाचल प्रदेश सरकार तथा दिल्ली प्रशासन यह सुझाव देते रहे हैं कि इन केन्द्र शासित प्रदेशों को पंजाब खाद्य क्षेत्र में शामिल कर लिया जाना चाहिये। रबी अनाजों की नीति पर विचार करने के लिये मुख्य मंत्रियों की आगामी बैठक में इस प्रश्न पर साथ ही खाद्य क्षेत्रों को बनाये रखने अथवा न रखने के प्रश्न पर पूर्ण को भाँति विचार किया जायगा।

समुदाय विकास परियोजना का अभिनवीकरण

*226 **श्री सीता राम केसरी :** **श्री भोगेन्द्र झा :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुदाय विकास परियोजनाओं का अभिनवीकरण करने की कोई योजनायें अन्तिम रूप से तैयार की है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एन० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख) इस विषय पर अभी तक राज्य सरकारों से विचार-विमर्श चल रहा है।

खाद्यान्नों के लिये राजसहायता

*228. **श्री विश्वम्भरन :** **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री रामावतार शास्त्री : **श्री सेज़ियान :**
श्री वेंगलाराया नायडू :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को सप्लाई किए जाने वाले खाद्यान्नों पर राज-सहायता देना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इससे कितनी बचत हुई है;

(ग) इस निर्णय का किन-किन राज्यों पर प्रभाव पड़ा है; और

(घ) क्या किसी राज्य सरकार ने केन्द्र से यह राज-सहायता जारी रखे जाने के लिए प्रार्थना की है और यदि हाँ, तो कौन-कौन से राज्यों ने और इसके बारे में सरकार की या प्रतिक्रिया है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) केवल आयातित गेहूँ पर दी जाने वाली राज-सहायता पूर्णरूप से बन्द कर दी गयी है जब कि अन्य खाद्यान्नों अर्थात आयातित माइलो और आयातित मोटे चावल जो कि राज्य सरकारों को केन्द्रीय भण्डार से सप्लई किए जाते हैं, पर दी जाने वाली राज-सहायता में कुछ हद तक कमी की गयी है।

(ख) 1-1-1968 से राज-सहयायता में यह बचत आयातित गेहूँ के बारे में 12 रुपए प्रति क्विंटल, आयातित माइलो के बारे में 8 रुपए प्रति क्विंटल और मोटे चावल के बारे में 16 रुपए प्रति क्विंटल है।

(ग) पहली जनवरी, 1968 से सभी राज्यों के लिये खाद्यान्नों का निर्गम मूल्य एक-सा निर्धारित कर दिया गया है। खाद्यान्नों के निर्गम मूल्यों में वृद्धि के फलस्वरूप राज्यों में मूल्यों में कोई अन्तर नहीं है।

(घ) केरल सरकार से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें चावल के निर्गम मूल्यों में वृद्धि के कारण राज-सहायता देने के लिये कहा गया था। इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया था।

आयातित गेहूँ तथा माइलो के निर्गम मूल्यों में वृद्धि के सम्बन्ध में दूसरा अभ्यावेदन बिहार सरकार से प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार की निर्गम मूल्यों में वृद्धि को उनके राज्य में लागू न करने की बात को भी स्वीकार नहीं किया गया था।

खाद्यान्न का रक्षित भण्डार

*229. **श्री चन्द्र शेखर सिंह**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 14 नवम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 39 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि खाद्यान्न का रक्षित भण्डार बनाने के लिये इस बीच क्या ठोस कार्यवाही की गई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

सभी राज्य सरकारों और भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्नों की अधिक से अधिक अधिप्राप्ति करने के लिये कहा गया है। राज्य सरकारें अधिप्राप्त स्टाक का कुछ भाग आरक्षित स्टाक बनाने के लिये अलग रख रही हैं। केन्द्रीय सरकार खाद्यान्नों का आवंटन करने में नियंत्रण रख रही है।

Industrial Committee on Banking Industry

*230. **Shri Nihal Singh** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 158 on the 21st November, 1967 and state :

(a) whether Government have since take a deci sion in regard to the setting up on an Industrial Committee on Banking Industry ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, when a decision is likely to be taken thereon ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) Yes and the first Meeting of the Committee has been convened on the 23rd March 1968.

(b) A statement showing the composition of the Committee is placed on the Table of the House. **(Placed in Library. See. No. LT-187/68)**

(c) Does not arise.

वसूली मूल्य निर्धारित किया जाना

*231. **श्री श्रद्धाकर सुपकार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न राज्यों के लिये धान तथा चावल की वसूली मूल्य किस-किस तारीख तक निर्धारित किए गए थे ;

(ख) क्या ये मूल्य फसल की कटाई शुरू होने के काफी समय बाद निर्धारित किए गए थे जिससे उत्पादकों को लाभ नहीं हुआ ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदयिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) सभी राज्यों के लिए धान के मानक किस्म के अधिप्राप्ति मूल्यों को राज्य सरकारों को 10-10-67 को सूचित कर दिया गया था। उनसे चावल के अधिप्राप्ति मूल्यों का हिसाब लगाने के लिये कहा गया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

लोह तथा मैंगनीज कर्मचारी मजूरी बोर्ड

*232. **डा० रानेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, 1967 में लोहे तथा मैंगनीज कर्मचारी मजूरी बोर्ड की सर्वसम्मति से की गई सिफारिश सरकार ने मान ली थी और उसके अनुसार जुलाई, 1967 में नियोजकों ने अपने कर्मचारियों को दो किस्तों में भुगतान कर दिया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसके बाद सरकार ने यह पंचाट न्यायाधिकरण के पास भेज दिया था ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी):

(क) कच्चा लोहा खान सम्बन्धी मजूरी बोर्ड की अंतिम सिफारिशें जून, 1967 में स्वीकार की गई (मैंगनीज खानों के लिए कोई बोर्ड स्थापित नहीं किया गया था)। बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार नियोजकों द्वारा वास्तव में किए गए भुगतान के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) और (ग) मजूरी बोर्ड की सफारिशों में सांविधिक पंचाट की शक्ति नहीं है। फिर भी, सिफारिशों को लागू न करने के सम्बन्ध में बारबिल क्षेत्र के 15 प्रबन्धकों और उनके कर्मचारियों के विवाद को 28 दिसम्बर, 1967 को न्यायनिर्णय के लिये भेज दिया गया है।

किसानों को प्रोत्साहन

*233. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** **श्री लीलाधर कटकी :**
श्री श्रीगोपाल साहू :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस 'सीजन' में बढ़िया बीज तथा उर्वरक उपयोग में लाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन दिए गए हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उर्वरकों की माँग बहुत अधिक थी और सरकार केवल 30 प्रतिशत माँग ही पूरी कर सकी थी ; और

(घ) क्या सरकार अथवा कुछ बैंकों ने किसानों को बीज अथवा उर्वरक खरीदने के लिए ऋण दिए हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) 1967-68 में उर्वरकों की माँग को काफी हद तक पूर्ण कर दिया गया है।

(घ) जी हाँ। राज्य सरकारें और कुछ बैंक, जिनमें सहकारी बैंक भी शामिल हैं, बीज तथा उर्वरकों के क्रय के लिए ऋण प्रदान करते हैं।

परती भूमि में सहकारी खेती

*234. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसी भूमि का सर्वेक्षण किया है जिसमें खेती आरम्भ की जा सकती है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस समय परती पड़ी भूमि में एक भूमि सेना संगठित कर के सहकारी खेती करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी, हाँ।

(ख) 1964–65 के लिए नवीनतम उपलब्ध भूमि उपयोग आँकड़ों के अनुसार बंजर भूमि का अभिलिखित क्षेत्र 750 लाख एकड़ है। तथापि, इस भूमि के अधिकांश भाग पर आर्थिक लागत पर खेती नहीं की जा सकती। देश में कितनी कृषि बंजर भूमि है इसका निर्धारण करने के लिए भारत सरकार ने सन् 1959 में बंजर भूमि सर्वेक्षण समिति की नियुक्ति की थी। इस समिति ने 250 एकड़ से अधिक के खंडों में 12.23 लाख एकड़ कृषि बंजर भूमि को खोज निकाला।

हाल ही में भारत सरकार ने बंजर भूमि सर्वेक्षण समिति के कार्य की परिपूर्ति के लिए 250 एकड़ से कम के खंडों में बंजर भूमि का दुबारा सर्वेक्षण किया। यह सर्वेक्षण कार्य अभी चल रहा है और अब तक 44 लाख एकड़ का क्षेत्र खोज निकाला है जिसमें सुधार के उपरान्त कृषि की जा सकती है।

(ग) और (घ) सरकार ने राज्यों को सुझाव दिया है कि नीति के तौर पर सरकारी बंजर भूमि का सहकारी कृषि समितियों के साथ समाधान अधिमान्य आधार पर किया जाए। तथापि इस कार्य के लिए 'भूमि सेना' के संगठन का कोई सुझाव नहीं है। न ही कोई ऐसा उपाय व्यवहार्य है, न केवल इसलिए कि भूमि राज्य का विषय है बल्कि इसलिए भी कि सहकारी आधार पर ऐच्छिक प्रयत्नों का एकीकरण अधिशासन की अपेक्षा अच्छा समझा जाता है।

Abolition of Food Zones

*235. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the imported wheat would not be supplied by the Central Government to the States not agreeing to abolish the food zones ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde):

(a) No; Sir.

(b) Does not arise

खरीफ के अनाजों का समाहार

236. **श्री गु० सिं० ढिल्लों** : क्या **खाद्य तथा कृषिमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग ने चावल तथा खरीफ अनाजों के समाहार के सम्बन्ध में जिस मूल्य-मान की सिफारिश की है, उसे विभिन्न राज्य सरकारों ने स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो कृषि मूल्य आयोग द्वारा सुझाये गए मूल्य-मान तथा उनके मंत्रालय द्वारा वस्तुतः निर्धारित मूल्यों में कितना अन्तर है और उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) प्रतिप्राप्ति मूल्य जो अंततः निर्धारित किए गए हैं वे कृषि मूल्य आयोग द्वारा अभिस्तावित मूल्य से अपेक्षाकृत कुछ अधिक हैं।

(ख) सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 188/68**]

गन्ने के मूल्य

*237. **श्री काशीनाथ पाण्डे** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग ने वे न्यूनतम मूल्य और फैक्टरी मूल्य सुझाये हैं जिन पर चीनी बनाने वाली मिलों को गन्ना सप्लाई किया जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सूत्र को कब तक लागू किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) कृषि मूल्य आयोग ने गन्ने के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का सुझाव तो दिया है किन्तु चीनी मिलों को दिए जाने वाले गन्ने के फैक्टरी मूल्य के बारे में सुझाव नहीं दिया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Export of Maize From Haryana

*238. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many businessmen had exported maize from Haryana to other States with valid permits under special orders issued by the former Government of Haryana ;

(b) if so, the grounds on which Government have instituted proceedings against the business men by confiscating maize belonging to them ;

(c) whether it is also a fact that the confiscated maize is rotting and after sometime it will not be fit for human consumption ; and

(d) if so, the steps taken to prevent this loss ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) and (b) Some cases have been instituted for contravention of the provisions of the Northern Inter-Zonal Maize (Movement Control) Order, 1967, issued by the Central Government. Some writ petitions are also pending in the High Courts of Caclutta, Delhi, Punjab and Haryana on these matters.

(c) The maize which has been confiscated was already in a weevilled condition by the time the custody of it was given to the Food Corporation by the Court.

(d) The Food Corporation took prompt steps to fumgiate the stock to prevent further deferioration.

स्थानीय दैनिक समाचारपत्रों द्वारा हड़ताल

*239. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** **श्री कंवरलाल गुप्त :**
श्री रामगोपाल शालवाले : **श्री बलराज मधोक :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों ने 24 जनवरी, 1968 को हड़ताल की थी और 25 जनवरी, 1968 को कोई समाचारपत्र प्रकाशित नहीं हुआ था ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) और (ख) समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों ने पत्रकारों व गैर-पत्रकारों के मजूरी बोर्डों की सिफारिशें नियोजकों द्वारा क्रियान्वित न किए जाने के विरोध में 24 जनवरी, 1968 को एक सांकेतिक हड़ताल की।

(ग) राज्य सरकारों को यह परामर्श दिया गया है कि वे सिफारिशों को क्रियान्वित कराने के लिये आवश्यक कार्यवाही करें। इस मामले पर नियोजकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ 17 फरवरी, 1968 को नई दिल्ली में हुई बैठक में भी विचार-विमर्श किया गया।

मजदूरों के लिये पेंशन योजना

*240. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री देवेन सेन :**
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत भविष्य निधि के कुछ भाग को मजदूरों के लिये बुढ़ापे तथा जीवनयापन पेंशन और सेवानिवृत्ति उपदान में बदलने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस योजना को कब से लागू किया जायेगा ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) कोयला खान भविष्य निधि और कर्मचारी भविष्य निधि के कुछ भाग को सेवानिवृत्ति-व-परिवार पेंशन में बदलने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) अभी ब्यौरा तैयार करना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नजफगढ़ नाला (दिल्ली) में जल के दूषित होने के कारण मछलियों की मृत्यु

1516. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में नजफगढ़ नाले में औद्योगिक कारखानों द्वारा फेंकी गई विषाक्त गन्दी सामग्री भरी रहने के कारण जल दूषित हो जाने के परिणामस्वरूप प्रति दिन 15 से लेकर 20 मन तक मछलियाँ विषाक्तता से मर जाती हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) यह सही है कि दिल्ली में नजफगढ़ नाले में औद्योगिक कारखानों और निगम द्वारा फेंकी गई गन्दी सामग्री की मिलावट के कारण मछलियाँ मर जाती हैं परन्तु ऐसा अनुमान नहीं लगाया गया है जिससे यह पता चले कि वास्तव में कितनी मछलियाँ मरती हैं।

(ख) केन्द्रीय अन्तर्देशीय मात्स्य की अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर तथा केन्द्रीय जन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, नागपुर, नामक दो एजेन्सियों ने इस समस्या के विषय में जाँच की है। दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली नगर निगम तथा हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स लिमिटेड से प्रार्थना की है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि नगरपालिका और औद्योगिक कारखानों के जिस गन्दे जल को बहावें वह विषाक्त न रहे। स्वास्थ्य मंत्रालय जल में गन्दगी की मिलावट को रोकने के विषय में उचित कानून बनाने के प्रश्न पर विचार कर रहा है।

डाक तथा तार विभाग की प्रशुल्क युक्तिकरण समिति

1517. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग के प्रशुल्क के युक्तिकरण का अध्ययन करने के लिये डाक तथा तार विभाग की प्रशुल्क युक्तिकरण समिति के प्रत्येक सदस्य को जिनमें उसका सभापति भी शामिल है उपलब्धियों, परिलब्धियों, विमान भाड़े के रूप में कितनी राशि दी जाती है और कितनी अवधि तक;

(ख) क्या इस समिति का कोई सदस्य विदेश गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उस सदस्य का नाम क्या है और प्रत्येक दौरा किस किस तिथि को किया गया, उस पर भारतीय तथा विदेशी मुद्रा में कितना व्यय हुआ और विमान भाड़े पर क्या व्यय हुआ और उसने किन-किन देशों का दौरा किया?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 189/68]**

(ख) समिति के काम से किसी सदस्य ने बाहर के किसी भी देश का कोई दौरा नहीं किया।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता :

डाक तथा तार विभाग की प्रशुल्क वैज्ञानिक समिति

1518. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग की प्रशुल्क वैज्ञानिक समिति ने क्या सिफारिश की है; और

(ख) उनमें से कितनी सिफारिशें स्वीकार की गई हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) डाक-तार विभाग द्वारा नियुक्त की गई शुल्क-दर जाँच समिति ने 14-2-1968 को अंतरिम रिपोर्ट पेश कर दी है। समिति की अन्तिम रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है।

(ख) इस समय यह प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे डाक सेवा के कार्यालयों का गुंटाकल स्थानान्तरण

1519. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे डाक सेवा का एक कार्यालय जो आन्ध्र प्रदेश के बड़े भाग की सेवा करता है, अभी तक मद्रास में है;

(ख) क्या सरकार को रेलवे डाक सेवा के कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें उन्होंने यह प्रार्थना की है कि उनका तबादला गुंटाकल किया जाय; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने उनके अभ्यावेदन पर क्या निर्णय किया है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) यह मामला विचाराधीन है।

उड़ीसा में चीनी का वितरण

1520 . **श्री रवि राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले महीने भारतीय खाद्य निगम के उड़ीसा के प्रादेशिक प्रबन्ध द्वारा सम्बलपुर में दिए गए इस आशय के वक्तव्य की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया है कि भारतीय खाद्य निगम केवल खुले बाजार में ही चीनी का वितरण करने की जोखिम नहीं उठायेगा, अपितु उड़ीसा सरकार द्वारा अधिकार दिए जाने पर कंट्रोल तथा खुले बाजार दोनों में ही चीनी का वितरण करेगा ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) भारतीय खाद्य निगम ने उड़ीसा सरकार को सूचित किया है कि निगम नियंत्रित चीनी के आयात और उसके वितरण सम्बन्धी कार्य करने के लिये तैयार है, किन्तु चीनी की खुले बाजार में बिक्री के लिये नहीं, क्यों कि उसके मूल्यों में काफी उतार-चढ़ाव रहता है।

(ख) सरकार निगम के विचारों से सहमत है।

उड़ीसा में तम्बाकू

1521. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय उड़ीसा में तम्बाकू का बिना बिका स्टाक पड़ा है;

(ख) यदि हाँ, तो कितना तम्बाकू है; और

(ग) क्या इस स्टाक को खरीदने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। बिना बिके भण्डारों के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं होते।

Import of Russian Tractors

1522. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Uttar Pradesh Government have demanded 1000 Russian tractors from the Central Government to meet the demand of the applicants during the year 1967-68; and

(b) if so, action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) The Government of Uttar Pradesh have recently made a request for allotment of 5,000 Russian tractors to meet the demand in their State.

(b) The Government of Uttar Pradesh's request will be kept in view while making allocations of tractors to be imported from U. S. S. R. in future. However, it may not be possible to meet the demand fully in view of the fact that the import may be limited and there are pending demands in other parts of the country.

कार्मिक संघों द्वारा हड़ताल

1523. **श्री लीलाधर कटकी :** **श्री वेणी शंकर शर्मा :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कार्मिक संघ छोटे-छोटे मामलों पर हड़ताल करते हैं, जब कि राष्ट्र एक दिन के उत्पादन की हानि भी सहन नहीं कर सकता; और

(ख) यदि हाँ, तो कार्मिक संघों की इस प्रकार की कार्यवाही को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हाँ, कुछ मामलों में।

(ख) हड़ताल किए बिना विवादों को शीघ्र और सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए नियोजकों और श्रमिकों की सहायता करने का काम केन्द्र तथा राज्यों को क्रियान्वित मशीनरी को सौंपा गया है।

Translation of the Constituton of India into Regional Languages

1524. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) Whether the work of translating the Constitution of India into all the regional languages has been completed ;

(d) if not, when it is likely to be completed ; and

(c) whether the Hindi translation of the Constitution is being revised ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Mohammad Yunus Saleem) :

(a) and (b) The Constitution of India was translated into all the regional languages after it came into force. The translations were published during the period 1951 to 1955.

(c) The question of bringing out an upto date Hindi version of the Constitution of India is under consideration.

पश्चिम बंगाल के पोस्ट मास्टर-जनरल द्वारा दक्षिण वियतनाम सम्बन्धी पुस्तकों पर प्रतिबन्ध

1525. **श्री प० गोपालन :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री राममूर्ति : **श्री उमा नाथ :**

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सर्किल के पोस्ट मास्टर जनरल ने 31 अक्तूबर, 1967 के अपने परिपत्र संख्या 7 द्वारा दक्षिण वियतनाम सम्बन्धी कुछ पुस्तकों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हाँ।

(ख) इन पुस्तकों के प्रसारण पर इस कारण प्रतिबन्ध लगा दिया गया था कि उन पर समुद्री सीमा कर अधिनियम, 1878 की धारा 19 के अन्तर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमसंख्या 25-सीमाकर दिनांक 9 मार्च, 1960 तथा 5-कैम्प (सीमाकर) दिनांक 12 फरवरी, 1944 के उपबन्ध लागू होते हैं, जिन्हें सीमाकर अधिनियम, 1962 की धारा 11 के अन्तर्गत जारी हुआ माना गया है।

Reservation of Russian Tractors

1526. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have reserved any quota of Russian tractors:

(b) if so, the makes of the tractors so reserved and the number of each of them ; and

(c) the class of Defence employees for whom they have been reserved ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) No individual except for defence personnel is entitled to priority allotment of Soviet tractors. However, the following institutions are eligible for allotment of out-of-turn priority;

(i) Government, semi-government or public sector organisations including such institutions as Agricultual Universities or autonomous bodies under the Government provided the tractor is needed for agricultural purposes;

(ii) Agro-Industries Corporations.

(iii) Municipalities and Gram Panchayats if they need the tractors for agricultual or allied purposes ; and

(iv) educational institutions and co-operative orgaisations owning and if they need the tractors for agricultural purposes.

A quota is reserved for defence personnel. This quota is 17 percent of any particular import in the northern region and 1% of the same in other regions.

(b) These principles would apply to DT-14B and Byelarus tractors imported from the Soviet Union. No numbers are reserved and priority allotment according to the principles indicated above is made on the basis of applications received. In the case of defence personnel, however, the earmarked quota is distributed to individual officers by the Ministry of Defence.

(c) Any person who is working or has worked in the armed forces can be considered for an allotment out of the quota reserved for the Ministry of Defence. Allotment to individuals, however, is made, as pointed out above, by the Ministry of Defence (Directorate General of Resettlement).

डाक फार्मों की बिक्री

1527. **श्री सैय्यद अली** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डाक फार्मों के अपव्यय और हानि को रोकने के लिये सरकार का विचार इन फार्मों को 1 पैसे प्रति फार्म के नाम-मात्र मूल्य पर बेचने का है, जो वापिस नहीं किया जा सकेगा ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री इ० कु० गुजराल) :मनीआर्डर फार्म 3 पैसे प्रति फार्म की मामूली कीमत पर पहले से ही बेचा जा रहा है और इस रकम को मनीआर्डर बुक करने के समय मनी आर्डर कमीशन की रकम से काट दिया जाता है। जहाँ तक दूसरे फार्म का सम्बन्ध है, उनकी कीमत वापस करने या वापस न करने की व्यवस्था करके उन्हें बेचने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी पुस्तक रूप में एक साथ बहुत से फार्म बेचे जाने पर उनकी कीमत वसुल की जाती है।

भिवानी तहसील में अकाल सहायता कार्य

1528. **श्री तुलशीदास जाधव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाना सरकार ने अकाल सहायता योजना के अन्तर्गत भिवानी तहसील के लिये कितनी धन राशि मंजूर की है; और

(ख) स्वीकृत राशि में से अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) हरियाना सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में "64–अकाल सहायता" शीर्ष के अन्तर्गत

भिवानी तहसील के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्यों के लिये 11.50 लाख रुपए की एक राशि मंजूर की थी।

(ख) मंजूर की गई राशि में से अब तक 2,23,423.73 रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

भिवानी तहसील में नहरें खोदना

1529. **श्री तुलशीदास जाधव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अकाल सहायता योजना के अन्तर्गत भिवानी तहसील में नहरें खोदने पर हरियाना सरकार ने अब तक कितना धन व्यय किया है; और

(ख) उस तहसील में नहरें खोदने का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भिवानी तहसील में नहरों की खुदाई पर अब तक 13,26,622 रुपए व्यय हुए हैं।

(ख) 1969–70 में।

मछेरों को भूमि का आवंटन

1530 . **श्री लोबो प्रभु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी भूमि पर बनाये हुए मकानों में दयनीय दशा में रहने वाले मछेरों को भूमि का आवंटन करने तथा उन्हें सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ऋण देने की कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक-विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) और (ख) मछेरों को भूमि का आवंटन करने तथा उन्हें सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ऋण देने के लिए कोई केन्द्रीय योजना नहीं बनाई गई है। मछेरों के लिए गृह निर्माण करने के विषय में कई राज्य सरकारों ने उदार योजनायें बनाई हैं जिनमें से कुछ योजनायें भूमि आवंटन करने तथा गृह निर्माण हेतु ऋण प्रदान करने के विषय में हैं। इन योजनाओं के लिए अनुदान के निश्चित प्रतिमान के आधार पर केन्द्रीय सरकार से व्यय के 20 प्रतिशत तक अनुदान तथा 30 प्रतिशत तक ऋण मिल सकता है।

खाद्यान्नों के मूल्य

1531. **श्री वेद व्रत बरुआ** :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अच्छी फसल होने की सम्भावना का खाद्यान्नों के मूल्यों पर कोई प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हाँ, तो खाद्यान्नों के मूल्यों में कितनी कमी हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) अक्तूबर, 1967 और फरवरी, 1968 के बीच खाद्यान्नों के मूल्यों में कुल मिला कर गिरावट आयी है।

(ख) अनाजों के थोक मूल्यों का अखिल भारतीय सूचकांक अक्तूबर, 1967 में 220.1 पर था और यह गिर कर फरवरी, 1968 के दूसरे सप्ताह में 208.1 पर आ गया।

खाद्यान्नों के लिए राज सहायता

1532. **श्री वेदव्रत ब आ :** **श्री देवकी नंदन पाटोदिया :**
श्री रा० रा० सिंह देव : **श्री य० अ० प्रसाद :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों पर दी जाने वाली राजसहायता हटा ली जाने के परिणामस्वरूप बचे हुए धन का उपयोग देश में कृषि के विकास के लिये करने हेतु सरकार ने कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक-विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Delhi Milk Scheme

1533. **Shri N. S. Sharma :** **Shri Ram Gopal Shalwale:**
Shri R. S. Vidyarthi : **Shri Sharda Nand :**
Shri Kanwar Lal Gupta : **Shri Ram Charan :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the additional requirement of milk of the Delhi Milk Scheme to enable to meet the demand for milk in Delhi fully ;

(b) the additional qantity of milk procured by the Delhi Milk Scheme after the recent increase in prices ;

(c) whether it is a fact that there are some factories near about Delhi where milk is used resulting in the inadequate supply of milk to the Delhi Milk Scheme :

(d) if so, whether Government propose to impose some restrictions on the said factories; and

(e) the steps taken to augment the milk supply in Delhi ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) The team of Experts which examined working of the D. M. S. in 1964 had estimated requirements of the Delhi City at 5,00,000 litres per day. The D. M. S. is at present handling

approximately 2,20,000 litres per day and would require appoximately 2,80, 000 litres more per day to meet the city's requirements as assessed by the Experts Team in 1964.

(b) No additional procurement has been made after the increase of price from 25th December, 1967.

(c) Yes.

(d) There is no proposal for imposing restrictions on these factories. But a proposal which aims at giving D. M. S. priority in collecting milk in certain areas around its chilling centres is under consideration of the Government in consultation with the State Governments.

(e) Four sets of intensive cattle development programmes are being implemented during the Fourth Plan in Meerut District in U. P., Gurgaon and Karnal Districts in Haryana and Bikaner District in Rajasthan to augment milk supply for Delhi Milk Scheme.

सरकार के पास खाद्यान्नों का स्टाक

1534. **श्री ना० स्व० शर्मा :** **श्री शारदा नन्द :**
श्री राम गोपाल शालवाले : **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास इस समय कितनी मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हैं और कितनी मात्रा में खाद्यान्न जमा करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) क्या उन बड़े नगरों में, जहाँ राशन व्यवस्था लागू है, राशन में उतना अनाज देने का सरकार का विचार है, जितने अनाज की एक व्यक्ति को सामान्यतः आवश्यकता होती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) फरवरी, 1968 के शुरू में केन्द्रीय सरकार के पास लगभग 5.6 लाख मीटरी टन खाद्यान्न उपलब्ध थे, जिसमें मार्ग में और गोदियों तथा जहाजों के खावों में पड़ी मात्रा शामिल नहीं है। केन्द्रीय और राज्य सरकारों के पास लगभग 30 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का एक भण्डार तैयार करने का विचार है।

(ख) राशन की मात्रा खाद्यान्नों की उपलब्धि के आधार पर निर्धारित की जाती है। सरकार की यह कोशिश होती है कि राशन की मात्रा पर्याप्त हो जिससे सामान्य आवश्यकताएं पूरी हो सकें।

Smuggling of Foodgrains

1536. **Dr. Surya Prakash Puri :** **Shri Ram Avtar Sharma :**

Will the Minister of **Food and Agriculture be** pleased to state :

(a) the number of cases of smuggling of foodgrains into Delhi from its adjoining States detected by the Police during the last two months ; and

(b) the number of persons arrested in this connection and the action taken against them?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) 17.

(b) 17 persons were arrested out of which 6 have been convicted by Courts and cases against 11 persons are pending trial.

टेलीफोन के उपकरण बनाने का कारखाना

1537. **श्री सु० कु० तापड़िया : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन उपकरण बनाने का एक और कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) दूसरा कारखाना स्थापित करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने सरकार से प्रार्थना की है कि यह कारखाना राजस्थान में लगाया जाये; और

(घ) यदि हाँ, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हाँ। लम्बी दूरी के प्रेषण उपस्कर (लॉंग डिस्टेंस ट्रांसमिशन एक्विप्मेंट) के निर्माण के लिये एक नया कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) यह नया कारखाना बंगलौर स्थित वर्तमान टेलीफोन कारखाने के प्रेषण उपस्कर के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये इस उपस्कर का निर्माण करेगा।

(ग) जी हाँ।

(घ) प्रस्तावित करखाने के स्थान के विषय में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

भारत में डाकघर

1538. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक भारत में डाकघरों की संख्या एक लाख हो जायेगी ;

(ख) यदि हाँ, तो इसपर कितना धन व्यय किया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि डाक तथा तार विभाग को डाकघरों से प्रति वर्ष लगभग एक करोड़ रुपए की हानि हो रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो देश में ऐसे अलाभप्रद डाकघरों की संख्या कितनी है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) से (घ) फंड उपलब्ध होने तथा विभागीय मानकों के पूरा होने पर 1968-69 के वित्तीय वर्ष के दौरान देश में एक लाख डाकघरों के लक्ष्य तक पहुँचने की संभावना है। नए डाकघर खोलने के लिए हरेक वित्तीय वर्ष में फंड नियत कर दिया जाता है और लगातार यही क्रम काफी लम्बे अर्से से चला आ रहा है। एक लाख डाकघर हो जाने का लक्ष्य प्राप्त करने

की कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। खोले जाने वाले सभी नए डाकघरों को "प्रायोगिक डाकघर" माना जाता है और उनकी वित्तीय स्थिति की हरेक वित्तीय वर्ष में जाँच की जाती है। उन प्रायोगिक डाकघरों को, जो घाटे की स्वीकृत सीमा के भीतर काम करते हैं, स्थायी बना दिया जाता है और ऐसे स्थायी डाकघरों की हानि या लाभ को आगे और पुनरीक्षा नहीं की जाती। 1966-67 के दौरान "प्रायोगिक डाकघरों" को चालू रखने पर, 31-3-1967 को, जिनकी संख्या 28,186 थी, विभाग को एक करोड़ रुपए से कुछ अधिक का घाटा हुआ है।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की प्राप्ति

1539. **श्री नम्बियार :** **श्री सत्यनारायण सिंह :**
श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दिसम्बर, 1967 और जनवरी, 1968 में प्रति मास कितना दूध प्राप्त किया गया ;

(ख) क्या पिछले वर्ष की तुलना में दूध की प्राप्ति में कमी हो रही है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या इस मामले में सरकार का जाँच करने का विचार है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) दिसम्बर, 1967 : 59,01,925 लिटर
जनवरी, 1968 : 54,91,852 लिटर

(ख) जी हाँ।

(ग) मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(i) दिल्ली और अन्य शहरी केन्द्रों में गैर-सरकारी व्यापार के लिए दूध का प्रयोग।

(ii) दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध क्षेत्रों में संघनित दूध आदि तैयार करने वाले दुग्ध उत्पाद कारखानों में दूध का प्रयोग।

(iii) दुग्ध क्षेत्र से बाहर रिक्त दुग्ध उत्पाद कारखाने के लिए दूध का निर्यात।

(घ) स्थिति का पता है। दुग्ध परिवहन, संघनित दूध और ऐसे अन्य पदार्थों के लिए दूध के उपयोग या कच्चे दूध वाले दुग्ध पदार्थ सम्बन्धी कारखाने की स्थापना करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। ये कारखाने अपर्याप्त मात्रा में दूध को खरीद लेते हैं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सर्कस कर्मचारियों की मांगें

1540. **श्री नम्बियार :** **श्री पी० राममूर्ति :**
श्री एस्थोस :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 5 दिसम्बर, 1967 के अतरांकित प्रश्न संख्या 3034 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम ब्यूरो के निदेशक ने अखिल भारतीय सर्कस कर्मचारी संघ की माँगों के सम्बन्ध में जाँच इस बीच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) जाँच कब तक पूरी हो जाने की संभावना है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी):

(क) श्रम जाँच ब्यूरो ने प्रायोगिक जाँच कर ली है और अब उसका विचार शीघ्र ही मुख्य जाँच शुरू करने का है।

(ख) और (ग) ऊपर (क) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विलम्ब का कारण यह है कि अखिल भारतीय सर्कस कर्मचारी संघ और इंडियन सर्कस फेडरेशन ने, जिनसे सर्कस कम्पनियों की सूची तथा कुछ अन्य आवश्यक ब्यौरा भेजने के लिये प्रार्थना की गई थी, अभी तक अपेक्षित सूचना नहीं दी है। इंडियन सर्कस फेडरेशन की ओर से अनेक स्मरण-पत्रों के बावजूद भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

(ङ) आशा है कि जाँच शुरू होने की तारीख से छः मास के अन्दर पूरी हो जायगी।

सहकारी भंडार, नई दिल्ली

1541. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री पी० राममूर्ति :**
श्री अब्राहम :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में कनाट प्लेस में स्थित सहकारी भंडार के कर्मचारियों ने जनवरी, 1968 के प्रथम सप्ताह में हड़ताल की थी;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी क्या माँगें थीं; और

(ग) इस विवाद को निपटाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

खाद्य, कृषि, समुदायिक-विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) :

(क) जी हाँ। कोआप्स, कनाट प्लेस, नई दिल्ली के कर्मचारियों ने 10 जनवरी, 1968 से प्रबन्ध समिति द्वारा फालतू समझे गए 16 कर्मचारियों की छंटनी का विरोध करने के लिए हड़ताल की थी।

(ख) हड़तालियों ने छंटनी किए गए कर्मचारियों को बहाल करने की माँग की थी।

(ग) नई प्रबन्ध समिति द्वारा प्रबन्ध संभालने के उपरान्त हड़ताल बिना शर्त समाप्त कर दी गई थी। नई प्रबन्ध समिति ने 16वें में से 8 कर्मचारियों को बहाल कर दिया।

पूर्वी पाकिस्तान से आयेहु ए शरणार्थियों के लिये पुनर्वास केन्द्र

1542. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री गणेश घोष :**
श्री भगवान दास :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 5 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3081 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभाजन से लेकर अब तक पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों के लिये राज्यों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों में स्थापित किए गए पुनर्वास केन्द्रों की संख्या के बारे में जानकारी इस बीच इकट्ठा कर ली गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) यह जानकारी कब तक एकत्र हो जाने की संभावना है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) से (घ) जी, हाँ। पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के लिये राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित किए गए पुनर्वास केन्द्रों के बारे में जानकारी आसाम को छोड़कर एकत्रित कर ली गई है। एक विवरण जिसमें इसका ब्यौरा दिया गया है सभा की मेज पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 190/68]**

ब्यौरेवार जानकारी जो माननीय सदस्य ने पूछी थी वह विभिन्न जिलों तथा स्थानीय कार्यालयों से एकत्रित करनी थी और उसमें बहुत संख्या में पुराने रिकार्डों का निर्देश था। आसाम सरकार से प्रार्थना की गई है कि अपेक्षित जानकारी शीघ्र एकत्रित करके प्रस्तुत की जाये। जैसे ही आसाम सरकार से जानकारी प्राप्त होती है उसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थी

1543. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1967 तक पूर्वी पाकिस्तान से कितने शरणार्थी भारत में आये ;

(ख) उनमें से अब तक कितने शरणार्थियों को बसाया गया है, और कितने लोगों को अभी बसाया जाना शेष है तथा उनको बसाने पर कुल कितना धन व्यय हुआ है ;

(ग) कितने विस्थापित लोगों को कृषि-भूमि दी गई है ; और

(घ) कितने विस्थापित लोग पश्चिम बंगाल में बसाये गए हैं और कितने लोग अन्य राज्यों में, रज्यवार, बसाये गए हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) हमारे पास जो जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर दिसम्बर, 1967 तक पूर्वी पाकिस्तान से लगभग 50.11 लाख व्यक्ति भारत आये हैं।

(ख) जिन्हें शिवरों में आवास दिया गया था उनमें से लगभग 29.53 लाख व्यक्तियों को अब तक बसाया जा चुका है। लगभग 1.01 लाख नए प्रव्रजक सहायता शिविरों में हैं जो विभिन्न राज्यों के पुनर्वास स्थलों में भेजे जाने की प्रतीक्षा में हैं।

1966-67 के अन्त तक पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों की सहायता तथा पुनर्वास पर 258.43 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 1967-68 के बजट अनुमानों में इस प्रयोजन के लिये 22.44 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है। इस वर्ष के खर्च के अंतिम आँकड़े जून, 1968 के अन्त तक उपलब्ध होंगे ।

(ग) लगभग 4.17 लाख परिवार कृषि भूमि पर बसाये गए हैं।

(घ) पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को विभिन्न व्यवसायों में जिनमें कृषि भी सम्मिलित है, पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यों में बसाने का ब्यौरा निम्न है :--

राज्य का नाम	बसाये गये व्यक्तियों की संख्या (लाखों में)
पश्चिम बंगाल	20.77
आसाम	4.36
बिहार	00 88
महाराष्ट्र	0.11
त्रिपुरा	2.05
मध्य प्रदेश	0.23
उत्तर प्रदेश	0.35
आन्ध्र प्रदेश	0.03
अन्दमान	0.13
दण्डकारण्य	0.46
नेफा	0.12
अन्य क्षेत्र (मनिपुर को मिला कर)	0.04
जोड़	29.53

हिन्दी के दूरमुद्रक (टेलीप्रिंटर)

1544. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 में हिन्दी के कितने दूरमुद्रक (टेलीप्रिंटर) बनाये जाने की सम्भावना है, तथा परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार उनके निर्माण का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) हिन्दी दूरमुद्रकों के कितने क्रयादेश इस समय सरकार के पास लंबित पड़े हैं तथा क्या वर्ष भर की सारी माँग पूरी हो सकेगी;

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितने दूरमुद्रक बनाने का लक्ष्य है; **और**

(घ) यह लक्ष्य इस अवधि की अनुमानित माँग की तुलना में कैसा है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (घ) हिन्दुस्तान टेलीप्रिण्टर्स लिमिटेड, मद्रास के पास इस समय 431 हिन्दी दूरमुद्रक यंत्रों (टेलीप्रिण्टर मशीनों) की सप्लाई के पक्के क्रयादेश हैं और यह माँग, 1968-69 वर्ष में पूर्णत: पूरी कर दी जायगी। माँग के अनुसार हिन्दी दूरमुद्रक यंत्रों का उत्पादन और बढ़ाया जा सकता है। वार्षिक आधार पर या चतुर्थ योजना अवधि के लिये हिन्दी दूरमुद्रकों के निर्माण का कोई लक्ष्य तय नहीं किया गया है।

अनौपचारिक सलाहकार समिति में दिए गए सुझाव

1545. **श्री प्रेम चन्द्र वर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय की संसद् सदस्यों की अनौपचारिक सलाहकार समिति की 20 दिसम्बर, 1967 को हुई बैठक में (एक) अच्छे बीजों की ठीक समय पर सप्लाई बढ़ाने, ट्रैक्टर तथा सिंचाई की क्षमता बढ़ाने के लिये समय पर ऋण देने (दो) कृषि के विकास के लिये नियत धन को अन्य प्रयोजनों पर खर्च होने से रोकने (तीन) दुग्धशाला विकास कार्यक्रम और (चार) छोटे कृषकों को हल्के ट्रैक्टर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में दिए गए सुझावों पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इन सुझावों को कार्यरूप देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और इस वर्ष उसके क्या परिणाम निकलने की आशा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी हाँ।

(ख) एक विवरण नत्थी है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 191/68]**

Rates of Wages for Male and Female Workers

1546. **Shri Raghuvir Singh Shastri**: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the rates of wages for male and female workers vary in the various industries ; and

(b) if so, the action taken by Government to remove this discrimination ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi):

(a) Yes ; in some cases.

(b) Where wages are fixed by Government under the Minimum Wages Act efforts are made to narrow down the differences in the wages of men and women workers if the differences in wages are due to sex differences.

Rehabilitation of displaced Persons from Pakistan occupied Kashmir

1547. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation be** pleased to state :

(a) whether it is a fact that thousands of displaced persons coming from Paskitan-

occupied Kashmir had staged a demonstration in Jammu on the 14th January, 1968 ;

(b) if so, what were their main demands ; and

(c) the action being taken by Government to rehabilitate them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) :

(a) Yes. Some displaced persons are reputed to have staged such a demonstration.

(b) The following three main demands were made :

(i) Grant of Citizenship rights.

(ii) Permanent allotment of houses and lands.

(iii) Refund of Rs. 2,500 deducted from their ex-gratia grant as price of land allotted to them.

(c) The displaced persons coming from Pak-occupied areas were given the same facilities as were given to non-claimant displaced persons coming from West Pakistan in the matter of allotment of houses and grant of loans etc. (except Rehabilitation Finance Administration loans).The displaced persons coming from rural areas were allotted agricultural land to the extent available. As a further rehabilitation measure, an ex-gratia grant of Rs.3,500 per family has been allowed to those settled in urban areas and of Rs.1,000 to those settled on agricultural land.

एग्रीकल्चरल एसोसिएशन लिमिटेड

1549. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एग्रीकल्चरल एसोसिएशन लिमिटेड के निदेशकों के नाम क्या हैं और उनकी योग्यताएँ क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : एग्रीकल्चरल एसोसिएशन लिमिटेड के निम्नलिखित निदेशक हैं :—

1. श्री थोमस एच राबर्ट्स
2. श्री चार्ल्स सी राबर्ट्स
3. श्रीमती डोली नन्दा
4. श्री राजेन्द्र रेखी
5. श्री हर प्रसाद नन्दा
6. श्री हैरेल्ड ई० नोलिन
7. श्री रोगर डब्ल्यू रसम्सेन

जहाँ तक निदेशकों की योग्यताओं का सम्बन्ध है, कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन किसी कम्पनी को अपने निदेशकों की योग्यतायें बताने की आवश्यकता नहीं है । अत: जानकारी उपलब्ध नहीं है।

झाड़सुगुडा (उड़ीसा) में रेलवे डाक-सेवा का डिवीजन

1550. **श्री रवि राय :** **श्री श्रद्धाकर सुपकार :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में जनता की बढ़ती हुई माँग को देखते हुए क्या सरकार का विचार उड़ीसा में झाड़ासुगुडा में एक और रेलवे डाक-सेवा डिवीजन खोलने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) जी नहीं, क्यों कि नए डिवीजन का कोई औचित्य नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बीड़ी कर्मचारी

1551. **श्री प० गोपालन :** **श्री नायनार :**

श्री अ० क० गोपालन :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1967 में उन्होंने हैदराबाद में बीड़ी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और उद्योगपतियों कीएक बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें किन-किन विषयों पर बातचीत की गई; और

(ग) उसमें क्या निर्णय किए गए और उन निर्णयों के कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मरुभूमि विकास बोर्ड

1553. **श्री देवकी नन्दन पाटौदिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मरुभूमि विकास बोर्ड ने 1968-69 के लिए अपने कार्य की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो राजस्थान संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बोर्ड के 1967 के लक्ष्य पूरे हो चुके हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इन लक्ष्यों में कितनी कमी रही है और इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हाँ।

(ख) मरुभूमि विकास बोर्ड ने निर्णय किया है कि 1968-68 में राजस्थान राज्य में निम्नलिखित ठोस कार्यक्रमों को कार्यरूप दिया जायें :—

(i) बारमेर जिले में, लगभग 10 तालाबों के नवीकरण करने और उनके जलगृह क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए एक योजना तैयार की जाये;

(ii) जैसलमेर जिले में, कुछ नलकूपों से उपलब्ध होने वाले जल के आधार पर चरा-

गाह और चारा विकास का एक कार्यक्रम शुरू किया जाये क्योंकि ऐसा न किया गया तो इस क्षेत्र में वे अविकसित रह जायेंगे।

(iii) जोधपुर जिले में लोनी तहसील के कुछ ग्रामों के लिए नलकों द्वारा जल संभरण की योजना के साथ ही साथ भूमि तथा जल संभरण कार्य शुरू किया जाये।

(ग) और (घ) 1967-68 के लिए कोई निश्चित लक्ष्य नहीं रखे गए थे। फिर भी, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा तीनों राज्यों में एक-एक सामुदायिक विकास खण्ड में मार्गदर्शी आधार पर कार्य शुरू करने का निश्चय किया गया है। ये खण्ड निम्नलिखित थे :—

(i) राजस्थान के जोधपुर जिले में लूनी खण्ड i

(ii) हरियाणा के महिन्द्रगढ़ जिले में महिन्द्रगढ़ खण्ड ii

(iii) गुजरात के बनसकान्था जिले में सन्तलपुर क्षेत्र ii

इन खण्डों के संसाधनों का एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव था ताकि 1968-69 की अवधि में कार्यान्वित करने के लिये उनके बारे में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा सकें। फिर भी, मरुभूमि विकास बोर्ड ने अपनी 25 जनवरी, 1968 की पहली बैठक में मरुस्थल क्षेत्रों के विकास के लिए शुरू किए जाने वाले कार्यक्रम पर विचार किया था और निर्णय किया था कि खण्ड प्रस्ताव को बिल्कुल त्याग दिया जाये। इसने सिफारिश की थी कि यदि कोई विशेष कार्य को करना उचित समझा जाये तो उसे प्रत्येक राज्य के एक खण्ड तक सीमित न रखा जाये, जैसा कि अब तक समझा जा रहा था। अतः राजस्थान, गुजरात तथा हरियाणा की राज्य सरकारें 1968-69 में कार्यान्वित करने के लिये अब ऐसी विस्तृत योजनायें तैयार कर ही हैं। ये योजनायें प्रत्येक राज्यों की मौजूदा परिस्थितियों की अनुकूल गतिविधियों के आधार पर तैयार की जा रही हैं।

चावल का आयात

1554. **श्री राम भद्रन :** **श्री दीवीकन :**

श्री मयावन : **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह ।**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चावल की सप्लाई के लिये थाईलैंड तथा बर्मा से प्रार्थना की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) इन देशों से कुल कितने चावल का आयात किया जायेगा;

(घ) क्या चावल सप्लाई करने के लिये किसी अन्य देश से भी प्रार्थना की गई है; और

(ङ) देश में वितरण के लिये 1968 में कुल कितने चावल की आवश्यकता है ?

खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी हाँ।

(ख) और (ग) इन देशों के साथ अभी भी बातचीत चल रही है और चावल की मिलने वाली सम्भावी मात्रा अभी मालूम नहीं है।

(घ) जी हाँ।

(ङ) 1968 में केन्द्रीय और राज्य के भण्डारों से सरकारी वितरण प्रणाली से वितरण करने के लिये अनुमानतः 33 लाख मीटरी टन चावल की आवश्यकता पड़ेगी।

भविष्य-निधि के धन का विनियोजन

1555. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** **श्री क० प्र० सिंह देव :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय ट्रस्टी बोर्ड ने, जिसकी हाल में दिल्ली में बैठक हुई थी, भविष्य-निधि के धन के विनियोजन के सम्बन्ध में एक समुचित नीति बनाने के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया था।

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में इस बोर्ड ने क्या निर्णय किए हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उसके निर्णयों पर स्वीकृति दे दी है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) जी हाँ।

(ख) बोर्ड ने यह सिफारिश की है कि अंशदान देने वालों को ब्याज की अच्छी दर दिलाने के लिये निधि के निवेश पद्धति शुरू में कम से कम निम्नलिखित सीमा तक बढ़ा दी जानी चाहिये :—

(i) केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में 50 प्रतिशत ;

(ii) राज्य सरकार या अन्य सरकारी गारंटीकृत प्रतिभूतियों में जैसे कि बिजली बोर्डों, राज्य आवास बोर्डों इत्यादि के बोर्डों में या स्टेट बैंक के सावधि निक्षेपों में 50 प्रतिशत।

इसने यह भी सुझाव दिया है कि भविष्य-निधि के निवेश पर सरकार द्वारा लगाई गई रोकें सभी गैर-सरकारी भविष्य-निधियों पर समान रूप से लगाई जानी चाहिये और कर्मचारी भविष्य निधि के बारे में कोई भेद-भाव नहीं होना चाहिये।

(ग) बोर्ड की सिफारिश विचाराधीन है।

दिल्ली और बंगलौर के बीच सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था

1556. **श्री क० लकप्पा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और बंगलौर के बीच सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था करने के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) यह योजना कब तक पूर्ण हो जाने की संभावना है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) दिल्ली और बंगलौर के बीच उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग की व्यवस्था करने के लिये दिल्ली

और मद्रास में ट्रंक स्वचल एक्सचेंज स्थापित करने की योजना बनाई गई है। मद्रास में ट्रंक स्वचल एक्सचेंज पहले ही चालू कर दिया गया है। दिल्ली में ट्रंक स्वचल एक्सचेंज स्थापित करने में काफी प्रगति हो चुकी है और आशा है कि वह 1968 के अन्त तक चालू हो जाएगा।

(ख) इन दो ट्रंक स्वचल एक्सचेंजों के चालू और आपस में जोड़ दिए जाने के बाद दिल्ली और बंगलौर के बीच सीधे डायल करने की व्यवस्था उपलब्ध हो जाएगी। इस कार्य के मार्च, 1969 के पहले पूरा हो जाने की आशा है।

बड़े नगरों में सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था

1557. **श्री क० लकप्पा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे भारत में बड़े नगरों में सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था करने के लिये कोई क्रमबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन नगरों में ऐसी व्यवस्था करने का विचार है ; और

(ग) इन नगरों को सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

संसद्-कार्य तथा संचार-विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) जी हाँ।

(ख) राष्ट्रव्यापी ट्रंक डायलिंग सुविधा देने के लिये निम्नलिखित सत्रह नगरों को पहले चार ट्रंक स्वचल एक्सचेंजों से जोड़ने का प्रस्ताव है :—

आगरा	कानपुर
अहमदाबाद	लखनऊ
बंगलौर	मद्रास
बम्बई	पटना
चंडीगढ़	पूना
कोयम्बतूर	श्रीनगर
दिल्ली	सूरत
जयपुर	वाराणसी
जालन्धर	

(ग) 1968-69 के दौरान।

M. P. as a Minister in a State

1558. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) the period for which a Member of Parliament can hold the post of a Minister of a State without resigning from his seat in the Parliament ; and

(b) whether such a person can resign from the post of Minister before completing the period of six months and can again be appointed as a Minister for a further period of six months ?

The Minister of Law (Shri Govinda Menon) : (a) and(b) Under Article 164 (3) of the Constitution, a person can become a Minister without being a Member of the State Legislature for a period of six months. A Member of Parliament, therefore, can continue to be a Member of Parliment as well as Minister of the State Government for a period of six months in all. Thereafter, if he fails to get elected or nominated a Member of the State Legislature (in which event he would cease to be a Member of Parliment by virtue of article 101 (2)) he shall cease to be a Minister of the State Government by reasons of article 164 (4).

State Co-operative Banks

1559. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total number of the State Co-operative Banks in India at present ;

(b) the minimum qualifications required for the appointment of Managing Directors of the Co-operative Banks under the rules ;

(c) the number of Managing Directors of the Banks who are trained in banking procedure or who are fully acquainted with the Banking pocedure ;

(d) whether Government have under consideration any proposal to appoint only those persons as Managing Directors of the Co-operative Banks who are trained in banking procedure and not to appoint the I. A. S Officers against those posts ; and

(e) if so, when a decision in this regard is likely to be taken thereon if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy) :

(a) Twenty-five.

(b) and (c) No qualifications or training have been prescribed by the Government of India. The appointment of Managing Director and the qualificatons for reicruitment are matters of internal administration falling within the jurisdiction of the Board of Management of the Bank and the State Government concerned, and are regulated under the bye-laws of the Bank and the co-operative law and rules in force in the State.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

त्यागराज नगर (नई दिल्ली) में दूध वितरण केन्द्र

1561. **श्री म० ल० सोंधी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्यागराज नगर (प्रेम नगर) नई दिल्ली की कल्याण संस्थाएं तथा लोग उस क्षेत्र में दूध का नया वितरण केन्द्र खोले जाने के लिये पिछले छः वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हाँ।

(ख) प्रेम नगर के टोकन रखने वालों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेवा नगर में पहले ही दिल्ली दुग्ध योजना के दूध के दो डिपो खुले हुए हैं। अधिक दूध उपलब्ध होने पर प्रेम नगर में दूध का नया डिपो खोलने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

केरल को चावल की सप्लाई

1562. **श्री अंबचेजियान :** **श्री विश्वम्भरन :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने केरल सरकार को प्रति मास 50,000 मीट्रिक टन चावल भेजने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो केरल सरकार की कुल माँग कितनी है;

(ग) उनकी पूरी माँग के अनुसार चावल न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस वर्ष देश में अच्छी फसल हुई है सरकार का विचार केरल सरकार को चावल का पूरा कोटा देने का है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

(घ) अन्य कमी वाले राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्र के पास उपलब्ध स्टाक में से केरल को चावल का यथासंभव अधिक कोटा देने का विचार है।

आसाम में चावल मिल

1563. **श्री अंबचेजियान :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम तथा एपैक्स क्रय-विक्रय समिति द्वारा पर्याप्त मात्रा में धान की सप्लाई न किए जाने के कारण आसाम में चावल मिलों के बन्द होने का खतरा पैदा हो गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उन्हें बन्द न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

पूर्निया जिला (बिहार) में पूर्वी बंगाल से आये हुए शरणार्थी

1564. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी बंगाल से आये हुए और बिहार के पूर्निया जिले में बसे हुए शरणार्थियों

से सरकार ने राजसहायता तथा ऋणों की उन राशियों को लौटाने को कहा है, जो उन्हें पुनर्वास के लिये दी गई थीं ;

(ख) उन्हें किन शर्तों पर वित्तीय सहायता दी गई थी ;

(ग) क्या इन शरणार्थियों ने इन राशियों का भुगतान माफ कर दिए जाने का अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) (क) विस्थापित व्यक्तियों को अनुदान के रूप में दी गई वित्तीय सहायता की वसूली नहीं की जाती है। जो ऋण के रूप में दी जाती है उस राशि को विस्थापित व्यक्तियों से दिए गए ऋण की शर्तों के अनुसार वसूल किया जाता है। सभी मामलों में, इन शर्तों के अनुसार, जहाँ किश्तें देय हो चुकी हैं, सम्बन्धित राज्य सरकार वसूल करने के बारे में उचित कार्यवाही कर रही है।

(ख) नकद बेकारी अनुदान, राशन, कम्बल, बरतन, दूध, विवाह के लिये खर्च, गर्म वस्त्र, चिकित्सा तथा शिक्षा-सुविधाएं, तथा पोषण इत्यादि के लिये वित्तीय सहायता सहायक अनुदान के रूप में दी गई थी और कृषि तथा अ-कृषि-व्यवसायों में बसाने के लिये ऋण दिए गए थे। ऋण आसान किश्तों में, प्रत्येक ऋण के स्वरूप के अनुसार 6 से 20 वर्ष की अवधि में, निम्न छूट देकर वसूल किए जाते हैं :—

(1) पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये दिए गए ऋणों की वसूली में प्रत्येक मामले में 1,000 रुपए तक की छूट दी जाती है।

(2) उपरोक्त (1) में दी गई छूट के बाद यदि बकाया रह जाता है, उसमें से भी केवल उस राशि की छूट दे दी गई है जो 2000 पए से ऊपर हो ; और

(3) छूट दी गई राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता। यह छूट अंशदायी गृह-निर्माण ऋण, व्यवसायिक तथा उच्चतम व्यापार ऋणों और पुनर्वास वित्त प्रशासन ऋणों के लिये लागू नहीं होती।

(ग) और (घ), कठियाड़, जिला पूर्निया के विस्थापित व्यक्तियों से एक संयुक्त प्रार्थना प्राप्त हुई थी जिस पर विचार किया गया है। आवेदकों को सूचित कर दिया गया कि गृह-निर्माण ऋणों और व्यवसाय-ऋणों की छूट के बारे में उनकी प्रार्थना मंजूर नहीं की जा सकती।

मजदूर संघ

1565. **श्री सीताराम केसरी :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम से कम सात व्यक्तियों वाले मजदूर संघों के पंजीकरण की वर्तमान प्रणाली से एक ही उद्योग तथा संस्थान में कई मजदूर संघ बन गये हैं।

(ख) क्या इतने मजदूर संघों का बनना उद्योगों में श्रमिक-विवाद उत्पन्न होने का एक कारण है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस कठिनाई को दूर करने के लिये संबन्धित नियमों में संशोधन करने का सरकार का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) यूनियनों के बाहुल्य के कारण अन्तर्यूनियन प्रतिबन्धिता के मामले हुए हैं जिनके परिणामस्वरूप औद्योगिक शांति भंग हुई है ।

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार को कुछ सुझाव दिए गए हैं । राष्ट्रीय आयोग भी इस समस्या पर विचार कर रहा है । आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस मामले पर विचार किया जायगा ।

दिल्ली टेलीफोन सलाहकार समिति

1566. श्री सीताराम केसरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली टेलीफोन सलाहकार समिति की बैठकें टेलीफोनों का नियतन करने के लिये नियत अवधि में नहीं होती है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) और (क) टेलीफोन सलाहकार समिति की बैठकें सामान्यतः तीन महीने में एक बार होनी चाहिए । दिल्ली में टेलीफोन सलाहकार समिति की बैठक कुछ समय तक नहीं हुई चूंकि इसका पुनर्गठन हो रहा था । नवम्बर, 1967 में इस समिति का पुनर्गठन किया गया और 29-11-1967,24-1-1968 तथा 15-2-1967 को इसकी बैठकें पहले ही हो चुकी हैं ।

भुवनेश्वर में स्वचालित टेलीफोन-केन्द्र

1567. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर में एक स्वचालित टेलीफोन-केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव को क्रियान्वित किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो यह केन्द्र कब तक खुल जायेगा ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) जी हां ।

(ख) 1970 के प्रारम्भ में ।

उड़ीसा में चावल तथा धान का वसूली-मूल्य

1568. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के लिए चावल और धान की वसूली-मूल्य क्या निर्धारित किये गये हैं ;

(ख) क्या उनके मूल्य राज्य सरकार के परामर्श से निर्धारित किये गये हैं ; और

(ग) ये मूल्य 1968–69 फसल-वर्ष के लिए पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा बिहार के वसूली मूल्यों की तुलना में कितने कम या अधिक हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) :

(क) 1967–68 की फसल के लिए अधिप्राप्ति मूल्य :—

उड़ीसा	**(रुपये प्रति क्विंटल)**
धान—साधारण	48.
चावल—साधारण	82.47 (निकासी मूल्य)

(ख) जी हाँ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता क्यों कि 1968–69 की फसल के लिये अभी अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित नहीं किये गये हैं ।

उड़ीसा में मुख्य डाकघर

1569. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के प्रत्येक जिले में एक मुख्य डाकघर है ;

(ख) क्या उड़ीसा में किसी मुख्य डाकघर का दो भागों में विभाजन किया गया है ; और

(ग) क्या पुरी जिले में एक और मुख्य डाकघर खोलने का विचार है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री ई० कु० गुजराल) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ। एक विवरण-पत्र जिसमें वे जिले दिये गए हैं जहाँ एक से अधिक प्रधान डाकघर हैं, सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 192/68]**

(ग) नयागढ़ उप डाकघर का दर्जा बढ़ाकर उसे प्रधान डाकघर बनाने के प्रस्ताव की जाँच की गयी थी किन्तु चूंकि उसे विभागीय मानकों के अनुसार न्यायोचित नहीं पाया गया, अतः चूंकि उसे समाप्त कर दिया गया ।

उड़ीसा में डाकघर, तारघर तथा सार्वजनिक टेलीफोन

1570. **श्री चिंतामणि पणिग्रही** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968–69 में उड़ीसा राज्य में कुल कितने डाकघर, तारघर और सार्वजनिक टेलीफोन स्थापित करने का विचार है ;

(ख) उनमें से कितने डाकघर, तारघर और सार्वजनिक टेलीफोन देहाती क्षेत्रों में स्थापित करने का विचार है ; और

(ग) इस काम के लिए कुल कितना धन नियत किया गया है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) विभागीय मानक पूरे होने और फंड उपलब्ध होने पर 1968-69 के दौरान उड़ीसा में 200 डाकघर, 20 तारघर तथा 11 सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

(ख)	डाकघर	190
	तारघर	20
	सार्वजनिक टेलीफोन घर	11

(ग) बजट स्वीकार होने के बाद ही सही सूचना का पता लग सकता है।

कलकत्ता में भारतीय मछली क्रय-विक्रय नियम द्वारा मछली की बिक्री

1571. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री गणेश घोष :**
श्री भगावन दास :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय मछली क्रय-विक्रय नियम द्वारा कलकत्ता में 1-4-1967 से ले कर 31-12-1967 तक कितनी मात्रा में मछली बेची गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

केन्द्रीय मात्स्यकी निगम, लिमिटेड, हावड़ा ने 1 अप्रैल, 1967 से 31 दिसम्बर 1967 तक की अवधि में कलकत्ते में 4,24,884 किलोग्राम मछली का विक्रय किया ।

पश्चिम बंगाल में सागर डाकघर में टेलीफोन

1572. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सागर डाकघर (24 परगना जिला, पश्चिम बंगाल) में टेलीफोन लगा हुआ है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या वहाँ टेलीफोन लगाने का सरकार का विचार है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हाँ, अत्युच्च आवृत्ति सम्बन्ध से सागर को डायमंड हार्बर से जोड़ने का एक प्रस्ताव पहले ही मंजूर किया जा चुका है।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

1573. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम में (i) सीधे भर्ती हुए और (ii) खाद्य विभाग से स्थानान्तरित हुए कर्मचारियों की सेवा की वर्तमान शर्तें क्या हैं ; और

(ख) भारतीय खाद्य निगम में (i) बाहर से और (ii) राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों से कितने अधिकारी लिये गये हैं, और उनकी सेवा की शर्तें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) भारतीय खाद्य निगम में सीधी भर्ती की सेवा सम्बन्धी वर्तमान शर्तें निगम द्वारा तैयार किये गये ड्राफ्ट स्टाफ विनियमनों द्वारा शासित होती हैं। खाद्य विभाग से स्थानान्तरित कर्मचारी जब तक वे निगम में अन्तिम रूप से खपा नहीं लिये जाते हैं, तब तक वे विदेश सेवा पर समझे जाएंगे और उनकी सेवा सम्बन्धी शर्तें केन्द्रीय सरकार द्वारा विदेश सेवा सम्बन्धी निर्धारित शर्तों के अनुसार विनियमित की जाती हैं। लेकिन इन स्थानान्तरित कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं दिया जाता है।

(ख) निगम में श्रेणी-वार काम कर रहे अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या तथा वे जहां से लिये गये हैं, बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 193/68] उनकी सेवा सम्बन्धी शर्तें उनके मूल विभागों के परामर्श से तय की जाती हैं।

गेहूं देने का हरियाना का प्रस्ताव

1574. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाना सरकार ने केन्द्रीय सरकार को उस राज्य से 40,000 मीट्रिक टन गेहूं देने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) हरियाना सरकार की 49,000 मीटरी टन गेहूं की पेशकश को मंजूर कर लिया गया है और उसका कमी वाले राज्यों में आंवटन कर दिया गया है।

चीनी का उत्पादन

1575. **श्री मोहसिन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी पर आंशिक विनियंत्रण की नीति लागू होने के बाद से क्या चीनी के उत्पादन में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो कितनी वृद्धि हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) आँशिक विनियंत्रण की नीति से चीनी मिलों को गन्ने की अधिक भुगतान मिलने में सहायता मिली है। इसके परिणामस्वरूप चालू मौसम में 15 फरवरी, 1968 तक 15.62 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ है जब कि गत वर्ष की इसी तारीख तक यह उत्पादन 15.42 लाख मीटरी टन था। यदि यह नीति न अपनाई गयी होती तो चीनी का उत्पादन बहुत कम हुआ होता।

चीनी का उत्पादन

1576. **श्री मोहसिन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में चीनी का कुल उत्पादन कितना है ; और

(ख) देश में खपत के लिए कितनी चीनी की आवश्यकता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1967–68 के मौसम में 7 फरवरी, 1968 तक 14.22 लाख मीटरी टन।

(ख) 1967–68 में (नवम्बर, 1967–अक्तूबर 1968) मौजूदा निर्मुक्ति स्तर के अनुसार 20.7 लाख मीटरी टन चीनी की आन्तरिक खपत होने का अनुमान है।

संसद्-सदस्यों को डाक-टिकट मुफ्त देने का प्रस्ताव

1577. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् सदस्यों को अपने सार्वजनिक-कार्य के लिए डाक टिकट मुफ्त देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत–पाकिस्तान संघर्ष से पीड़ित लोगों का पुनर्वास

1578. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965 में हुए भारत-पाकिस्तान संघर्ष के परिणामस्वरूप पंजाब की सीमा क्षेत्रों में विस्थापित हुए सभी लोगों का पुनर्वास कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो अभी तक कितने लोगों का पुनर्वास नहीं किया गया है ; और

(ग) उपरोक्त भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणामस्वरूप पंजाब में जो उद्योग प्रभावित हुए थे, क्या वे सामान्य स्थिति में आ गये हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) पंजाब में विस्थापित हुए सभी परिवारों को पुनर्वास सहायता दे दी गई है और उनमें से अधिकांश को बसाया जा चुका है। तथापि कुछ परिवारों को और पुनर्वास सहायता देने के कुछ मामले विचाराधीन हैं।

(ग) भारत-पाकिस्तान संघर्ष के फलस्वरूप जिन उद्योग को बड़ी क्षति पहुंची थी उनको सहायता देने के लिए विभिन्न अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक उपाय किये गये थे। अन्य उपायों के अन्तर्गत, लघु-उद्योगों के औद्योगिक खंडों के मालिकों को 75 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गयी थी।

चंडीगढ़ में टेलीफोन

1579. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ में टेलीफोन लगवाने के कितने प्रार्थना-पत्र इस समय अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ख) 1968 के अन्त तक चंडीगढ़ में कितने टेलीफोन लगाये जाने की संभावना है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री इ० कु० गुजराल): (क) 31-12-1967 को चंडीगढ़ में टेलीफोन कनेक्शन के लिए अनिर्णीत पड़े प्रार्थना-पत्रों की संख्या 2,000 थी ।

(ख) 31-12-1967 को चंडीगढ़ में 3138 कनेक्शन काम कर रहे थे और 1968 के दौरान लगभग 400 नये कनेक्शन दिये जाने की सम्भावना है ।

चीनी के उत्पादन की लागत

1580. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री चक्रपाणि :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में चीनी और खंडसारी की उत्पादन लागत कितनी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

चीनी जाँच आयोग द्वारा अभिस्तावित पाँच जोनों हेतु 1967-68 के लिए लेवी से प्राप्त चीनी के उचित निकासी मूल्य जो अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (3 सी०) के उपबंधों के अनुसार चीनी जाँच आयोग की लागत अनुसूचियों की सहायता से निकाले गये हैं, इस प्रकार हैं :--

	(रुपये प्रति क्विंटल) निकासी मूल्य
जोन--i	
(गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी मैसूर तथा उत्तरी आँध्र प्रदेश)	145.00
जोन--ii	
(उड़ीसा, आँध्रप्रदेश का शेष भाग, दक्षिण मैसूर, मद्रास, पाँडिचेरी तथा केरल)	161.00
जोन--iii	
(मेरठ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर तथा बुलन्दशहर जिले, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व मध्यप्रदेश)	169.50
जोन--iv	
(केन्द्रीय तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शेष भाग)	156.00
जोन--v	
(पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल)	158.00
असम--	167.50

देश के विभिन्न क्षेत्रों में खंडसारी और चीनी के उत्पादन लागत संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

केरल में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण

1581 **श्री विश्वम्भरन :** **श्री विश्वनाथ मेनन :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल डाक तथा तार सर्किल की स्थापना के बाद से कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण के लिए डाक तथा तार विभाग ने केरल में कितने नगरों में भूमि अर्जित की है ;

(ख) किन-किन स्थानों में कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाए गये हैं और कितने-कितने ; और

(ग) डाक तथा तार विभाग का त्रिवेन्द्रम में कर्मचारियों के लिए कब क्वार्टर बनाने का विचार है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) पाँच अर्थात् त्रिचूर, अलप्पे, एर्नाकुलम, कोट्टायम तथा कन्नानूर।

(ख) केरल में विभिन्न स्थानों पर डाक-तार कर्मचारियों को 138 विभागीय क्वार्टर तथा 648 किराये के मकान दिये गए हैं। इनके अतिरिक्त त्रिचूर में 52 यूनिट बनाने की मंजूरी और जारी कर दी गई है। एर्नाकुलम में 133 यूनिट बनाने की मंजूरी शीघ्र ही जारी किये जाने की संभावना है।

(ग) त्रिवेन्द्रम में कर्मचारी क्वार्टरों के लिए स्थान का चुनाव कर लिया गया है। इसे प्राप्त कर लेने के बाद क्वार्टर बनाने की कार्यवाही की जाएगी बशर्ते कि उसके लिए फंड उपलब्ध हों।

Community Development Projects in Bihar

1582. **Shri Sheopujan Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the number of Community Development Blocks in Bihar has been reduced ;

(b) whether the Central Government was consulted in the matter ; and

(c) whether the reduction in the number of Community Development Blocks will lead to an increase in the area of operation resulting in lesser contacts with the people ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy) :

(a) to (c) The information, called for from the Government of Bihar, is awaited.

Central Assistance for a Cold Storage in U.P.

1583. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that U. P. Government have made any demand for a sum of rupees one crore for setting up a cold storage for storing seeds in order to increase the cultivation of potato;

(b) if so, the reasons for not providing this amount to the U. P. Government; and

(c) whether Government propose to set up a cold storage for storing potatoes in U.P., and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) Yes Sir.

(b) A sum of Rs.52 lakhs—36 lakhs for setting up 24 cold storages in the Private Sector and Rs.16 lakhs for setting up 2 cold storages in the Public Sector has been sactioned to the State Government. This is the maximum amount sanctioned to any State. The question of sanctioning more funds will also be considered in the next financial year.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Godowns in U. P.

1584. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the U. P. Government have demanded a sum of Rs.35 millions from the Central Government in order to raise the capacity of godwns of the Agriculture Department to 30 lakh tonnes for the buffer stocks ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ; and

(c) whether Government propose to build their own godowns and rent them out to the State Government ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

Indian Farms Within Nepal Boundary

1585. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian farmers whose farms are in Nepal on the borders of India are unable to bring their produce to India ;

(b) whether it is also a fact that Uttar Pradesh Government have written to the Central Government in this regard ; and

(c) if so, the action taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) and (b) Under the Indo-Nepal Treaty of Trade and Transit there is no restriction on the movement of foodgrains between Nepal and India. The Government of Uttar Pradesh have,

however, reported that some complaints have been received about some difficulties created by the checkposts of Nepal Government to the bringing of foodgrains to India.

(c) The report of the Government of Uttar Pradesh is being enquired into.

Samastipur Sugar Mill

1586. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 253 on the 14th November, 1967 and state :

(a) whether the report submitted by the Committee regardng the taking over of the Samastipur Sugar Mills has since been considered by Government ;

(b) if so, the decision taken ; and

(c) the expenditure likely to be incurred in connection with the taking over of that mill?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) and (b) On consideration of the report of the Committee, the Central Government acting under Clause (b) of sub-section (1) of section 18 A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, have appointed a board of six persons to take over the management of M/s Samastipur Central Sugar Company Limited, Samastipur (Bihar) for a period of two years vide its order no. S. O. 4460. 18A./IDRA/67, dated the 14th December, 1967, which was published in the Gazette of India Extra-ordinary Part II section 3 (ii) , dated the 14th December, 1967.

(c) An expenditure of Rs. 712-30 has been incurred in connection with the taking over of the above mill.

उड़ीसा में चावल तथा धान के वसूली मूल्य

1587. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के लिये निर्धारित किये गये चावल और धान के वसूली मूल्य पड़ोसी राज्यों, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में विद्यमान मूल्यों की तुलना में बहुत कम हैं ; और

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप उड़ीसा से बहुत सा चावल चोरी-छिपे इन सभी पड़ोसी राज्यों में ले जाया जाता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) उड़ीसा के लिए निर्धारित किये गये चावल और धान के अधिप्राप्ति मूल्य, आन्ध्र प्रदेश में निर्धारित किये गये चावल और धान के मूल्यों से अधिक है। यह बिहार तथा पश्चिम बंगाल के लिए निर्धारित किये गये अधिप्राप्ति मूल्यों से कुछ कम हैं। मध्य प्रदेश के लिए निर्धारित किये गये मूल्य उड़ीसा के मूल्यों से मामूली अधिक हैं।

(ख) यह कहना ठीक प्रतीत नहीं होता कि उड़ीसा से बहुत बड़ी मात्रा में चावल चोरी-छिपे पड़ोसी राज्यों में ले जाया जाता है।

पश्चिम बंगाल में मिलने वाले खाद्यानों के दाम

1588. **डा० रानेन सेन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के उन क्षेत्रों में, जहाँ कानूनी तौर पर राशन व्यवस्था लागू है, अधिकारियों ने राशन में दिये जाने वाले खाद्यान्नों के भाव बढ़ा दिये हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या भाव बढ़ाने के पहले केन्द्र से परामर्श किया गया था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) चावल और गेहूं के मूल्यों में वृद्धि कर दी गयी है। कुछ बढ़ोतरी तो भारत सरकार द्वारा राज सहायता बन्द करने और कुछ पश्चिमी बंगाल में धान और चावल के अधिप्राप्ति मूल्यों में वृद्धि और राज्य सरकार द्वारा राज-सहायता बन्द करने के कारण हुई थी।

(ख) जी, नहीं।

सहकारी खेती

1589. **श्री हिम्मतसिंहका :** **श्री यशवन्त सिंह कुशवाहा :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में सहकारी खेती को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित लक्ष्य प्रत्येक राज्य में कहाँ तक पूरा हुआ है तथा इस कार्य में कौन-कौन से राज्य पिछड़े हुए है ; और

(ख) 1968-69 में सहकारी खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को कितनी सहायता दिए जाने का विचार है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : तीसरी योजना में देश में चुने हुए सामुदायिक विकास खंडों में 10 -10 सहकारी खेती समितियों वाली 318 प्रायोगिक प्रायोजनाएं गठित करने की योजना थी। प्रायोगिक क्षेत्रों से बाहर गठित की गई समितियों को भी प्रोत्साहन तथा सहायता दी जानी थी। एक विवरण संलग्न है, जिसमें तीसरी योजना में प्रायोगिक समितियों के कार्यक्रम के राज्यवार आँकड़े और 31-3-66 तक गठित प्रायोगिक तथा अप्रायोगिक समितियों की वास्तविक संख्या, उनकी सदस्यता तथा क्षेत्र के ब्यौरा सहित दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 194/68]**।

(ख) 1968-69 के मंत्रालय के बजट में सहकारी खेती कार्यक्रम के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए 54.40 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

भूतपूर्व नरेशों तथा जागीरदारों की परती भूमि का अधिग्रहण

1590. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुछ मुख्य मंत्रियों का विचार है कि कृषि उपज बढ़ाने के लिये भूतपूर्व नरेशों और जागीरदारों के कब्जे में पड़ी हुई बहुत बड़ी कृषि योग्य परती भूमि का अधिग्रहण किया जाये ;

(ख) यदि हाँ, तो भूतपूर्व नरेशों के पास ऐसी भूमि अनुमानतः कितने एकड़ है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई कानूनी कठिनाइयाँ हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या, और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) :(क) जी नहीं। समस्त राज्यों में जमींदारी, जागीरदारी तथा अन्य बिचौलिये-पट्टेदारों का प्रायः समाप्त कर दिया गया है। राज्य में भूमिकी अधिकतम सीमा के अनुसार भूतपूर्व नरेशों तथा भूतपूर्व जागीदारों के पास उतनी ही भूमि है जितनी अन्य भू-धारियों के पास होती है।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

खाद्यान्नों के मूल्य

1591. **श्री बेणीशंकर शर्मा :** **श्री गोपाल साबू :**
श्री लीलाधर कटकी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को कोई ऐसा आश्वासन भी दिया गया है कि खाद्यान्नों के दाम समाहार मूल्य से कम नहीं होने दिये जायेंगे ; और

(ख) यदि हाँ, तो दामों को गिरने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हाँ।

(ख) जब कभी मूल्यों में गिरावट आने लगती है तब भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारें बाजार में अभिप्राप्ति मूल्यों पर खरीदारी करती हैं।

Rice Supply to Bihar

1592. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that out of the States which received foodgrains from the Centre in 1967, Bihar was the only State to which no rice was given during that year; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

एर्णाकुलम में डाकघर के लिये इमारत

1593. **श्री विश्वनाथ मेनन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार एर्णाकुलम में उस स्थान पर, जहाँ वर्तमान कालेज डाकघर है, एक तीन-मंजिली इमारत बनाने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो निर्माण-कार्य कब आरम्भ होने की सम्भावना है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग मे राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हाँ।

(ख) फंड उपलब्ध होने पर इमारत बनाने का काम 1968–69 के दौरान हाथ में ले लिये जाने की सम्भावना है।

विधिज्ञ परिषद् की परीक्षाएँ

1594. **श्री विश्वनाथ मेनन** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधिज्ञ परिषद् की परीक्षाएं समाप्त करने के बारे में सरकार को विधि छात्रों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि-मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद यूनुस सलीम) : (क) जी हाँ।

(ख) मामला सरकार के विचाराधीन है।

एर्णाकुलम का दक्षिण डाकघर (कारीथाला) :

1595. **श्री विश्वनाथ मेनन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एर्णाकुलम का दक्षिण डाकघर (कारीथाला) बहुत छोटा है और उसके सभी कर्मचारियों का उसमें बैठ कर काम करना संभव नहीं है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार वह डाकघर किसी बड़े भवन में ले जाने का है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार एर्णाकुलम में महात्मा गाँधी रोड पर डाकघर स्थापित करने का है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) जी हाँ। 477 वर्ग फीट क्षेत्र की कमी है।

(ख) जी हाँ।

(ग) महात्मा गाँधी रोड, एर्णाकुलम के लिए एक नया डाकघर मंजूर किया गया है और जब कोई उपयुक्त इमारत उपलब्ध हो जाएगी उसे खोल दिया जाएगा।

Planes owned by Plant Protection Directorate

1596. **Shri George Fernandes**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the number of planes owned by the Plant Protection Directorate (Aviation Wing) and the years during which they were acquired and the price paid ;

(b) the total number of flying hours done by those planes for spraying purpoes durings the last three years, yearwise, and the total acreage sprayed by them ; and

(c) the cost of maintenance of the planes and cost of operation of the Avaiation Wing during the last three years, year-wise ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) The Ministry of Food and Agriculture own seven aircraft of which one was acquired in 1956, one in 1961, one in 1962 and four in 1964. Five of these were received as gifts and two were purchased at a cost of 60,190 each.

(b) Year	Yearwise hours flown for spraying	Yearwise acreage covered
1964-65	440.10	45,648
1965-66	726.30	1,10,000
1966-67	777.35	2,09,330

(c) Year	Yearwise cost of maintenance	Cost of operation of Aviation Wing
	Rs.	Rs.
1964-65	1,57,500	1,37,200
1965-66	2,07,000	4,15,500
1966-67	4,38,000	6,62,300

पौधों पर विमानों से छिड़काव

1597. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र में कितनी तथा कौन-कौन सी फर्में पौधों पर विमानों से छिड़काव करने के काम में लगी हुई हैं ;

(ख) उनके पास कितने तथा किस-किस किस्म के विमान हैं ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में उनके लिए कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गयी थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) निम्नलिखित विवरण में गैर सरकारी क्षेत्र में पौधों पर विमानों से छिड़काव करने का काम करने वाली फर्मों के नाम दिये गये हैं। विवरण में यह भी प्रदर्शित किया गया है कि उनके पास कितने तथा कौन-कौन सी किस्म के विमान हैं :—

	फर्मों के नाम	विमानों की संख्या	विमानों की किस्म
1.	मेसर्स कम्बाटा एवियेशन (प्राईवेट) लिमिटेड	9	(क) 8 हैलिकोप्टर्स (ख) 1 फिक्सड-विंग एयरक्राफ्ट
2.	मेसर्स हैलिकोप्टर सर्विसिस (प्राईवेट) लिमिटेड	4	हैलिकोप्टर
3.	मेसर्स इन्दामर कम्पनी (प्राईवेट) लिमिटेड	3	फिक्सड-विंग एयरक्राफ्ट

4.	मैसर्स एवियेशन सर्विस कार्पोरेशन	5	फिक्सड-विंग एयरक्राफ्ट
5.	मैसर्स एच० एस० सोभा सिंह (प्राईवेट) लिमिटेड	1	फिक्सड-विंग एयरक्राफ्ट
6.	मैसर्स खेमा एवियेशन (प्राईवेट) लिमिटेड	1	फिक्सड-विंग एयरक्राफ्ट
7.	मेसर्स भारतैयर	2	हैलिकोप्टर्स

(ग) इस बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है कि पिछले 3 वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई थी। यह जानकारी एकत्रित होते ही उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

त्रिपक्षीय भारतीय श्रम सम्मेलन

1598. **श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपक्षीय भारतीय श्रम सम्मेलन की आगामी बैठक कब होगी ;

(ख) सम्मेलन द्वारा किन मुख्य मामलों को हल किया जायेगा ;

(ग) क्या सम्मेलन के विचारार्थ केन्द्रीय श्रम संगठनों से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो वे क्या हैं और वे किन से प्राप्त हुए थे ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) भारतीय श्रम सम्मेलन का अगला अधिवेशन 20 और 21 अप्रैल, 1968 को बुलाया जायगा।

(ख) सम्मेलन की कार्य-सूची को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) जी हाँ।

(घ) केन्द्रीय श्रम संगठनों से अब तक प्राप्त कार्यसूची के प्रस्तावों की एक सूची सदन की मेज पर रखी जाती है। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 195/68]

बटाईदारी पद्धति

1599. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि में बटाईदारी (शेयरक्रापिंग) पद्धति सम्बन्धी कोई राष्ट्रीय-नीति बनाने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) राज्य सरकारों के विचाराधीन बटाईदारी विधेयकों के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) भूमि सुधार के लिए प्रस्ताव जिनमें बटाईदारी (शेयर-क्रापिंग) पद्धति

सम्बन्धी नीति शामिल है पंचवर्षीय योजनाओं में दिए गए हैं। भूमि राज्य का विषय है, ये प्रस्ताव सभी के लिए उपयुक्त हैं, और स्थानीय परिस्थितियों तथा स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन्हें प्रत्येक राज्य में अनुकूल बना कर अपनाया जाना चाहिए।

(घ) भूमि सुधार की कार्यान्विति के लिए राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में राष्ट्रीय विकास परिषद् की भूमि सुधार कार्यान्विति समिति ने भूमि सुधार की कार्यान्विति सम्बन्धी समीक्षा-पत्र में संकेत दिया है जो प्रकाशित किया जा चुका है ।

औद्योगिक सम्बन्ध

1600. **श्री शिवचन्द्र झा**: क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक सम्बन्धों में न्यासिता के गांधीवादी सिद्धान्तों को लागू करने का प्रयत्न किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो यह किन उद्योगों में लागू किया गया है तथा अब तक कितनी सफलता मिली है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) और (ख) जी हाँ। सरकार की नीति नियोजकों और कर्मचारियों में एक दूसरे को समझने की भावना बढ़ाकर मधुर औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित करना है। इस नीति का पालन काफी सफलता से किया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Prices of Sugar

1601. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have collected necessary information in regard to the prices of the controlled sugar and of that sold freely in the market in the capitals of the various States, industrial cities and the rural areas ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) and (b) A statement showing the sale prices of controlled and free market sugar in the various important consuming centres in the middle of February, 1968 is attached. **[Placed in Library. See No LT—1024/68]**. Information regarding sale prices of sugar in rural areas is not available.

Discripancy in Quantum of Foodgrains Despatched and Received by States

1602. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question no. 3010 on the 5th December, 1967 and state:

(a) whether it s a fact that some discripancy in the figures of foodgrains despatched by the Centre and the foogdrains received by the States every month is bound to be there but at the end, these figures must tally ; and

(b) ifso, the figures in respect of the different States for first six months during the year 1967-68.

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) The despatch of foodgrains by the Central Government and receipt thereof by the States is a continuous process and as such there will always be difference between the figures of despatches during any particular period and those of receipts during the same period.

(b) Does not arise.

दिल्ली में देशी गेहूं की बिक्री

1603. **श्री हिम्मतसिंहका :** **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री अंबर्चेजियान :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि वह देसी गेहूं का मूल्य घटा के और दिल्ली में गेहूं की निर्बाध बिक्री की अनुमति दे तथा राशन की दुकानों के माध्यम से केवल आयातित गेहूं की बिक्री की अनुमति दे ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) मुख्य कार्यकारी पार्षद्, दिल्ली प्रशासन ने राशन की दुकानों से सप्लाई किए जाने वाले गेहूं के निर्गम मूल्यों में कमी करने सम्बन्धी प्रश्न को अनौपचारिक रूप से उठाया था। दिल्ली प्रशासन ने 21 फरवरी, 1968 से संघ शासित प्रदेश दिल्ली के अन्दर गेहूं और चावल की खुले बाजार में निर्बाधबिक्री के लिए अनुमति देने का निर्णय किया है। तथापि, सरकारी खाद्यान्नों का वितरण अनौपचारिक राशन-व्यवस्था के आधार पर जारी रहेगा।

सीमेंन्ट रुई मिलों में न्यूनतम मजूरी का निर्धारण

1604. **श्री गाडिलिगन गौड** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुई कताई मिलों तथा सीमेंट निर्माण मिलों के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए कोई न्यूनतम मजूरी निर्धारित की गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो कार्यभारित कर्मचारियों की दैनिक मजूरी क्या है और इन संस्थानों के अन्य कर्मचारियों के मासिक वेतन क्या हैं ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो उसके क्या कारण है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) से (ग) इन दो उद्योगों। रोजगारों ने न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने का मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है।

सामुदायिक विकास खण्ड

1605. **श्री गाडलिंगन गौड** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964–65 से 1966–67 तक की अवधि में विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत देश में सामुदायिक विकास खण्डों के लिये कितनी राशि नियत की गई है ; और

(ख) इस राशि में से कितने प्रतिशत भत्ते कर्मचारियों आदि पर खर्च किया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) :

(क) केन्द्र द्वारा व्यय के अलग-अलग शीर्षों के अनुसार निधि का आवंटन नहीं किया जाता है। खंड स्कीमेटिक बजट में से विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत किया गया वास्तविक व्यय, जैसा कि राज्य सरकारों ने सूचित किया है, निम्न प्रकार था :—

(करोड़ रुपए में)

शीर्ष	1964–65	1965–66	1966–67*
1. खण्ड मुख्यालय (परिवाहन, बीज-भण्डार सूचना केन्द्र, कार्यालय उपकरण आदि सहित)	17.29	17.38	17.95
2. कृषि विकास			
(क) कृषि तथा पशुपालन	6·85	7.93	3·83
(ख) सिंचाई तथा भूमिसुधार	12·63	11·25	3·96
3. ग्रामोद्योग	2·66	2·52	2·43
4. सुख-साधन			
(क) स्वास्थ्य तथा ग्राम सफाई	4·03	4·43	2·43
(ख) शिक्षा	2·92	3·66	1·21
(ग) समाज-शिक्षा	2·78	2·49	1·57
(घ) संचार	3·26	3·37	2·75
(ङ) आवास	1·85	1·95	1·00
5. प्रवर्गीकृति (आयात किया गया उपकरण, उचंत प्रभार आदि, सहित)	0·31	0·49	1·89
योग	54·58	54·97	38·12

(ख) स्कीमेटिक बजट में से किए गए कुल व्यय के मुकाबले में खण्ड मुख्यालयों (परिवहन, बीज भण्डार, सूचना केन्द्र, कार्यालय उपकरण आदि सहित) पर किए गए खर्च का प्रतिशत वर्ष 1964–65, 1965–66 तथा 1966-67 में क्रमशः 31·7, 31·6 और 47·1 बैठा।

ट्रैक्टरों का आयात

1606. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

*अस्थायी

(क) वर्ष 1964-65 से 1966-67 तक की अवधि में विदेशों से कितने ट्रैक्टरों का आयात किया गया और विभिन्न प्रकार के ट्रैक्टरों के बिक्री मूल्य क्या-क्या निर्धारित किये गए ;

(ख) क्या यह सच है कि आयातकों तथा व्यापारियों को काफी अधिक प्रतिशत कमीशन दिये जाने के कारण ट्रैक्टरों के मूल्य किसानों के लिए अधिक हैं ;

(ग) क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत बिचौलिये की कमीशन समाप्त करके किसानों द्वारा अपने उपयोग के लिए सीधे ट्रैक्टरों का आयात किया जा सके ; और

(घ) क्या सरकार ने गैर-सरकारी वर्कशाप मालिकों द्वारा किसानों के शोषण को रोकने के लिए वर्कशाप खोल कर किसानों के ट्रैक्टरों की मरम्मत के लिए सुविधा प्रदान करने की कोई योजना बनाई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1964-65 से 1966-67 तक की अवधि में निम्नलिखित कृषि-ट्रैक्टर आयात किये गये थे :—

1964-65	2323
1965-66	1989
1966-67	2591

इस अवधि में आयात हुए निम्नलिखित किस्म के ट्रैक्टरों के मूल्य (अवमूल्यन के पूर्व के मूल्य) उनके सम्मुख प्रदर्शित किये गये हैं :—

जैटर 3011 (चेकोस्लोवेकिया)	9326.00 रुपए
डीटी-28 (सोवियत संघ)	7500.00 रुपए
डीटी-14 बी (सोवियत संघ)	4200.00 रुपए
बाईलरस (सोवियत संघ)	10300.00 रुपए

ये मूल्य चुंगी, हैंडलिंग, क्लियरिंग, बन्दरगाह तथा अन्य फुटकर खर्चों के अतिरिक्त हैं। इन मूल्यों में ढुलाई, पैकिंग व परिवहन के खर्चे भी शामिल नहीं हैं। ये खर्चे (जो विभिन्न प्रेषण और विभिन्न स्थानों के लिए भिन्न भिन्न थे) उपरोक्त ऐक्सपोर्ट मूल्यों में शामिल कर दिये गये थे।

अवमूल्यन के पश्चात् तथा उपरोक्त अवधि में व्यापारिक आयात के लिए केवल डीटी-4 बी तथा बाईलरस ट्रैक्टरों के आयात की अनुमति दी गई है। इन दो माडलों के एक्स-गोदाम बन्दरगाह मूल्य निम्न प्रकार हैं :—

डीटी-14 बी रुपए 6931 (माल उतारने की बन्दरगाह पर संभालने व क्लियरिंग के व्यय शामिल हैं)

बाईलरस रुपए 15045·00

उपरोक्त बाईलरस ट्रैक्टरों के मूल्य हैंडलिंग, क्लियरिंग, बन्दरगाह व अन्य फुटकर खर्चों,

के वास्तविक आंकड़े (बशर्ते कि वे सी आई एफ मूल्य पर 3 प्रतिशत तक की सीमा के अन्तर्गत हो) मूल्य में जोड़ दिये जाते हैं।

इसके अतिरिक्त डीटी 14 बी तथा बाईलरस दोनों प्रकार के ट्रैक्टरों के वास्तविक सीमा कर (यदि कोई हो तो), ढुलाई, पैकिंग, परिवहन तथा बीमे के खर्चे भी मूल्य में जोड़ दिये जाते हैं। ये खर्चे विभिन्न प्रेषणों और विभिन्न स्थानों के लिए भिन्न-भिन्न हैं। कुछ जैटर 3011 ट्रैक्टर, जिनके आयात हेतु अवमूल्यन से पूर्व अनुमति दी गई थी, अवमूल्यन से पश्चात् प्राप्त हुए थे और उपरोक्त खर्चों के अतिरिक्त उनका मूल्य 14,688.00 रुपये था।

(ख) जी नहीं। एजेन्ट को डीटी–14 बी ट्रैक्टरों के 5513.00 रुपए के सी आई एफ मूल्य पर 20 प्रतिशत कमीशन और बाईलरस ट्रैक्टरों के 12785.00 रुपये के सी आई एफ मूल्य पर $16\frac{1}{2}$ प्रतिशत कमीशन लेने की अनुमति है। इन कमीशनों में सर्विस चार्जेज के लिए राज्य व्यापार निगम को मिलने वाला $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत कमीशन भी शामिल है। इन ट्रैक्टरों के मूल्य उचित हैं।

(ग) कुछ उपायों पर विचार किया जा रहा है। फिर भी यह निर्णय किया गया है कि भविष्य में ट्रैक्टरों का वितरण यथा-सम्भव एग्रो इन्डिस्ट्रीज कार्पोरेशन को सौंप दिया जाये और आयातित जैटर 2011 ट्रैक्टरों के एजेन्टों के तौर पर काम करने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशनों की स्थापना के लिए शुरूआत कर दी गई है।

(घ) जी हां, इस सम्बन्ध में एक योजना तैयार की जा रही है।

पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों का पुनर्वास

† 1607. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास पर सरकार ने कितना धन व्यय किया है और कितने व्यक्तियों को अब तक बसाया गया है ;

(ख) प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रकार की सहायता दी गई है ; और

(ग) वित्तीय सहायता अथवा अन्य प्रकार की कोई सहायता किस आधार पर निश्चित की गई थी ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बा० रा० चव्हाण) :

(क) जिन्हें शिविरों में आवास दिया गया था उनमें से लगभग 29·53 लाख व्यक्तियों को अब तक बसाया जा चुका है।

31–3–1967 तक प्रव्रजकों के सहायता तथा पुनर्वास पर 258·43 करोड़ रुपये की धन राशि खर्च की गयी थी। 1967–68 के बजट अनुमानों में इस प्रयोजन के लिये 22·44 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस वर्ष के खर्च के अन्तिम आंकड़े जून, 1968 के अन्त तक उपलब्ध होंगे।

(ख) एक विवरण, जिसमें विस्थापित व्यक्तियों को दी जा रही मुख्य सहायता प्रतिरूप दिया गया है, संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 196/68]

(ग) विस्थापित व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकताओं, उनकी सामान्य आर्थिक स्थिति, प्रचलित मूल्य स्तर, तथा अन्य सम्बन्धित कारणों को ध्यान में रखते हुए सहायता का प्रकार निश्चित किया जाता है।

Package Programme

1608. **Shri Deorao Patil:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it s a fact that the package programme, which Government have been carrying on since 1963 is likely to be discontinued from 1969; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Minstry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) No.

(b) Does not arise.

Supply of Foodgrains at Subsidised rates

1609. **Shri Deorao Patil:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of States in which the persons drawing pay beyond a certain limit are not suplied foodgrains at subsidised rates ;

(b) the names of States which have decided not to supply foodgrains at controlled prices to the persons drawing salaries beyond a certain prescribed limit and also the amount of the limit prescribed for the purpose ; and

(c) the percentage of cut imposed on the monthly ration supplied by the Centre as a result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) and (b) According to the information available with the Central Government income limits for supply of goodgrains through fair price shops have been fixed in Gujarat and Madhya Pradesh. The income limit prescribed in Gujarat is Rs. 6,000 per family per year excluding agricultural income. In Madhya Pradesh persons having an income of more than Rs.300 per month are not issued foodgrains through fair price shops.

(c) No cut has bee imposed on this account. Suplies of foodgrains to the States from the Central pool are made on the basis of overall availability with the Centre and the distribution requirements of various deficit States.

देहाती क्षेत्रों में नये डाकघर

1610. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देहाती क्षेत्रों में नये डाकघर खोलने से सरकार को नुकसान होता है ;

(ख) वर्ष 1967-68 में इस प्रकार कुल कितना नुकसान हुआ है ;

(ग) उपर्युक्त अवधि में भारत में तथा मध्य प्रदेश में कितने-कितने डाकघर खोले गये और

(घ) उपर्युक्त अवधि में वहाँ पर देहाती और ग्रामीण क्षेत्रों में कितने-कितने डाकघर खोले गए ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हाँ।

(ख) अभी पता नहीं है, चूंकि वित्तीय वर्ष समाप्त नहीं हुआ है।

(ग) भारत : 506
मध्यप्रदेश : 46
} 1-1-1968 को।

(घ)

	शहरी	ग्रामीण	
भारत :	77	429	1-1-1968 को।
मध्यप्रदेश :	7	39	

Co-operative Farming in Israel

1612. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Food and Agriculure** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that co-operative farming has a great success in Israel ;

(b) if so, whether Government propose to make a study of their system and utilise it in India ?

The Ministry of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) Yes, Sir. Co-operative farming is generally considered to have been successfully organised in Israil.

(b) The working of the co-operative movement including cooperative farming, in Israel was studied by a team constituted by the Government of India in 1959. The features of co-operative farming in Isreal as revealed by this study, were taken into consideration by the Government of India while formulating the programme for co-operative farming in the Third Plan.

Trade Unions

1613. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have any proposal under consideration to safeguard the trade unions from exploitation by outside elements and vested interests keeping in view the interests of labourers ; and

(b) if so, the details thereof ;

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) :

(a) and (b) Several suggestions have been made to Government for an amendment

of the Trade Unions Act, 1926, so as to reduce the number of outsiders among office bearers of unions. The National Commission on Labour is also seized of the problem. The matter will be examined further on receipt of the Commission's report.

कोयला मजूरी बोर्ड

1614. **श्री देवेन सेन :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अभी तक कोयला मजूरी बोर्ड की मजदूरों को उपदान देने सम्बन्धी सिफारिश स्वीकार नहीं की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कोयला खान मालिक छंटनी का मुआवजा दिये बिना डाक्टरी सम्बन्धी अयोग्यता के आधार पर बड़ी संख्या में खनिकों तथा मजदूरों को काम पर से निकाल रहे हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार उपदान सम्बन्धी सिफारिश को मानकर खनिकों तथा मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने का है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) जी हाँ ।

(ख) इस प्रकार की कुछ शिकायतों की सूचना मिली थी । केन्द्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी के हस्तक्षेप पर प्रबन्धकों से छंटनी न करने का आग्रह किया गया ।

(ग) मजूरी बोर्ड ने सिफारिश की कि सरकार को कोयले पर उपकर लगाना चाहिए और इस प्रकार निर्मित निधि से श्रमिकों को उपदान देना चाहिए। सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों की क्रियान्विति के बाद इस सुझाव पर गौर करने का विचार है ।

Food Policy

1615. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Enquiry Commission appointed by the Government of Madhya Pradesh to investigate into the police firing in Jabalpur on the question of food policy on the 26th May last year has sought clarification from the State Government as well as from the Central Government in regard to the charges made before it about Government's food policy ; and

(b) if so, the details of the clarifiction furished by the Central Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) It has been reported by the Government of Madhya Pradesh that the Secretary to the Jabalpur Commission of Inquiry had forwarded copies of statements filed before the Commission regarding general policies of the State and Central Goverments relating to food, edcuation and taxation for comments of the State Government and the Government of India if they from deemed it necessary to make any. No clarification has been sought by the Commission either the State or the Central Government.

(b) Does not arise.

Damage to P and T. Offices due to Anti-Hindi Agitation

1616. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Posts and Telegraphs Offices have been extensively damaged by Anti-Hindi agitators in Madras, Kerala and Andhra Pradesh ;

(b) if so, the extent of loss to the Post and Telegraphs Department as a result of the agitation, and the number of post offices and sub-post offices demaged in various States separately ; and

(c) the number of persons arrested in this conection and the action taken against them ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I.K.Gujral) : (a) There was no damage to P & T offices in Kerala and Andhra Pradesh. In Madras, however, some offices were slightly damaged.

(b) The agitators mainly resorted to demonstrations outside P & T Offices and indulged in erasing the Hindi characters of the nameboards and sign-boards. In some cases they took away the Hindi sign boards or broke them. The number of affected Post offices in Madras Circle is eight. Some departmetal motor vehicles were also subject to minor damage. The cost of the damage to the vehicles is estimated to be a littleover Rs.1,200.

(c) This Department has no information whether any person was arrested in this connection.

श्रम तथा समाज-कल्याण में डिग्री

1617. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि उनके मंत्रालय द्वारा राँची विश्वविद्यालय की श्रम तथा समाज-कल्याण की एम० ए० की डिग्री को मान्यता न दिये जाने के कारण उस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को विशेष कर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा केन्द्रीय पूल में श्रम अधिकारियों जैसी सेवायें प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई हो रही है ;

(ख) क्या पटना, बिहार (इस समय मुजफ्फरपुर में) और भागलपुर विश्वविद्यालयों की वैसी ही डिग्री को श्रम अधिकारी (केन्द्रीय पूल) भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम, 1951 के अन्तर्गत मान्यता दी गई है ;

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये उक्त भर्ती नियमों के अन्तर्गत राँची विश्वविद्यालय की एम० ए० (श्रम तथा समाज-कल्याण) की डिग्री को मान्यता देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) जी नहीं।

(ख) जी हाँ।

(ग) और (घ) इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में जब कोई बात सरकार के सामने लाई जायेगी तब इस मामले पर विचार किया जायगा।

Co-operative Sugar Mill in Madhya Pradesh

1618. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any proposal to set up a Co-operative Sugar factory in the Chambal irrigated area of District Bhind in Madhya Pradesh in collaboration with the Madhya Pradesh Government ; and

(b) if so, the details thereof and the likely benefits therefrom ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) No, Sir.

(b) Question does not arise.

प्रयोगात्मक नलकूप संगठन

1619. **श्री लषणलाल कपूर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय की अनौपचारिक सलाहकार समिति की कुछ समय पहले हुई बैठ में यह सुझाव दिया गया था कि विभिन्न राज्यों में नलकूपों के वास्तविक छिद्रण का काम भी भारत सरकार का प्रयोगात्मक नलकूप संगठन ही करे ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) मौजूदा लोक-सभा की इस मंत्रालय से सम्बन्धित अनौपचारिक सलाहकार समिति ने अपनी बैठकों में इस विषय में कोई विशेष सुझाव नहीं दिये थे, हालाँकि भूमिगत विकास कार्यक्रम को गतिमान करने के बारे में सुझाव अवश्य दिये गये थे। समन्वेषी नलकूप संस्था का मूल उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में भूमिगत जल के बारे में समन्वेषण करना है ताकि ऐसे क्षेत्रों को रेखांकित किया जा सके जहाँ नलकूपों द्वारा सिंचाई करने के लिए भूमिगत जल संसाधन मौजूद हों। फिर भी, यह संस्था उत्पादन विषयक नलकूपों के निर्णय में समय-समय पर विभिन्न राज्य सरकारों की सहायता करती रही है। आशा है कि राज्य सरकारों के ड्रिलिंग संगठनों के सुदृढ़ हो जाने से समन्वेषी नलकूप संस्था अपने मूल उद्देश्य पर अपना ध्यान केन्द्रित कर सकेगी।

प्रयोगात्मक नलकूप संगठन

1620. **श्री लख लाल कपूर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के प्रयोगात्मक नलकूप संगठन के चीफ इंजीनियर का विचार अपने एक डिवीजन वाराणसी को दक्षिण भारत ले जाने का है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह चीफ इंजीनियर इस कार्य के लिए कई बार दक्षिणी भारत गये हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) यह सच नहीं है कि समन्वेषी नलकूप संस्था का वाराणसी प्रभाग दक्षिण भारत में ले जाया जाने वाला है। फिर भी रुड़की में स्थित प्रभाग को भू-जल समन्वेषण के लिए मद्रास में सन् 1968–69 के दौरान ले जाने का प्रस्ताव है।

(ख) जी नहीं।

(ग) मद्रास में भू-जल समन्वेषण कार्य सन् 1964 के आरम्भ में ही बन्द कर देना पड़ा था और राज्य सरकार की ओर से अभाव क्षेत्रों में उत्पादन नलकूपों के निर्माण के लिए रिगों को राजस्थान को परिवर्तित करना पड़ा था। इसी प्रकार राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों की अति आवश्यकताओं के कारण तीसरी योजनावधि के दौरान, आँध्र प्रदेश में समन्वेषी कार्य नहीं किया जा सका। अतः सन् 1968–69 के दौरान इन दोनों राज्यों में समन्वेषी कार्य शुरू किये जाने का प्रस्ताव है।

प्रयोगात्मक नलकूप संगठन

1621. **श्री लषण लाल कपूर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1954–55 से लेकर 1966–67 तक की अवधि में केन्द्र ने प्रयोगात्मक नलकूप संगठन पर (विदेशी सहायता सहित) कुल कितना धन व्यय किया और उसके आँकड़े क्या हैं;

(ख) वर्ष 1967–68 में उस पर कुल कितना खर्च आने की सम्भावना है और खर्च के आँकड़े क्या हैं ;

(ग) वर्ष 1954–55 से लेकर 1966–67 तक की अवधि में विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से उपकरणों आदि के रूप में कुल कितनी विदेशी सहायता मिली है ; और

(घ) उक्त अवधि में विभिन्न राज्यों में छिद्रण कार्य के लिये कितने स्थानों का परीक्षण किया गया और कितने स्थानों पर वस्तुतः छिद्रण कार्य (बोरिंग) किया गया ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी प्रदर्शित करने वाला एक विवरण (अनुबन्ध i) संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 197/68**]

(ग) (i) उपकरण 139.99 लाख रुपए (लगभग)

(ii) तकनीकी सलाह देने वाली एक अमरीकी संस्था की सेवायें 51.83 लाख रुपए (लगभग)

(घ) अपेक्षित जानकारी प्रदर्शित करने वाला एक विवरण अनुबंध ii) संलग्न है।

[**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०** 197/68]

Shifting of Office of Food Corporation of India From Delhi

1622. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to

refer the to reply given to Unstarred Question No. 1130 on the 21st November, 1967 and state :

(a) whether Government propose to shift the Office of the Food Corporation of India from New Delhi with a view to save the high monthly rental of the office building and also in view of the fact that the working field of this Corporation is outside Delhi.

(b) if not, whether Government have made any arrangements for housing the Corporation in a Government building ; and

(c) the expenditure incurred so far by Government on the rent for housing the Corporation in Delhi so far ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Communtity Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) There is no such proposal.

(b) No Government building is available.

(c) No expenditure has been incurred by Government on the rent for housing the Corporation in Delhi. The Food Corporation of India has incurred an expenditure of about Rs.5.35 lakhs so for by way of rent for its head office in Delhi.

Agricultural Production in U.. P.

1623. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount of grants and loans to be given by the Central Government for the various schemes to increase agricultural production in Uttar Pradesh during 1968-69 ; and

(b) the amount sought to be allocated by the Goverment of Uttar Pradesh ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) Central Assistance in the form of loans and grants is indicated under broad heads of Development and not for individual schemes. The headwise Central Assistance by way of loans and grants under the agricultural sector for 1968-69 has not yet been finalised.

(b) In their Annual Plan proposals for 1968-69, Government of Uttar Pradesh had proposed an outlay of Rs.47.03 crores under the Agricultural Programme.

बरमों (ड्रिलिंग रिग) का आयात

1624. **श्री टी० पी० शाह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968–69 में बरमों के आयात के हेतु राज्यों के लिए विदेशी मुद्रा की कोई राशि नियत की गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। फिर भी 1966–67 तथा 1967–68 की अवधि में जारी की गई विदेशी मुद्रा से आयात होने वाली कुछ रिगें देश में 1968–69 में पहुंच जाने की सम्भावना है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन

1625. **श्री गं० च० दीक्षित**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्यप्रदेश में टेलीफोन लगवाने के कितने आवेदन-पत्र इस समय अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) गत वर्ष ऐसे कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत थे तथा उस अवधि में कितने टेलीफोन लगाये गये ;

(ग) इन आँकड़ों के आधार पर किसी व्यक्ति को टेलीफोन लगवाने के लिए कितना समय लगता है ; और

(घ) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना-अवधि के पूरा होने पर टेलीफोन लगवाने की माँग को पूरा करना सम्भव होगा ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री ई० कु० गुजराल) : (क) 31-12-67 को मध्य प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन मंजूर करने के लिए अनिर्णीत पड़े आवेदन-पत्रों की संख्या 10,617 थी ।

(ख) 31-12-1966 को अनिर्णीत पड़े आवेदन-पत्रों की संख्या 9406 थी और 1967 में दिये गये कनेक्शनों की संख्या 2900 थी ।

(ग) अलग-अलग एक्सचेंज की स्थिति अलग-अलग है । 50 लाइन या इससे कम के एक्सचेंजों में देरी मामूली है । रायपुर-जबलपुर तथा इंदौर को छोड़कर जहाँ कनेक्शन मिलने में तीन से आठ वर्ष लग जाते हैं, अन्य स्थानों पर औसतन दो से दस महीने की देरी होती है ।

(घ) नये टेलीफोन कनेक्शनों की माँग हमेशा बढ़ती रही है और हालाँकि उपलब्ध साधनों के भीतर एक्सचेंज उपस्कर तथा अन्य आवश्यक सामान का उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं, फिर भी 1970-71 के पहले टेलीफोन कनेक्शनों की सभी माँगों की पूर्ति हो जाने की आशा नहीं है। यदि मौजूदा प्रतीक्षा-सूचियों के सभी कनेक्शन दे भी दिये जायं, तो भी तब तक और प्रतीक्षा-सूचियाँ तैयार हो जायेंगी ।

मध्य प्रदेश में शिक्षित लोगों में बेरोजगारी

1626. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) जनवरी, 1965 से दिसम्बर, 1967 तक की अवधि में मध्य प्रदेश के विभिन्न रोजगार-दिलाऊ कार्यालयों में कितने शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के नाम दर्ज थे, और

(ख) उपर्युक्त अवधि में किने शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को इन रोजगार-दिलाऊ कार्यालयों द्वारा रोजगार दिलाया गया ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) और (ख) जानकारी नीचे लिखी सारणी में दी गई है।

कार्यकाल	वर्ष के अन्त में नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज शिक्षित (मैट्रिक और इससे अधिक) प्रार्थियों के नाम*	वर्ष के दौरान नियुक्ति सहायता पाने वाले शिक्षित (मैट्रिक और इससे अधिक) प्रार्थियों की संख्या
1	2	3
1964	44,006	17,463
1965	58,520	16,667
1966	66,942	15,050
1967	83,077	14,714

मध्य प्रदेश में नलकूपों के लिये ऋण

1627. **श्री गं० च० दीक्षित :** **श्री राम सिंह अयरवाल :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार से पर्याप्त ऋण न मिलने के कारण मध्य प्रदेश सरकार के पास नलकूपों के लिये ऋण देने के सम्बन्ध में बहुत से आवेदन-पत्र लम्बे समय से अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे कितने आवेदन-पत्र हैं और इन ऋणों के कब तक दिए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हाँ, तो सहायता-रूप में कितनी राशि दी जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) जानकारी मध्य प्रदेश सरकार से इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

जम्मू तथा काश्मीर में बीज में आत्मनिर्भरता

1628. **श्री स० चं०सामन्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर को विभिन्न बीजों में आत्म-निर्भर बनाने तथा हर तीन वर्ष में पुराने बीजों के स्थान पर नए बीज देने के सम्बन्ध में कोई बड़ा अभियान चल रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस काम में शीघ्रता लाने के लिये कोई विशेष एकक खोला गया है;

(ग) क्या यह सच है कि बीज फार्मों के लिये चुने गए अधिकतर क्षेत्र जम्मू-पाकिस्तान सीमा पर स्थित हैं; और

(घ) क्या केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन इन योजनाओं में मदद कर रहा है?

*इनमें वे लोग भी शामिल हैं जो कहीं नियुक्त थे परन्तु अच्छी नौकरी की तलाश में थे।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हाँ। जम्मू तथा काश्मीर सरकार बीज उत्पादन के लिये 2 बड़े आकार के फार्मों (एक काश्मीर सूबे के सोनवारी नामक स्थान पर तथा दूसरा जम्मू सूबे के पर्गवाल नामक स्थान पर) की स्थापना करने और नन्दपुर के मौजूदा फार्म को काम में लाने का प्रस्ताव है।

(ख) 1968-69 में राज्य के बजट में धन की व्यवस्था कर दी गई है और आशा है कि कार्य अप्रैल, 1968 में शुरू हो जायेगा।

(ग) नन्दपुर तथा पुर्गवाल फार्म जम्मू सूबे में भारत-पाक सीमा पर स्थित हैं। सोनवारी फार्म (काश्मीर सूबा) सीमा से दूर है।

(घ) इस समय केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन मौजूद नहीं है। फिर भी पुनर्वास मंत्रालय ने छम्ब व जोड़ियाँ क्षेत्र में शरणार्थियों के पुनर्वास कार्यों के लिए अनेक ट्रैक्टर दिए हैं। इन ट्रैक्टरों को बीज फार्मों के लिए प्रयोग में लाने का प्रस्ताव है।

मनीपुर के सहकारी विभाग के निरीक्षक

1629. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के सहकारी विभाग के निरीक्षकों ने गत तीन महीनों से वेतन हड़ताल कर रखी है;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी शिकायतें क्या हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मांत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पशु चिकित्सा तथा पशुपालन विभाग, मनीपुर

1630. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मनीपुर के पशु चिकित्सा तथा पशुपालन विभाग के 1965 को समाप्त होने वाले लेखों की हाल ही में जाँच की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो लेखा-परीक्षकों ने क्या निष्कर्ष निकाले; और

(ग) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) पशु चिकित्सा तथा पशुपालन विभाग के लेखों की विशेष जाँच अप्रैल 1962 से जुलाई, 1965 की अवधि के लिए सन् 1965-66 में की गई थी।

(ख) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में कई अनियमिततायें बताई गई हैं।

(ग) इस समय एक समिति द्वारा इन पर विचार किया जा रहा है।

Block Development Officials and Village-Level Workers in Uttar Pradesh

1631. **Shri Yashpal Singh** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have issued instructions to entrust the work of propagating family planning programmes to the Block Development Officials and Village-level Workers in Uttar Pradesh ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operatin (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) and (b) While, as far as the village level worker is concerned, he has been assigned duties exclusively for agricultural production, the Central Governmnt's stand has been that the Block Development Officer and the Block staff should give maximum support ad active assistance to the motivational aspect of the family planning programme, as distinct from its clinical aspects which would remain centred on the medical and para-medical staff under the supervision of the State Health Departments. All State Governments have been addressed in this behalf.

मैसर्स फायरस्टोन टायर एण्ड रबर कम्पनी में हड़ताल के कारण श्रम-घंटों की हानि

1632. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 में मैसर्स फायरस्टोन टायर एण्ड रबर कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड (प्रा०) में हड़ताल के कारण कितने श्रम घंटों की हानि हुई थी ;

(ख) हड़ताल के कारण उत्पादन में कितनी हानि होने का अनुमान है ;

(ग) हड़ताल के कारण क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार इस हड़ताल को समाप्त करने के लिए अपनी सद्भावना का प्रयोग करने का है ; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) से (ङ) : इस प्रतिष्ठान के औद्योगिक सम्बन्ध महाराष्ट्र राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं ।

कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्विति

1633. **श्री देवेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा स्वीकृत रूप में कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशें भारत में कोयला खानों के नियोजकों द्वारा क्रियान्वित की गई हैं ;

(ख) क्या किसी कोयला खान ने नई बढ़ी हुई दर पर परिवर्तनीय मंहगाई-भत्ते के बारे में कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशें क्रियान्वित की हैं और यदि हाँ, तो उनके क्या नाम हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि अधिकतर कोयला खान नियोजकों ने समय पर कर्मचारियों

की विधिसंगत मजूरी आदि नहीं दी है और बकाया भुगतान प्रणाली लागू कर दी है जिसके परिणाम-स्वरूप कर्मचारियों की मजूरी का बड़ा भाग नियोजकों के हाथों में रह जाता है; और

(घ) यदि हाँ, तो कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) यह सूचना मिली है कि 285 कोयला खानों ने, जिनमें 3,52,952 श्रमिक काम करते हैं और जिनमें काम करने वाले श्रमिकों की संख्या कुल श्रमिकों की संख्या का 82 प्रतिशत हैं, मजूरी बोर्ड की सिफारिशों पर क्रियान्वित करना शुरू कर दिया है।

(ख) 88 कोयलाखानों ने मजूरी बोर्ड द्वारा सिफारिश की गई वर्धित दरों से परिवर्ती मंहगाई-भत्ते की अदायगी कर दी है। संबंधित प्रबन्धक ये हैं:—

1—टाटा
2. एन० सी० डी० सी० लि०।
3. मैसर्स एण्ड्रू यूल एण्ड्रू कं०
4. सिंगरेनी कोलियरीज़ कं० लि०।
5. मैसर्स सियरसोल कोल कं० लि०
6. माधवपुर बीरा, मनोहरबहल एन्ड साउथ जोयरामदंगा कोलियरीज़।

(ग) और (घ) जैसा कि भाग (क) के उत्तर में बताया गया है, क्रियान्वित की प्रक्रिया अभी पूरी होनी है। क्षेत्रीय अफसरों से, जो कि श्रमिकों को उनका बकाया यथाशीघ्र दिलाने के बारे में प्रयत्न कर रहे हैं, इस संबंध में सूचना प्राप्त हो रही है।

काश्मीर के साथ दूर संचार सम्पर्क

1634. **श्री हरदयाल देवगुण**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1968 के प्रथम सप्ताह में कुछ समय तक काश्मीर तथा देश के अन्य भागों के बीच संचार-साधन कटे रहे ;

(ख) इसके क्या कारण थे ;

(ग) क्या काश्मीर में जब भारी हिमपात होता है तो संचार-साधन प्रायः कट जाते हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो श्रीनगर और दिल्ली के बीच संचार-साधन बराबर बनाये रखने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) जी हाँ।

(ख) नरोटा (ऊँचाई: समुद्र तल से 9,680 फीट ऊपर) स्थित माइक्रोवेव रिपीटर केन्द्र पर अभूतपूर्व भारी हिमपात के कारण नई लगाई गई माइक्रोवेव प्रणाली में खराबी पैदा हो गई। खुली तार लाइनों के मार्ग को भी क्षति पहुँची।

(ग) जी हाँ। यह घटना अभी तक खुली तार लाइनों पर हो जाती थीं, फिर भी, नई माइक्रोवेव प्रणाली को स्थिर होने के लिए काफी समय नहीं मिल पाया था। इतना ही नहीं अभूत-पूर्व भारी हिमपात से संचारण-मार्ग भी रुक गया था।

(घ) विभिन्न उपायों की जाँच हो रही है और जैसे ही मौसम ठीक हो जाएगा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

मनीपुर में लगान की वसूली

1635. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर संघ राज्यक्षेत्र में 1 जनवरी, 1966 से बढ़ी हुई दर और नए कृषि वर्ष के आधार पर लगान वसूल किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1965-66 वर्ष, मार्च, 1966 के अन्त तक के लिए लगान देने के बाद लगान वाले वर्ष 1966 के लिए लगान दे रहे हैं;

(ग) क्या पूरे वर्ष 1965-66 के लिए दिया गया लगान केवल 9 महीनों अर्थात् 1 अप्रैल, 1965 से 31 दिसम्बर, 1965 तक का ही लगान माना गया है; और

(घ) यदि हां, तो भूमि के मालिकों से कितना लगान अधिक वसूल किया गया है और इसे किस प्रकार वापस लौटाया जा रहा है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मनीपुर में ग्राम पंचायतें

1636. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **खाद्य, तथा कृषि,** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी स्तरों पर विकास योजनायें तैयार करने तथा उनकी क्रियान्विति में सम्बद्ध करने के लिये मनीपुर में ग्राम पंचयतों को सुविधायें दी जाती हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी आय के साधन क्या हैं; और अपने-अपने गाँवों में विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये सरकार द्वारा उन्हें यदि कोई अनुदान दिए जाते हैं तो उनका ब्यौरा क्या है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मनीपुर में ग्राम पंचायत

1637. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मनीपुर में ग्राम-पंचायतों में दो उच्च स्तर अर्थात् जिला तथा खण्ड स्तर बनाने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा; और

(ग) इस समय मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र में पंचायत-आन्दोलन की क्या कमियाँ हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) से (ग) अब केवल इसी केन्द्र शासित क्षेत्र में ग्राम-पंचायतें हैं। एक विधेयक विचाराधीन है जिसके अन्तर्गत ग्राम-सभाएं उनकी कार्यकारी समितियों, जिन्हें ग्राम स्तर पर ग्राम-पंचायतें, खण्ड स्तर पर पंचायत समितियाँ और केन्द्र शासित क्षेत्र के स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र सलाहकार समिति कहा जाता है, के साथ स्थापित की जाती हैं। कानून पास होने के बाद ही ये संस्थाएं स्थापित की जाएंगी।

राष्ट्रीय श्रम संहिता

1638. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम संहिता बनाने के सम्बन्ध में अब तक कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) :

(क) इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्नों के लिये अतिरिक्त भाण्डागार

1639. **श्री वीरेंद्र कुमार शाह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब कि इस वर्ष बहुत अच्छी फसल होने की सम्भावना है, देश में अनाज के संग्रह के लिये उसके अनुपात से भाण्डागार अपर्याप्त हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्र में इस समय स्वीकृत टाइप के कितने भाण्डागार उपलब्ध हैं; और

(ग) प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्र में अतिरिक्त भाण्डागारों की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी नहीं।

(ख) केन्द्रीय सरकार, भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भाण्डागार निगम, राज्य भाण्डागार निगम तथा प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार/प्रशासन और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध कुल भंडारण क्षमता को बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 198/68]

(ग) भारतीय खाद्य निगम प्राथमिकता के आधार पर अधिशेष राज्य पंजाब, हरियाना, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में अतिरिक्त भाण्डागारों के निर्माण संबंधी कार्य शुरू कर रहे हैं।

दिल्ली के चिरागदिल्ली डाकघर में टेलीफोन व्यवस्था

1640. **श्री अब्दुल गनी दार**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में चिरागदिल्ली स्थित डाकघर में टेलीफोन की व्यवस्था नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है;

(ग) यदि हाँ, तो उपर्युक्त डाकघर में टेलीफोन लगाने में देर होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस डाकघर में सार्वजनिक टेलीफोन लगाये जाने की भी सम्भावना है?

(ङ) यदि हाँ, तो कब; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ, केबिल बिछाने का काम अभी हाल ही में पूरा हुआ है।

(ग) केबिल की कमी और एक्सचेंज उपस्करों का उपलब्ध न होना।

(घ) जी हाँ।

(ङ) मई, 1968 में।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

वन तथा कृषि भूमि का भू-संरक्षण

1641. **श्री हेम राज**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वन तथा कृषि भूमि के भू-संरक्षण के लिये उनका मंत्रालय उत्तरदायी है और बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं के जलागम क्षेत्रों में भू-संरक्षण के लिये सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय जिम्मेदार है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनके कार्य में तालमेल स्थापित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। वन, कृषि तथा अन्य भूमियों पर भूमि संरक्षण कार्य अपने समस्त विकास कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में, राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किए जाते हैं। खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय की वित्तीय तथा तकनीकी सहायता से राज्यों तथा डी० वी० सी० जैसे कुछ परियोजना अधिकारियों द्वारा 13 मुख्य नदी-घाटी परियोजनाओं के जलागम क्षेत्रों में भूमि-संरक्षण की एक विशेष केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना भी कार्यान्वित की जाती है।

(ख) विभिन्न एजेंसियों में तकनीकी समितियों द्वारा नियमित रूप से क्षेत्रों में जाकर और राज्य अधिकारियों से विचार-विमर्श करके और जहाँ आवश्यकता हो वहाँ अवन्त-मंत्रालय विचार-विमर्श करके समन्वय किया जाता है। वार्षिक योजना के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करते समय, प्रगति पर विस्तारपूर्वक पुनर्विलोकन भी किया जाता है।

टेलीफोन और तारघर

1643. **श्री हेमराज** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1967 के अन्त तक पिछले पाँच वर्षों में कितने टेलीफोन और तारघर मंजूर किए गए तथा राज्य और संघ राज्य-क्षेत्रवार टेलीफोनों और तारघरों के नाम क्या हैं; और; और

(ख) इनमें से कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार खोले गए हैं और काम कर रहे हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय लोक-सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

डाक तथा तार कर्मचारियों के आवास के लिए भूमि का अधिग्रहण

1644. **डा० संतोषम** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने डाक तथा तार विभाग के आवास के लिये गैर-सरकारी नागरिकों से विकसित भूमि का अधिग्रहण करने के प्रश्नों पर विचार करने के लिये एक समिति बनाई है; और

(ख) यदि हाँ, तो जब तक इस समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता, तब तक इस कार्य के लिए विकसित भूमि का अधिग्रहण करने से रोकने और उसके बदले में केवल अविकसित भूमि का ही अधिग्रहण करने के लिये क्या राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को निर्देश जारी करने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) जी नहीं। किन्तु भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की कार्य पद्धति का परीक्षण करने के लिये एक समिति स्थापित कर दी गई है।

चीनी का लागत ढांचा

1646. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री क० प्र० सिंह देव :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या **प्रशुल्क** आयोग **को** सरकार ने कहा है कि वह चीनी के लागत ढाँचे पर नए सिरे **से** विचार करे और चीनी का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिये नई लागत अनसूर्च की सिफारिश करे ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके निर्देश क्या है ; और

(ग) इसके द्वारा कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हाँ।

(ख) टैरिफ आयोग से अनुरोध किया गया है कि वह चीनी के लागत ढाँचे की नए सिरे से जाँच करे और चीनी उद्योग को देय उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए नई लागत अनसूचियाँ तैयार करे। आयोग से यह भी अनुरोध किया गया है कि वह अपनी सिफारिशें तैयार करते समय अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों की भी जाँच करे :--

(1) क्या कारखानों का जोनों में वर्गीकरण चीनी जाँच आयोग की सिफारिशों के अनुसार होना चाहिये और यदि नहीं तो किन अन्य आधारों पर है ? इस वर्गीकरण में कारखाने की पिराई क्षमता को क्या भूमिका अदा करनी चाहिये ? वर्गीकरण का आधार जिसकी अब टैरिफ आयोग द्वारा सिफारिश की जाएंगी को ध्यान में रखते हुए ये जोन जिनमें कारखानों के ग्रुप बनाए जाने चाहिये, कैसे होने चाहिये ?

(2) मूल्य निर्धारण की लागत अनुसूचियाँ तैयार करते समय, आयोग उस आधार, जिससे मूल्य-ह्रास के लिये व्यवस्था की जानी चाहिये, के बारे में सिफारिश कर सकता है, क्या लागत ढाँचे में अनुमेय मूल्य-ह्रास का हिसाब परिसम्पत्ति के प्रतिस्थापन मूल्य अथवा लिखित मूल्य पर लगाया जाना चाहये और कारखानों को जो कि अपने संयंत्र का आधुनिकीकरण करते हैं अथवा अपनी क्षमता का विस्तार करते हैं, लगाई गयी पूंजी की कैसे क्षतिपूर्ति की जानी चाहिये ?

(3) क्या निर्बंध बाजार क्षेत्र में स्थित कारखानों की क्षतिपूर्ति के लिये मूल्य में व्यवस्था की जानी चाहिये क्योंकि ऐसे क्षेत्रों के कारखानों को अपेक्षाकृत ऊँची उत्पादिता और बेहतर कार्यकुशलता के कारण अन्य क्षेत्रों में कारखानों की अपेक्षा अन्तर्निहित फायदे हैं यदि ऐसा है तो इसके लिये क्या व्यवस्था होनी चाहिये ?

(4) क्या गन्ने की कटाई और खेतों से कारखानों तक गन्ने की तेजी से ढुलाई हेतु

संगठित एवं कुशल प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिये गन्ने की खेत पर कीमत निर्धारित की जानी चाहिये और चीनी की कीमत में इसकी व्यवस्था की जानी चाहिये ?

(5) कारखानों को मौसम शरू होने से पूर्व अथवा गरम मौसम में देर तक कार्य करने के कारण गन्ने से चीनी की उपलब्धि में होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति के लिये क्या प्रोत्साहन दिए जाने चाहिये और किस हद तक ?

(6) चीनी कारखानों को नियमित रूप से भले ही गुड़ और खंडासरी के मूल्यों में उतार-चढ़ाव हो, गन्ना दिलाने के लिये उत्पादकों को प्रेरित करने के लिये मूल्य निर्धारण प्रणाली का किस हद तक प्रयोग किया जा सकता है ?

(ग) आयोग से यह अनुरोध किया गया है कि वे अपनी रिपोर्टें/सिफारिशें यथाशीघ्र लेकिन संकल्प की तारीख अर्थात् 7 फरवरी, 1968 से 9 महीनों की अवधि के अन्दर सरकार को प्रस्तुत कर दें।

महाराष्ट्र में चावल और ज्वार की वसूली

1647. **श्री देवराव पाटिल** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में महाराष्ट्र राज्य में एकाधिकार वसूली योजना के अन्तर्गत किसानों से ज्वार और चावल कितना वसूल किया गया;

(ख) क्या इस प्रयोजन हेतु निर्धारित लक्ष्य पूरे हो गए हैं;

(ग) क्या वसूल किए गए ज्वार और चावल से राज्य की कमी की स्थिति का सामना किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उस राज्य ने केन्द्रीय सरकार से कितने अनाज की माँग की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) :

(क) 10 फरवरी, 1968 तक अधिप्राप्त की गई मात्रा इस प्रकार थी :—

ज्वार	38,762	मीटरी टन
धान	1,77,185	,,
चावल	24	,,

(ख) खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

(ग) महाराष्ट्र एक कमी वाला राज्य है और खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति उसकी मूल कमी को दूर नहीं कर सकती । भविष्य में प्रतिकूल दैवी कारणों से यदि कोई कमी की स्थिति पैदा हुई तो उपलब्ध खाद्यानों का उपयोग करके प्रभावित क्षेत्रों की सहायता की जाएगी।

(ख) राज्य ने केन्द्र से वर्ष भर के लिए किसी विशिष्ट मात्रा की अभी तक कोई औपचारिक माँग नहीं की है ।

Gheraos

1648. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of incidents of Gherao occurred in the industrial establishment in various States since the 15th December, 1967 ;

(b) whether there has been a heavy decline in production as a result of Gheraos; and

(c) if so, the amount of loss sustained by the industrial establishment during the last three months on account of gheroas in various States ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) :

(a) Information is being collected and will be laid on the table of the House.

(b) Separate figures of man-days lost on account of Gheraos are not available. Gheraos did, however, contribute to loss in industrial production.

(c) Information in regard to the value of production lost during the three months ending January, 1968 is being collected and will be laid on the table of the House.

Missing of Parcel from Gorakhpur Post Office

1649. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an insured parcel worth Rs.3,500 was missing from Gorakhpur Post Office in the second week of January, 1968 :

(b) if so, whether a thorough search has been conducted in respect of the missing parcel ; and

(c) if so, when the missing parcel was traced and the action taken against the person concerned in this regard ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral):

(a) No. There had been no case of loss of insured parcel from Gorakhpur Post Office in January, 1968. The reference is presumably to the case of loss of a cash bag of Chauri Chaura Sub-Office, remitting an amount of Rs.3,500 to Gorakhpur H. O. on 4/5-1-1968.

(b) and (c) Yes, but the cash bag has not yet been traced. The official suspected has been placed under suspension and the investigations by the police are in progress.

Whips' Conference, Simla

1650. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a decision to provide certain facilities to the political parties, their leaders and the whips was taken at the conference of Chief Whips held in Simla ; and

(b) if so, the action taken by the Central Government in this regard ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) One of the recommendations of the Sixth All India Whips' Conference, held at Simla in October, 1967, reads—

"The Government Chief Whips of the State/Union Territorie should be Ministers of Parliamentary Affairs as in the Centre ; the Government Deputy Chief Whips should be either Deputy Minister or given the status of Deputy Ministers; the Chief Whips of recognised Opposition Parties in Parliament/Legislatures should be given facilities as available to Deputy Ministers; and the Regional Government Whips and Chief Whips of the recognised Opposition Groups in Parliament/Legislatures should be given the facilities as are available to Parliamentary Secretaries. Suitable facilities should be provided to Whips of different parties in the Metropolitan Council also ".

(b) The matter is under consideration.

पंजाब, राजस्थान तथा हरियाना के सीमावर्ती क्षेत्रों में नलकूप

1650–क. **श्री वेदव्रत बरुआ:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब, राजस्थान, हरियाना तथा गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में नलकूप लगाने के काम में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) वर्ष 1967–68 और 1968–69 के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) वर्ष 1967–68 में कितना लक्ष्य पूरा हुआ है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) जानकारी राज्य सरकार से इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

लम्बे रेशे वाली कपास

1650 ख. **श्री चंगलराया नायडू:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने लम्बे रेशे की बढ़िया कपास के बारे में अनुसंधान करने के लिये 56 लाख रुपए की एक अनुसंधान परियोजना चालू की है, ताकि देश को इसके आयात पर कम निर्भर रहना पड़े ;

(ख) भारतीय वस्त्र उद्योग की लम्बे रेशे की कपास की वार्षिक माँग कितनी है;

(ग) उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होती है; और

(घ) इस योजना के क्रियान्वित होने के पश्चात् विदेशी मुद्रा की कुल कितनी बचत होने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी हाँ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने पहली अप्रैल 1967 से चार वर्ष के लिए 56 लाख रुपए की लागत पर कपास की एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना स्वीकृत की है। इस परियोजना के अन्तर्गत अखिल भारतीय आधार पर कार्य किया जायेगा जिसमें केन्द्रीय अनुसंधान संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों और राज्यों के कृषि विभागों का

सहयोग उपलब्ध होगा। इस परियोजना का दूसरा विशेष पहलू इसकी अपनी अन्तर्नुशासनता है और इनका कार्य उत्तम किस्म के विकास के लिए उत्पत्ति-विषयक सुधार तक ही केवल सीमित नहीं है, बल्कि रोगों तथा कीड़ों के नियंत्रण तथा रेशे की किस्म से भी सम्बन्धित है। इस परियोजना के अन्तर्गत निम्नलिखत संस्था तथा उप-केन्द्रों में कार्य क्षेत्रीय अधार पर किया जाएगा :—

राज्य	मुख्य केन्द्र	उप-केन्द्र
हरियाणा	हिसार	—
पंजाब		लुधियाना
राजस्थान	श्रीगंगानगर	राजस्थान नहर का क्षेत्र
गुजरात	सूरत	तलोद, जूनागढ़ तथा विरामगढ़
महाराष्ट्र	कोला	अचलपुर तथा नान्देड़
मध्य प्रदेश	इन्दौर	खण्डवा और बदनावर
मैसूर	धरवार	भद्रावती, करभावी तथा सरगुप्पा
आन्ध्र प्रदेश	तेनाली	अमरावती तथा नन्दयाल
मद्रास	कोयम्बेतूर	कोवलमती और श्रीविलीपुथर

आई० ए० आर० आई०, नई दिल्ली
तथा कोयम्बेतूर
काटन टेक्नोलोजीकल रिसर्च
लेबोरेटरी, बम्बई

पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारत में कपास के कुल उत्पादन को बढ़ाने के लिये जो विकासात्मक कार्यक्रम बनाया गया है उससे $1-\frac{1}{16}$ इंच से लम्बे रेशे की कपास के सम्बन्ध में पर्याप्त आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की सम्भावना है। फिर भी $1-\frac{1}{16}$ इंच से अधिक लम्बे रेशों की कपास का उत्पादन करने के लिये भारतीय कपास फसलों के संचयन में अधिक सुधार के लिए अनुसंधान-कार्य को तीव्र करने की आवश्यकता है। कपास सम्बन्धी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना कपास के आयातों पर निर्भरता को कम करने के लिये $1-\frac{1}{16}$ इंच के और उससे अधिक लम्बे रेशे वाले बढ़िया कपास के अनुसंधान की गति को तीव्र करेगी।

(ख) देश को कपास सम्बन्धी कपड़ा-उद्योग की वर्तमान माँग 64–65 लाख गाँठ प्रति-वर्ष है। इन माँग में से लगभग 8–9 लाख गाँठों की आवश्यकता आयातों द्वारा पूरी की जाती है, जो कि लम्बे रेशे वाली होती हैं। ये आयात कुछ तो विश्वव्यापी स्रोतों से किए जाते हैं जिन पर विदेशी मुद्रा खर्च होती है और कुछ पी० एल० 480 के अधीन अमरीका से लिए जाते हैं और उनकी अदायगी रुपयों में की जाती है।

(ग) विश्वव्यापी स्रोतों से आयातों के लिए चालू मूल्यों के अनुसार मोटे तौर पर प्रति वर्ष 15 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है।

(घ) अनुमान है कि $1-\frac{1}{16}$ इंच वाले और उससे अधिक लम्बे विदेशी कपास के रेशों की 8-9 लाख गाँठों का वार्षिक आयात किया जाता है जिस पर प्रतिवर्ष विदेशी मुद्रा के रूप में 51 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। $1-\frac{1}{16}$ इंच वाले और उससे अधिक बढ़िया रेशे वाली कपास सम्बन्धी अनुसंधान की गति नियमित रूप से तीव्र होने के कारण आयातों पर निर्भर रहना कम हो जाएगा।

भारतीय सागौन की लकड़ी (टीक)

1650-ग. **श्री चंगलराया नायडू** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य तथा कृषि संगठन के प्रतिवेदन के अनुसार, भारतीय सागौन की लकड़ी की, जिसकी विदेशों में बहुत अधिक माँग है, **यूरोप** में अधिक माँग होने की **सम्भावना** है;

(ख) यदि हाँ, **तो** निर्यात बढ़ाने के निमित्त सागौन की लकड़ी का **उत्पादन** बढ़ाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि **खाद्य** तथा कृषि संगठन के इस प्रतिवेदन पर नई दिल्ली में 3 जनवरी, 1968 **को** हुए नवें राष्ट्रमण्डलीय वन सम्मेलन में विचार किया गया था; और

(घ) यदि हाँ, तो **इसके** क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) इस विषय पर खाद्य एवं कृषि संगठन का कोई प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं हो रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अल्प-सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

नवगाम तेल-क्षेत्र

1. **श्री मनुभाई पटेल** : क्या **पेट्रोलियन तथा रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 फरवरी, 1968 को गुजरात में नवगाम तेल क्षेत्र में कोई अग्नि दुर्घटना घटित हुई;

(ख) कितने अधिकारी मृत्यु को प्राप्त हुए; और

(ग) प्रायोजना की कितनी हानि हुई ?

पैट्रोलियम, रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) जी, नहीं। तथापि, एक दुर्घटना घटी जिसके परिणामस्वरूप कैम्बे में अग्नि दुर्घटना हुई ।

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा नियोजित एक उत्पादन परिचालक तथा तेल-पोत ठेकेदार द्वारा नियोजित एक ड्राइवर तथा एक क्लीनर की मृत्यु हुई ।

(ग) प्रायोजना को अनुमानत: लगभग 100 रुपए की हानि हुई ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

विधि आयोग का 29वां प्रतिवेदन

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): मैं विधि आयोग का 29 वाँ प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूँ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 182/68]

भारतीय तार-यंत्र (नवां संशोधन) नियम

संसदीय कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं भारतीय तारयंत्र अधिनियम, 1885 (हिन्दी संस्करण) की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तारयंत्र (नवाँ संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ जो दिनांक 19 दिसम्बर 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1901 में प्रकाशित हुए थे ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 183/68]

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचना

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत भारतीय मक्का (माँड बनाने में अस्थायी उपयोग) आदेश, 1968 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ, जो दिनांक 9 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 283 में प्रकाशित हुआ था।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 184/68]

लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम तथा कोयला खान भविष्य-निधि और अधिलाभांश योजनाएं अधिनियम के अधीन जारी की गयी अधिसूचनाएं

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री स० मु० जमीर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1961 की धारा 8 की उपधारा (4) के अन्तर्गत लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर (संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ, जो दिनांक 20 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 133 में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी० 185/68]

(2) कोयला खान भविष्य निधि तथा अधिलाभांश योजनाएं अधिनियम 1948 की धारा 7- क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1968, जो दिनांक 27 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 157 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) आन्ध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1968, जो दिनांक 27 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 158 में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1968, जो दिनांक 27 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 159 में प्रकाशित हुई थी।

(चार) नेवेली कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1968, जो दिनांक 27 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 160 में प्रकशित हुई थी।

(पाँच) कोयला खान भविष्य निधि (आसाम) संशोधन योजना, 1968, जो दिनांक 27 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 161 में प्रकाशित हुई थी।

(छः) कोयला खान भविष्य निधि (रीवा तथा कोरिया) संशोधन योजना, 1968, जो दिनांक 27 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 162 में प्रकाशित हुई थी।

(सात) कोयला खान भविष्य निधि (तालचेर) संशोधन योजना, 1968, जो दिनांक 27 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 163 में प्रकाशित हुई थी।

(आठ) आन्ध्र प्रदेश कोयला खान अधिलाभांश (संशोधन) योजना, 1968, जो दिनांक 3 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 192 में प्रकाशित हुई थी।

(नौ) राजस्थान कोयला खान अधिलाभांश (संशोधन) योजना, 1968 जो दिनांक 3 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 193 में प्रकाशित हुई थी।

(दस) आसाम कोयला खान अधिलाभांश (संशोधन) योजना, 1968, जो दिनांक 3 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 194 में प्रकाशित हुई थी। [पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 185/68]

लोकपाल विधेयक पर राय

OPINION ON LOKPAL BILL

श्री प्र० के० देव (कालाहाँडी) : मैं कतिपय मामलों में प्रशासनिक कार्यवाहियों की जाँच के लिए लोकपाल नामक एक प्राधिकरण की नियुक्ति एवं उसके कृत्यों तथा तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक, जिसे 1 दिसम्बर, 1967 को सभा के निदेश के अनुसार राय जानने के लिए परिचालित किया गया था, से सम्बन्धित पत्र संख्या 1 को सभा-पटल पर रखता हूँ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1967–68

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS) 1967-68

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : श्री चे० मु० पुनाचा की ओर से मैं वर्ष 1967–68 के बजट (रेलवे) सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक माँगों का विवरण सभा-पटल पर रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : जब तक आप सभा की कार्यवाही न चलने देंगे, तब तक मैं भी चुप बैठा हूँ। (अन्तर्बाधायें) **यदि आप प्रतिदिन सभा की कार्यवाही में बाधा उपस्थित करेंगे तो मैं ऐसा करने की अनुमति नहीं दूंगा। (अन्तर्बाधायें) **कुछ भी कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(अन्तर्बाधाएं) **

लोक-लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

14वां प्रतिवेदन

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट) : शिक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित विनियोग लेखे (सिविल),

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।
**Not recorded.

1965-66 और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1967 पर लोक-लेखा समिति का चौदहवाँ प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ।

कार्य-मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

चौदहवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं निम्नलिखत प्रस्ताव पेश करता हूँ।

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के चौदवें प्रतिवेदन से, जो 21 फरवरी, 1968 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

श्री नायनार (पालघाट) : यह प्रतिवेदन अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विधेयक 1967 के सम्बन्ध में है। यह विधेयक बिना वाद-विवाद के पास किया जाना है। मुझे इस पर आपत्ति है। इसकी चर्चा के लिये कम से कम एक घंटा दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : पहले इस विधेयक को बिना प्रवर समिति को सौंपे ही पारित करने का विचार था, परन्तु सरकार और विपक्ष के सदस्यों का कार्य-मंत्रणा समिति में यह समझौता हुआ कि इस विधेयक को पहले प्रवर समिति को सौंपा जाये तथा फिर प्रवर समिति के प्रतिवेदन पर सभा में वाद-विवाद हो। अब पहले यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जायेगा तथा तत्पश्चात समिति की रिपोर्ट पर सभा में एक या दो घंटे की चर्चा होगी।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा अनुरोध है कि अध्यापकों की माँग पर एक घंटे चर्चा की आप अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये अनुमति नहीं दी जायेगी।

श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेर) : कार्य-मंत्रणा समिति में यह तय किया गया था कि हजारी प्रतिवेदन पर इस सत्र के पहले सप्ताह में विचार होगा। परन्तु [अब दो सप्ताह बीत चुके हैं। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि उस पर कब चर्चा की जायेगी?

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : यदि सभा देर तक तथा शनिवार को बैठने के लिये तैयार हो तो उस पर चर्चा की जा सकती है।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मेरा यह निवेदन है कि अविश्वास के प्रस्ताव के लिये केवल 6 घंटे का समय नियत किया गया है जो विषय की महत्ता की दृष्टि से बहुत कम है। अतः उसके लिये कम से कम 10 घंटे नियत किए जायें।

डा० राम सुभग सिंह : इस सिफारिश पर मतैक्य है।

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूँ कि सभा की कार्यवाही के बारे में सब एकमत हों। मैं सरकार या प्रतिपक्ष के सदयों का पक्ष नहीं लेता हूँ। मेरा प्रयास यह होता है जिससे हर बात पर दोनों में समझौता हो। यह अविश्वास का प्रस्ताव केवल एक विषय पर आधारित है इसलिये इसके लिये एक दिन दिया गया है। चर्चा के दिन समय 6.30 या 7 बजे म० प० तक

बढ़ाया जा सकता है। यदि इसके लिये और अधिक समय माँगना है तो इस मामले को पुनः कार्य-मंत्रणा समिति को भेजना होगा।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : इस बारे में सभा फैसला कर सकती है।

अध्यक्ष महोदय : यह तो मैं भी मानता हूँ कि सभा सर्वोच्च है और वह कोई भी निर्णय ले सकती है। परन्तु ऐसा करने से कार्य-मंत्रणा समिति की उपयोगिता समाप्त हो जाती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हजारी समिति के प्रतिवेदन पर पहले सप्ताह में विचार किया जाना था जो अब तक नहीं किया जा सका। अब मंत्री महोदय ने एक शर्त सामने रख दी है कि यदि सभा देर तक बैठेगी तो उस पर विचार किया जायेगा। मंत्री महोदय का यह व्यवहार उपयुक्त नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इस बीच कच्छ निर्णय जैसे मामले सामने आये जिन पर वाद-विवाद स्थगित नहीं किया जा सकता है। बजट और रेलवे बजट को भी स्थगित नहीं किया जा सकता था।

श्री वी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : कार्य-मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन के बारे में एक सदस्य एक बात कहता है तो दूसरा कोई दूसरी बात कहता है। अतः मेरा सुझाव है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सदस्य संख्या बढ़ा दी जाये, जिससे अधिक से अधिक मत प्रकट किए जा सकें और सभा में उसके प्रतिवेदन पर मतैक्य हो जाये।

अध्यक्ष महोदय : कार्य-मंत्रणा समिति में सब दलों के सदस्य हैं और वहाँ निर्णय लिये जाते हैं। जो सदस्य कुछ सुझाव देना चाहते हैं और कार्य-मंत्रणा समिति के सदस्य नहीं होते, उनको भी समिति की बैठक में बुलाया जाता है। ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है कि उसमें एक निश्चित संख्या हो।

प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के चौदहवें प्रतिवेदन से, जो 21 फरवरी, 1968 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद-प्रस्ताव—जारी

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—CONTD.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा की जायेगी।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : राष्ट्रपति के अभिभाषण में अनेक विरोधाभास हैं और वह निराशाजनक है। जिन पवित्र कामनाओं को काँग्रेसी सरकार पूर्ण करने में असफल रही है, उनका जिक्र अभिभाषण में किया गया है। काँग्रेस अपने उच्च आदर्शों को छोड़ चुकी है और अब वह जैसे-तैसे सत्ता से चिपका रहना चाहती है। देश के विभिन्न भागों में जो आन्दोलन हुए हैं, वह राजनीति के कारण हुए हैं। राष्ट्रपति ने भी अपने अभिभाषण में विघटनकरी शक्तियों पर चिन्ता व्यक्त की है जिनके कारण क्षेत्र, भाषा या सम्प्रदाय के नाम से संघर्ष हुए हैं और हिंसात्मक घटनायें घटी हैं। भाषा विधेयक के साथ संकल्प पास नहीं किया जाना चाहिये था। इसके कारण ही मद्रास, मैसूर तथा आन्ध्र प्रदेश में उपद्रव हुए।

1967 के निर्वाचन के पश्चात जो गैर-काँग्रेसी सरकारें अनेक राज्यों में बनी, उनको गिराने के लिये कांग्रेस ने चाल चली और पश्चिमी बंगाल, बिहार, राजस्थान और हरियाणा की गैर-काँग्रेसी सरकारें ढह गई हैं। मद्रास और केरल राज्य की सरकारों को उखाड़ने के लिये भी केन्द्रीय काँग्रेसी सरकार प्रयास कर रही है। केरल की सरकार को उखाड़ने के लिये उसने एक अमानवीय तरीका अपनाया है और वह है कमी वाले राज्यों में पूरा अनाज न देकर अनाज संकट को विकट बनाना। केन्द्र ने केरल को प्रति व्यक्ति 6 औंस प्रतिदिन अनाज के हिसाब से 75,-000 टन चावल देने का वचन दिया था, परन्तु उसने इस वचन को पूरा न किया। उसने इससे आधा अनाज दिया। इसके अतिरिक्त केरल को अनाज पर दी जाने वाली राजसहायता भी बन्द कर दी गई है और अनाज का मूल्य भी बढ़ा दिया गया है। परन्तु केरल सरकार अनाज का वितरण दाम नहीं बढ़ाना चाहती। इस प्रकार केरल सरकार को लगभग 28 करोड़ रुपए की हानि होगी यदि राज्य सरकार इसी बात पर उड़ जाये तो हमें इसकी चिन्ता नहीं। केन्द्र सरकार आन्ध्र प्रदेश और मद्रास से कम मूल्य पर चावल खरीदती है और 23 रुपए प्रति क्विन्टल का लाभ लेकर केरल को देती है। यह मुनाफाखोरी क्यों। क्या इसलिये कि केरल में साम्यवादी सरकार है। केरल सरकार के प्रतिनिधि जब श्रीमती इन्द्रा गाँधी के पास अनाज की पर्याप्त सप्लाई के लिये गए तो वह नाराज हो गई और केरल को पूरी सप्लाई बन्द करने की धमकी दी। यदि ऐसा हुआ तो केरल शेष सारे भारत से अपने सम्बन्ध विच्छेद करने के लिये बाध्य हो जायेगा।

केन्द्र सरकार का केरल के प्रति व्यवहार कैसा है, इसके अन्य उदाहरण देखिये। केरल में एक जहाज बनाने वाले कारखाने की स्थापना की परियोजना बनाई गई थी, जो पहली से दूसरी और दूसरी से तीसरी तथा अब चौथी योजना के लिये स्थगित कर दी गई है। यही एक बड़ा उद्योग केरल में बनना था जिसे लगातार स्थगित किया जाता रहा है। थूम्बा राकेट स्टेशन के उत्सव के समय केरल के मंत्रियों को आगे की सीटें नहीं दी गईं। प्रधान मंत्री के सम्मान में आयोजित भोज में केरल के मुख्य मंत्री को आमंत्रित नहीं किया गया। क्या यह व्यवहार अपमानजनक तथा भेदभावपूर्ण नहीं है? केरल में पैदा होने वाली व्यापारिक फसलों से देश की कुल विदेशी मुद्रा की आय का 10 प्रतिशत कमाया जाता है परन्तु उसका लेशमात्र अंश भी केरल के विकास पर खर्च नहीं किया जाता। यदि केन्द्रीय सरकार का यही रवैया केरल के प्रति बना रहा, तो केरल भी एक अन्य मिजो क्षेत्र का रूप धारण कर लेगा।

श्री हनुमन्तय्या (बंगलौर) : मैं आचार्य कृपालानी द्वारा व्यक्त इस विचार से सहमत हूँ कि देश की कठिनाइयों के लिये काँग्रेस ही नहीं बल्कि विरोधी पक्ष के दल भी उत्तरदायी हैं। हमें यह नहीं सोचना है कि कौन-सा राजनीतिक दल किस सीमा तक उत्तरदायी है बल्कि हमें राष्ट्रीय एवं निष्पक्षता की भावना से इस समस्या पर विचार करना चाहिये। राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्याओं के विषय में दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर विचार करना चाहिये। सरकार राष्ट्र हित के सभी मुख्य मामलों पर सभी दलों के साथ विचार करने और उनके साथ परामर्श करने के लिये तैयार होगी। यहाँ पर एक बात को स्मरण रखना होगा कि न केवल सरकार बल्कि सभा में उपस्थित सभी राजनीतिक दल महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्याओं पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार करें। केवल काँग्रेस के दोष बताना एकपक्षीय दृष्टिकोण है और इससे कोई लाभ नहीं होगा। यदि विरोधीदल सरकार पर केवल आरोप ही लगायेंगे और सहयोग नहीं करेंगे तो विरोधी पक्ष भी सरकार के बराबर ही दोषी होगा।

मुझे प्रसन्नता है कि इस सभा में तथा राज्य-सभा में बहुत से सदस्यों ने यह अपील की है कि भाषा के मामले में मतैक्य होना चाहिये। परन्तु राष्ट्रपति के अभिभाषण में केवल इतना ही उल्लेख किया गया है कि सरकार को आशा है कि भाषा के सम्बन्ध में सभी विवादों का अन्त हो जायेगा।

इस स्थिति को दक्षिण भारत स्वीकार नहीं करेगा। मेरा विचार यह है कि चाहे उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हों या केरल के हों, वे सब भारतीय हैं और उन्हें परस्पर मिल कर विचार करके इस समस्या का समाधान करना होगा। इस समस्या के प्रति निष्पक्ष दृष्टिकोण अपना कर ही इसका समाधान हो सकता है।

मैं विद्यार्थियों से मिला हूँ उनके कुछ अपने संदेह हैं। संसद् सदस्यों को उनसे मिलना चाहिये और उन्हें आश्वासन दिया जाना चाहिये कि उनकी समस्याओं के प्रति जागरूक हैं और हम अन्तोगत्वा उनकी भलाई के लिये कार्य करेंगे। विद्यार्थियों और कार्यालय में कार्य करने वाले लोगों में इतनी दूरी है कि वे आपस में बातचीत नहीं कर सकते और इसके फलस्वरूप जब वे क्रुद्ध हो जाते हैं तो उन्हें शान्त करना कठिन हो जाता है। इसलिये भाषा के मामले में मेरा अनुरोध यह है कि राष्ट्रीय नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया जाये जिसमें विचार करके कोई सूत्र निकाला जाये जो सभी सम्बन्धित पक्षों के लिये संतोषजनक हो।

विरोधी दल काँग्रेस दल पर आरोप लगाते रहते हैं कि वह उनके मंत्रिमंडलों को अपदस्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। सत्ता प्राप्त करना राजनीतिक दलों का काम है और जब स्थान खाली न हो कोई अन्य दल सत्ता संभाल नहीं सकता। अन्य दलों के साथ-साथ यह कार्य काँग्रेस दल भी कर रहा है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। परन्तु इस प्रयोजन के लिये भ्रष्ट तरीके अपनाने का मैं विरोध करता हूँ। ये तरीके न केवल काँग्रेस बल्कि विरोधी दल भी उन्हें अपना रहे हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल इसी बात के उदाहरण हैं।

दल बदलने की प्रवृत्ति भी उसी प्रकार की है। कुछ समय पहले प्रधान मंत्री ने अपील की थी कि सभी राजनीतिक दलों को आपस में मिल कर एक आचार-संहिता बनानी चाहिये। आचार-संहिता में केवल दल बदलने का ही उल्लेख नहीं होना चाहिये बल्कि उसमें विधान मंडलों में औचित्य, मंत्रिमण्डलों के आकार और उनके कृत्यों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये। उत्तर प्रदेश के दो मंत्रियों ने मंत्री बने रहते हुए यहाँ पर आकर कानून का उल्लंघन किया। इस प्रकार का उदाहरण किसी देश के इतिहास में नहीं मिलेगा। यह कहा जाता है कि केन्द्र में विभिन्न दलों की सरकार होनी चाहिये। परन्तु यदि मंत्रिगण उसी प्रकार से कार्य करें जैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में किया है तो भारत बरबाद हो जायेगा। अतः किसी प्रकार के सहयोग की आशा करने से पहले हमें संवैधानिक सिद्धान्तों, कार्य करने के तरीकों और समस्या के साथ निपटने के उचित तरीकों को मन में धारण करना चाहिये।

आज प्रत्येक व्यक्ति देश की आर्थिक स्थिति के बारे में शिकायत कर रहा है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। श्री श्रीकान्त नायर ने चावल और अनाज की समस्या का उल्लेख किया है। एक समय आयेगा जब सभी दल मिल कर क्षेत्रीय प्रणाली को समाप्त करने का निश्चय करेंगे। यह क्षेत्रीय प्रणाली स्वार्थ को प्रश्रय देती है और यह देश की एकता और अखण्डता के विरुद्ध है। इस प्रणाली से भ्रष्ट राजनीतिज्ञों, भ्रष्ट व्यापारियों और भ्रष्ट अधिकारियों को लाभ होता है।

हम किसी विशेष संयंत्र की उत्पादन क्षमता और आय की परवाह न करके श्रमिकों को उत्तेजित करते हैं और इसके साथ-साथ उद्योगपतियों से हम कुछ और आशा करते हैं। इस प्रकार उद्योगपति अधिक लालची हो जाते हैं। फिर उनका काम ही अधिक से अधिक लाभ कमाना है।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Luch till Fourteen of the Clock.

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजे म० प० पुनः समवेत हुई ।

The Lok-Sabha then reassembled after Lunch at Fourteen of the Cloek.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री दीन दयाल उपाध्याय की मृत्यु की परिस्थितियों की जांच के बारे में

RE: INQUIRY INTO CIRCUMSTANCES OF DEATH OF SHRI DEEN DAYAL UPADHAYAYA

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Will the Minister of Home Affairs be pleased

to state the latest progress made in the inquiry pertaining to the circumstaces of death of Shri Din Dayal Upadhayaya ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh) : I shall inform the hon' ble Home Minister about it but it will be possible for him only on receipt of the Inquiry Report. If he has received any information, he will definitely give it.

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS

श्री हनुमन्तय्या : जब मैं श्रमिकों की माँगों और उन माँगों को पूरा करवाने के तरीकों की ओर देखता हूँ तो मैं यही महसूस करता हूँ कि उनमें भी कम बुराइयां नहीं हैं। श्रमिक अपनी माँगें पूरी करवाना चाहते हैं और उद्योगपति मनमाने दाम वसूल करना चाहते हैं परन्तु इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता वर्ग पिस रहा है। इसलिये बेचने वालों की मार्केट को खरीदने वालों की मार्केट में बदल देना चाहिये। देश में तभी संतोष होगा। हम सबको आर्थिक संतुलन कायम करने का प्रयत्न करना चाहिये।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में प्रशासनिक सुधार आयोग का उल्लेख किया था। सहयोग की प्रवृत्ति अपनाना प्रत्येक देशभक्त का कर्त्तव्य है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने 20 अध्ययन दल नियुक्त किए थे जिनमें से 15 अध्ययन दलों ने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिए हैं और पाँच ने अभी नहीं किए हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग चार प्रतिवेदन प्रस्तुत कर चुका है। योजना आयोग के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन को क्रियान्वित भी किया जा चुका है। हमने राज्य सरकारों को राज्य योजना बोर्ड स्थापित करने की सिफारिश की है। ये राज्य योजना बोर्ड प्रभावशाली ढंग से कार्य करेंगे और अपनी योजनायें बनायेंगे। फिर अन्त में केन्द्रीय योजना आयोग एक राष्ट्रीय योजना बनायेगा।

प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। मैं चाहता हूँ कि संसद् इस प्रतिवेदन पर चर्चा करे जिससे जो सिफारिशें उन्हें अनुचित प्रतीत हो वे उन्हें रद्द कर सकें। भारत सरकार मे 72 सरकारी उपक्रम हैं और उनमें 2,500 करोड़ रुपए से अधिक पूंजी लगी हुई है और एक या दो वर्षों में इनमें 1000 करोड़ रुपए और लगा दिए जायेंगे। इस सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो सिफारिशें की हैं उन पर संसद् को कम से कम एक सप्ताह तक विचार करना चाहिये। तभी खर्च की इतनी बड़ी धनराशि पर संसद् अपना प्रभावशाली नियंत्रण रख सकती है। यह सम्भव है कि इस मुद्रास्फीति और आर्थिक प्रगति में असंतुलन के लिये सरकारी क्षेत्र भी एक कारण हो क्यों कि इस क्षेत्र में उत्पादन और उसकी आय खर्च और नियोजन के अनुरूप नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हमारा विश्वास है परन्तु इसके साथ सरकार तथा इस संसद् ने मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को स्वीकार किया है। अतः हमें गैर-सरकारी क्षेत्र को भी प्रोत्साहन

देना है। उनकी निन्दा करना ठीक नहीं है। सरकारी क्षेत्र और गैर–सरकारी क्षेत्र को साथ-साथ चलना है।

प्रशासनिक सुधार आयोग का नवीनतम प्रतिवेदन बजट तैयार करने, लेखा और लेखा परीक्षा करने के बारे में है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। हमने एक नवीन वित्तीय वर्ष का सुझाव भी दिया है जो हमारी प्राचीन परम्पराओं और इस देश के मौसम, जो वर्षा के आधार पर निर्धारित होता है, के अनकूल है। इस सम्बन्ध में चर्चा करने के बाद संसद् को कोई करना चाहिये।

हमने सरकारी क्षेत्र में लेखा परीक्षा बोर्ड स्थापित करने की भी सिफारिश की है। हमारी सिफारिशों में कई नये एवं आधुनिक सुझाव दिये गये हैं। मैं चाहता हूँ कि संसद् इन पर चर्चा करे।

हमने मंत्रिमंडलों में मंत्रियों की संख्या निर्धारित करने के बारे में एक अध्ययन दल नियुक्त किया था। गत सप्ताह इस दल का प्रतिवेदन मिला है और हम इस सम्बन्ध में शीघ्र सिफारिशें करेंगे। यदि गैर–कांग्रेसी सरकारें शासन अच्छी तरह चलातीं तो सर्वप्रथम मैं उनका धन्यवाद करता। परन्तु हमने देखा है कि बिहार में 39 मंत्रियों ने शपथ ली है और इसके अतिरिक्त और भी मंत्री बनाये जा रहे हैं। ऐसे राज्य में सुधार की क्या गुंजाइश है? राजनैतिक अनैतिकता इतनी बढ़ गयी है कि दल बदलने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में मंत्रिमंडल में ले लिया जाता है। इसलिये मेरे विचार में संसद् को इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये क्यों कि एकता से ही प्रशासन को इस दलदल से निकाला जा सकता है।

श्री क० प्र० सिंह देव (ढेंकानल) : पन्द्रह वर्ष की योजना के बाद भी राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में यह कहा है कि सूखे के फलस्वरूप कृषि सम्बन्धी उत्पादन कम हुआ है जिसका औद्योगिक उत्पादन पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। कृषि हमारे देश का मूल उद्योग है जिससे लोगों को अनाज मिलता है, उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि थोक मूल्यों की वृद्धि में कमी हुई है। अनाज के उत्पादन में 200 लाख टन अनाज की वृद्धि के बावजूद थोक मूल्यों में अब भी 5.7 प्रतिशत की वृद्धि है। यह स्थिति क्षेत्रीय व्यवस्था और अनावश्यक नियंत्रणों के कारण है।

यह प्रसन्नता की बात है कि हमारे वैज्ञानिकों ने अधिक उत्पादन वाले बीज पैदा करके कृषि के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य किया है। दुर्भाग्य से उनकी सप्लाई कम है और वे चोर बाजार में बिकते हैं जिससे उनका उद्देश्य समाप्त हो जाता है।

भारत कृषि के सम्बन्ध में अब भी मुख्य तौर पर वर्षा पर निर्भर करता है। अब कृषि के सम्बन्ध में तकनीकी प्रगति के फलस्वरूप सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिये। उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये। अब तक बहुत कम भूमि में सिंचाई व्यवस्था हो सकी है। किसानों के लिये ऋण, उर्वरक, बिजली आदि की व्यवस्था से उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा और कृषि सम्बन्धी उत्पादन में पर्याप्त सुधार होगा। इस सम्बन्ध में मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि सिंचाई, बाढ़-नियंत्रण की सुविधाएं सब राज्यों में समान रूप से उपलब्ध

नहीं हैं। जिन क्षेत्रों में सूखा पड़ता है यदि वहाँ पर पर्याप्त जल की व्यवस्था की जाय तो वे अपनी कठिनाइयाँ दूर कर सकते हैं। उड़ीसा को इस सम्बन्ध में सबसे अधिक कठिनई का सामना करना पड़ा है ।

यह बड़े खेद की बात है कि उड़ीसा और मद्रास में आये तूफान और कोयना भूकम्प जैसे प्राकृतिक आपदाओं का, जिनमें लाखों लोगों का नुकसान हुआ है, राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।

अब सरकार हिंसात्मक आन्दोलनों, विभाजनकारी शक्तियों और सामरिक महत्व की सीमावर्ती क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में चिन्तित प्रतीत होती है। इस स्थिति के लिये देश विरोधी तत्व जिम्मेदार हैं जो लोकतंत्रीय संस्थाओं और प्रणालियों को कमजोर बना रहे हैं। इसा कारण राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता है। 20 वर्षों के शासन के पश्चात् भी कांग्रेस देश में आर्थिक स्थिरता कायम नहीं कर सकी है। कांग्रेस सरकार की नीतियों से कमिसारों, अधिकारीतंत्र और तकनीशनों को, जो किसानों और कर्मचारियों का शोषण करते हैं लाभ हो रहा है। कांग्रेस सरकार जो कार्य 20 वर्षों में नहीं कर सकी वह आशा करती है कि गैर-कांग्रेसी सरकारें उस कार्य को 11 महीने में कर दें।

आज स्थिति यह है कि अत्यधिक योग्य तकनीकी व्यक्ति बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं। यदि सरकार उन्हें यहाँ पर पर्याप्त सुविधायें नहीं दे सकती तो उन्हें विदेशों में रोजगार ढूंढ़ने से रोकना नहीं चाहिये। संयुक्त राष्ट्र के व्यापार एवं विकास सम्मेलन में राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा था कि संसार में अस्थिरता तथा तनाव धनवान और गरीब राष्ट्रों के बीच विषमता के कारण है। परन्तु फिर भी हमारे देश में राज्यों के विकास के सम्बन्ध में विषमताओं, असंतुलनों को दूर करने के लिये कुछ नहीं किया जा रहा। हमारे देश में उड़ीसा राज्य पिछड़ा हुआ है। वहाँ की प्रतिव्यक्ति आय सबसे कम है। इस क्षेत्र में उद्योग, बिजली, संचार और पत्तन सम्बन्धी सुविधाओं के विकास की काफी क्षमता है। तलछर औद्योगिक समूहों जैसे उत्पादक क्षत्रों में यदि पूंजी लगाई जाये तो उसमे इंजीनियरों को रोजगार मिलेगा, कुछ विषमताएं दूर होंगी। ऐसा करने से कृषि के लिये भी सामग्री मिलेगी और विदेशी सहायता पर निर्भरता कम होगी।

राष्ट्रपति ने सरकार के द्वारा हमारे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का संचालन कुशलतापूर्वक करने और वाणिज्यिक जहाजरानी तथा पत्तन की सुविधाओं के विकास करने के सरकार के इरादे की घोषणा की थी परन्तु परादीप पत्तन के सामान्य माल उतारने के घाट के विकास और निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया। यह पत्तन भारत में सबसे गहरा पत्तन है। भारत सरकार ने उड़ीसा सरकार को बिना कोई पैसा दिये इस पत्तन का कार्यभार सम्भाला है। छोटे पत्तनों के विकास के लिये भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हल्दिया और पारादीप के बीच चाँदबाली और पारादीप और विशाखापत्तनम के बीच गोपालपुर में छोटे पत्तनों के निर्माण की अत्यधिक आवश्यकता है।

यह खेद की बात है कि उड़ीसा और बिहार के बीच सीमा-विवाद अभी तक हल नहीं हुआ। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इस काम के लिये एक सीमा आयोग नियुक्त करे जिससे इस समस्या का संतोषजनक ढंग से समाधान हो सके।

यह संतोष की बात है कि सरकार नौसेना के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के कार्य में संलग्न है जिससे वह सिंगापुर और प्रशान्त महासागर से अंग्रेजों और अमरीकनों के चले जाने से उत्पन्न स्थिति का सामना कर सके। हमें भारत, जापान, न्यूजीलैण्ड, आस्ट्रेलिया तथा अन्य मित्र देशों के साथ मिल कर संयुक्त प्रतिरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिये। प्रतिरक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिये सरकार काफी प्रयत्न कर रही है परन्तु उन्हें यह नहीं भूलना चाहिये कि वर्तमान आणविक युग में परम्परागत हथियारों का अधिक महत्व नहीं रह गया है। इसलिये दक्षिणपूर्व एशिया की संयुक्त प्रतिरक्षा की व्यवस्था से ही चीन के साम्यवादी साम्राज्यवाद के आणविक दबाव से बचाव हो सकता है।

श्री रा० डो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : हमारे देश को दो युद्धों और दो अकालों का सामना करना पड़ा है जिसके देश की अर्थ-व्यवस्था को काफी धक्का लगा है। इस स्थिति को ले कर विदेशों में काफी झूठा प्रचार होता रहा है। चाहे प्रचार कुछ भी रहा हो हमारे देश ने इन आपदाओं का बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया है। अब हम आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं और हमें आशा है कि हमें इस कार्य में सफलता मिलेगी।

आत्मनिर्भरता का विचार करते हुए हमें सामाजिक न्याय की बात को नहीं भूलना चाहिये। हमें स्मरण रखना चाहिये कि हमारे देश में देहातों की संख्या सर्वाधिक है और भारतीय जनता के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन कृषि है। यह देखा गया है कि कृषि भूमि के वितरण की स्थिति बड़ी विषम है। हम भूमिहीन खेतिहरों और कृषि सम्बन्धी श्रमिकों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। आज भी खेती योग्य परती भूमि बेकार पड़ी है। जब हजारों और लाखों की संख्या में भूमिहीन लोग और खेतिहर श्रमिक मौजूद हैं तो सरकार इस परती भूमि को इन लोगों को क्यों नहीं देती जिससे उस भूमि में खेती की जा सके? कई वर्षों से खेतिहर श्रमिकों की स्थिति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम जब पास हुआ था तो मैंने कहा था कि भूमि का जितना छोटा एकक होगा उसमें परिश्रम अधिक हो सकेगा और उत्पादन अधिक होगा। इसलिये फालतू भूमि भूमिहीन किसानों को दी जानी चाहिये। भूमि की अधिकतम सीमा कर देनी चाहिये।

न्यूनतम मजूरी अधिनियम को क्रियान्वित नहीं किया गया है। खेतिहर मजदूरों की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिये एक नयी जाँच समिति बनायी जानी चाहिये।

आज इस देश की जनसंख्या का पाँचवा भाग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनकी स्थिति में सुधार करने के लिये संविधान में उपबन्ध रखे गए हैं। यहां तक कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त का एक पद भी बनाया गया है और पिछड़े हुए वर्गों के लिये एक आयोग की स्थापना भी की गयी है। परन्तु अनुसूचित जाति और अनुसूचित

जनजाति के आयुक्त की यह शिकायत रहती है कि उनके साथ सहयोग नहीं किया जाता। उन्होंने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है मैंने उसे पढ़ा है और उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें कोई सूचना नहीं दी जाती। इसलिये मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि इन लोगों के कल्याण के लिये एक अलग मंत्री होना चाहिये और एक अलग मंत्रालय बनाया जाना चाहिये। मंत्री इन्हीं जातियों का होना चाहिये क्योंकि यह एक मनोवैज्ञानिक मामला है।

बौद्ध लोगों को सुविधाएं देने के लिये काफी समय से विचार किया जा रहा है परन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वे बौद्ध लोगों को सुविधायें देने पर ध्यान दें।

अन्त में मैं यह बताना चाहता हूँ कि दल बदलने की काफी निन्दा की गयी है। इस सम्बन्ध में मेरा विचार यह है कि यदि राजनीति को नई दिशा देने के लिये दल बदला जाता है तो उसकी निन्दा नहीं की जानी चाहिये और यदि दल बदलने के पीछे सत्ता के लालच की भावना हो तो उसकी अवश्य निन्दा की जानी चाहिये।

हमें देश के हित और शक्ति को ध्यान में रख कर अपनी विदेश नीति पर फिर विचार करना चाहिये। यह कहा गया है कि आक्रांता को आक्रमण का लाभ नहीं उठाने दिया जाये परन्तु अभी तक चीन के कब्जे में हमारा क्षेत्र क्यों पड़ा है (व्यवधान) क्या हमें तिब्बत के सम्बन्ध में अपनी नीति को नहीं बदलना चाहिये? अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमें दलाई लामा की सहायता करनी चाहिये जिससे तिब्बत स्वाधीन हो सके और संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना उचित स्थान ग्रहण कर सके।

श्री अंबाजागन (तिरुचेनगोड): आरम्भ में मैं यह कहना चाहता हूँ कि द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम दल राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान किसी व्यक्ति या पद का अपमान करने के लिये नहीं बल्कि सरकार द्वारा की गयी गलतियों के कारण अनुपस्थित रहा। राष्ट्रपति ने गुण्डागर्दी और गैर-कानूनी गतिविधियों की निन्दा की है और हम उनके इन विचारों से सहमत हैं। हम यह स्वीकार करते हैं कि सड़कों पर हिंसात्मक आन्दोलनों से लोकतंत्रीय प्रणाली कमजोर होती है और राष्ट्रीय एकता को खतरा पैदा हो जाता है। जब तर्क से सरकार नहीं मानती तो लोगों के पास आन्दोलन और प्रदर्शन करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं रह जाता। दक्षिण में जो हिन्दी विरोधी आन्दोलन हुए हैं और संविधान का 17वाँ भाग जलाने की घटनायें हुई हैं उनके सम्बन्ध में राज्य सरकार कार्यवाही कर रही है और अपराधी व्यक्तियों को सजा दी जायेगी। राजभाषा के प्रश्न को ले कर दक्षिण में जो आन्दोलन हुए उसके लिये केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी है।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि सरकार की नीति देश की एकता को बनाये रखने की है। परन्तु वस्तुस्थिति यह नहीं है। हिन्दी को लादने से अन्य भाषाओं का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। सरकारी भाषा संशोधन विधेयक और उससे सम्बन्धित प्रस्ताव को क्रियान्वित करके देश की एकता के उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है, इस बात में मुझे

संदेह है। आज देश में दो प्रकार का प्रशासन चल रहा है। केन्द्र सरकार को अहिन्दी भाषी राज्यों के साथ अंग्रेजी में पत्र-व्यवहार करना पड़ता है और हिन्दी भाषी राज्यों के साथ हिन्दी में करना पड़ता है। भाषा के सम्बन्ध में सबसे बड़ी गलती संविधान सभा ने की थी, जिन्होंने हिन्दी के समर्थकों की माँग को उस समय स्वीकार कर लिया था कि हिन्दी संघ की राजभाषा होनी चाहिये। उन्होंने बाद में होने वाली कठिनाइयों पर विचार नहीं किया था।

जब से दक्षिण में हिन्दी आरम्भ की गई है तामिल भाषी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। श्री प्यारेलाल ने अपनी पुस्तक गाँधी जी के संस्भरण में उल्लेख किया है कि शायद राजा जी भी (राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज की भाँति) हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा बनाने को तैयार हो जाते परन्तु वह कभी भी इस बात के लिये सहमत नहीं होते कि केवल हिन्दी को राजभाषा का स्थान दिया जाये। हिन्दी समर्थक लोग हिन्दी को अनिच्छुक लोगों पर उनकी सहमति के बिना थोपना चाहते हैं। इसी कारण हिन्दी का विरोध भी बढ़ता जा रहा है और आन्दोलन भी समाप्त नहीं हो रहे हैं।

हिन्दी भाषा भाषियों के लिये अहिन्दी भाषा भाषियों की कठिनाइयों को समझना असम्भव है। लोकतंत्र की प्रगति के लिये न तो यह सहायक है और न यह वाँछनीय ही है। हिन्दी और अहिन्दी भाषा भाषियों में असमानता और असमान अधिकारों को ध्यान में रखते हुए अन्त में ऐसा समय आयेगा जबकि अहिन्दी भाषा भाषियों में रोष उत्पन्न हो जायेगा और देश में एकता स्थापित करना कठिन हो जायेगा।।

किसी एक वर्ग की भाषा को राजभाषा बनाकर केवल उस वर्ग को लाभ नहीं पहुँचाना चाहिये। ऐसा तब ही सम्भव हो सकता है जब अंग्रेजी को या उन राष्ट्रीय भाषाओं को जिन्हें संविधान द्वारा मान्यता दी गई है और जिन्हें राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, राजभाषा का स्थान दिया जाये। केन्द्र की शक्तियों को राज्यों में विभाजित किया जाना चाहिये। जब तक कोई संवैधानिक व्यवस्था की जाये केवल अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में जारी रखना चाहिये अंग्रेजी को जारी रखने का विरोध करना उचित नहीं है। श्री लालबहादुर शास्त्री ने 1962 में युवक काँग्रेस के दीक्षांत समारोह में यह विचार व्यक्त किए थे :—

"अंग्रेजी भाषा सब राज्यों के बीच सम्पर्क की भाषा है। राज्यों और केन्द्र के बीच भी पत्र व्यवहार अंग्रेजी में ही होना है। यदि अंग्रेजी को समाप्त कर दिया गया तो देश का विघटन हो जायेगा। भाषा के प्रश्न पर दूर दृष्टिकोण और राष्ट्र की एकता को ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहिये।"

क्या राजभाषा (संशोधन) विधेयक पर विचार करते समय इस बात पर विचार किया गया था? इस बात पर विचार नहीं किया गया था। तब ही ऐसा कहा जाता है कि अन्त में हिन्दी भाषा ही राजभाषा का स्थान लेगी। इसी कारण हम इस समस्या को हल करने में समर्थ नहीं हैं।

एकीकरण की प्रतिक्रिया को पूरा करना अभी बाकी है। देश को संगठित करने के लिये संविधान ही पर्याप्त नहीं है। लोगों को यह महसूस करना चाहिये कि वे सब मिलकर एक राष्ट्र हैं।

भारत में विभिन्न भाषाएं तथा संस्कृतियाँ हैं। अतः किसी एक प्रादेशिक भाषा को दूसरों पर नहीं लादा जाना चाहिये । विधेयक के साथ जड़े संकल्प के कारण दक्षिण के नवयकों में भय उत्पन्न हो गया है।

मद्रास विधान सभा में पारित किए गए संकल्प से यह कहा गया है कि चूंकि भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं अतः हिन्दी को ही राजभाषा बनाना उचित नहीं होगा। यह कहा गया है कि देश में एकता तभी सम्भव है जब हिन्दी को ही केन्द्र की एकमात्र राजभाषा घोषित किया जाये। अतः उचित यही होगा कि संसद द्वारा पारित इस संकल्प को शीघ्र वापिस ले लिया जाये।

मद्रास विधान सभा में संकल्प से उत्पन्न हुई परिस्थितियों के ही कारण विधान सभा ने त्रिभाषा सूत्र त्यागने का निर्णय किया है। इससे पहेले त्रिभाषा सूत्र को कार्यान्वित किया गया था परन्तु पूरी तरह नहीं। तीसरी भाषा हिन्दी को ऐच्छिक विषय रखा गया था और ऐच्छिक विषय होते हुए भी वह परीक्षा के दृष्टिकोण से अनिवार्य नहीं थी। एक प्रकार से यह विद्यार्थियों पर भार थी और इसका विद्यार्थियों ने तीव्र विरोध किया। विद्यार्थी इसको सीखने के लिये तैयार न थे किन्तु भूतपूर्व मद्रास सरकार ने केन्द्र सरकार को प्रसन्न करने के उद्देश्य से त्रिभाषा सूत्र को कार्यान्वित किया परन्तु व्यवहारिक तौर पर ऐसा नहीं हुआ।

हिन्दी भाषी लोग, विशेषकर जो प्रशासन में हैं, हिन्दी लादने का प्रयास कर रहे हैं। आकाशवाणी का भी प्रयोग केवल हिन्दी भाषी लोगों के लिये ही किया जाता है। इस सब का क्या प्रयोजन है। हिन्दी-देवनागरी के अंक संपवधान में स्वीकृत नहीं है। हिन्दी हमारे ऊपर अपना अधिपत्य नहीं जमा सकती। हिन्दी का विरोध हम अंग्रेजी के लिये नहीं कर रहे हैं बल्कि लोकतंत्र और देश की एकता के लिये कर रहे हैं।

खाद्य, कृषि तथा सामुदायिक विकास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : यह : बहुत प्रसन्नता की बात है कि सभा इस बात से सहमत है कि देश की एकता और संगठन बनाये रखना है। हमारा देश बहुत बड़ा है, जिससे विभिन्न राज्य, भाषोंएं और विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं। ऐसी भिन्नता होते हुए भी हमारा एक राष्ट्र है। देश की एकता और विशेषकर साँस्कृतिक एकता शताब्दियों से बनी हुई है। बड़े दुःख की बात है कि देश में विघटनकारी प्रवृत्तियाँ जोर पकड़ रही हैं जिससे देश की अखंडता और एकता को खतरा पैदा हो गया है। देश की अखंडता और एकता को बनाने के लिये यह आवश्यक है कि सब राजनीतिक दल इन प्रवृत्तियों को निरुत्साहित करें।

हमारे देश के विभिन्न राज्य हैं। किसी राज्य के व्यक्ति को दूसरे राज्य में जाने पर रोक नहीं है। भाषा, साम्प्रदायिक दंगे और राष्ट्र के हित को लेकर अभियान चलाये जाते हैं। ये

सब समस्याएं किसी दल की समस्याएं न हो कर देश की समस्याएं हैं। इन समस्याओं को हल करने के लिये यह आवश्यक है कि सब राजनीतिक दलों के नेता एक स्थान पर बैठ कर इस समस्या का हल खोजें।

जहाँ तक भाषा का सम्बन्ध है, किसी देश के किसी भी भाग में यह भावना नहीं होनी चाहिये कि किसी भाषायी वर्ग पर हिन्दी लादी जा रही है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि चूंकि हिन्दी को राज-भाषा घोषित कर दिया गया है तो हिन्दी ही अन्य भारतीय भाषाओं के मुकाबले अधिक विकसित है। हमें सभी भाषाओं का विकास करना चाहिये।

[श्री ग० सिंह ढिल्लों पीठासीन हुए
Shri G. S. Dhillon in the Chair]

यदि देश में स्थिरता नहीं होगी और वहाँ विनाशकारी आन्दोलन चलते रहेंगे तो देश में आर्थिक विकास का आधार ही समाप्त हो जायेगा। खाद्य और कृषि का हमारे देश के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और जब कभी खाद्य उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है तो देश की सारी आर्थिक-व्यवस्था संकट में पड़ जाती है। लगातार कई वर्षों के सूखे के कारण हमारी अर्थ-व्यवस्था पर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा।

सौभाग्य से इस वर्ष कृषि उत्पादन बहुत अच्छा होने की आशा है। इस वर्ष 950 लाख टन खाद्यान्नों के रिकार्ड उत्पादन की सम्भावना है। अच्छे मौसम के अतिरिक्त किसानों का पूरा सहयोग भी इस रिकार्ड खाद्यान्नों में सहायक रहा है। हमने कृषि के उत्पादन के तरीकों में बहुत उत्साह से काम लिया है।

इस रिकार्ड उपादन से हमें शिथिल नहीं पड़ जाना चाहिये। हमें वैसे ही प्रयत्न जो हमने गत वर्ष सूखे के समय किए थे जारी रखने चाहिये। हमें अपनी सिंचाई क्षमता को बढ़ाना चाहिये। इसके अतिरिक्त छोटी-छोटी सिंचाई योजना को भी जारी रखना चाहिये। सभा को इस बात की जानकारी है कि इस समय देश के बहुत गम्भीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये 112 करोड़ रुपए को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। वाणिज्यिक बैंकों ने कृषि प्रयोजनों के लिये लगभग 7 करोड़ रुपया अलग रखने का निर्णय किया है। इसके अतिरिक्त वाणिज्यिक बैंक किसानों को ऋण भी दे रहे हैं। बहुत से सदस्यों ने यह शिकायत की है कि सिंचाई के क्षेत्र में इतनी संतोषजनक प्रगति नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिये थी।

गाँव में बिजली का प्रबन्ध करने के लिये भी वाणिज्यिक बैंकों ने धनराशि देने की व्यवस्था की है।

जब कि देश में रिकार्ड उत्पादन होता है तो मूल्यों का प्रश्न भी स्वभावत: उठता है। हमें इस बात की ओर ध्यान देना है कि मूल्यों को एक निश्चित स्तर से नीचे नहीं गिरने देना चाहिये। यद्यपि विभिन्न वस्तुओं के दाम गिर रहे हैं तथापि हमारा यही प्रयास है कि

कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के मूल्य गिरने न पायें। खाद्यान्नोंके वसूली के मूल्य बहुत लाभदायक स्तर पर निश्चित किए गए हैं। इस बात की ओर ध्यान दिया जा रहा है कि अनाज के दाम अनाज की वसूली के दाम से भी कम न हो जायें।

यह प्रश्न भी उठाया गया है कि अनाज का रिकार्ड उत्पादन होने के बावजूद भी क्षेत्रीय प्रतिबन्ध क्यों लगाये जाते हैं ? क्षेत्रीय प्रतिबन्ध या विभिन्न प्रकार के नियंत्रण और विनियमन विशेष प्रयोजनों के कारण लगाये गए हैं और जब यह महसूस किया जायेगा कि इन प्रयोजनों से कोई लाभ नहीं हो रहा है तो इन नियंत्रणों और विनियमनों को हटाने में किसी प्रकार की हिचक नहीं होगी। इस सम्बन्ध में मैंने कार्यवाही की है। क्षेत्रीय प्रतिबन्धों को पूरी तौर पर हटाने पर जब ही विचार किया जायेगा जब कि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में स्टाक जमा हो जायेगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाद्यान्नों के ले जाने में किसी सीमा तक छूट दे दी गई है।

भारतीय खाद्य निगम, जिसकी हाल ही में स्थापना की गई थी, को खाद्यान्नों की वसूली का कार्य सौंपा गया है। भारतीय खाद्य निगम अच्छा काम कर रहा है। इस समय देश में 20 लाख टन की वसूली की जाती है, जो काफी संतोषजनक है।

कुछ राज्यों की यह प्रवृत्ति है कि वे अपने राज्य से बाहर भेजे जाने वाले अनाज का अधिक मूल्य लेते हैं और अपने राज्य के उपभोक्ताओं को वही अनाज कम कीमत पर देते हैं।

श्री विश्वनाथन (वंडीवास) : चीनी नीति के सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

श्री जगजीवन राम : वाद-विवाद में यह विषय नहीं उठाया गया है। बजट चर्चा में इस पर विचार किया जा सकता है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi South): Why do you not supply rice to Kerala, where people are crying for it ?

श्री जगजीवन राम : जहाँ तक केरल को चावल की सप्लाई का सम्बन्ध है, मुझे यह कहना है। कि विषम परिस्थिति के कारण, गत वर्ष केरल को हम 75,000 टन चावल प्रति मास नहीं दे पाये थे। इस वर्ष भी हम उतना चावल केरल को न दे पायेंगे। इस वर्ष हम केरल को जितना अधिक हो सकेगा चावल देंगे। उसकी मात्रा 40,000 टन से कम नहीं होगी। वैसे सप्लाई की मात्रा आन्तरिक और बाह्य संसाधनों से प्राप्त चावल पर आधारित होगी। जहाँ तक राज-सहायता का सम्बन्ध है, मोटे चावल पर राज सहायता का दिया जाना बन्द किया जा चुका है। इस प्रकार चावल की सप्लाई के मामले में केरल के साथ भेदभाव का कोई प्रश्न नहीं है। मैं सदस्यों को आश्वासन देता हूँ कि इस वर्ष अनाज की कमी नहीं रहेगी। चावल की कुछ कमी हो सकती है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री मंगल थमाडोम (मवेलिक्कारा) : मैं सभा का ध्यान देश में चारों ओर व्याप्त अशान्ति

और अराजकता की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। इससे जनसाधारण में असंतोष फैला हुआ है। आज सामान्य व्यक्ति का जीवन और सम्पत्ति सुरक्षित नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में नए वर्ष की पूर्व संध्या को जो गुंडापन हुआ, उससे तो यह अनुमान लगता है कि हमारे गृह-मंत्री अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभों पाये हैं और उन्हें अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिये, श्री लालबहादुर शास्त्री ने ऐसी परिस्थिति में ऐसा ही किया था।

बम्बई में शिव सेना के रूप में एक नया दल जोर पकड़ता जा रहा है। आसाम में लचित सेना तथा देश के अन्य भागों में ऐसे ही अन्य संगठन बनते जा रहे हैं। ये संगठन समाज में घृणा और विघटनकारी प्रवृत्तियाँ फैला रहे हैं। ये संगठन समाज-विरोधी आन्दोलनों का सूत्रपात कर रहे हैं, मिजो हिल तथा नागालैण्ड में गड़बड़ अभी तक चल रही है। देश में शान्ति स्थापित करने में सरकार पूर्णतः असफल रही है।

केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ सदा अनाज के अभाव की स्थिति बनी रहती है। इसका कारण यह है कि वहाँ औद्योगिक फसलें अधिक पैदा की जाती हैं जिनसे केन्द्रीय सरकार को पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इसलिये केरल यदि केन्द्र से अनाज मांगता है और केन्द्र उसे अनाज देता है तो केन्द्र उसपर कोई अनुकम्पा नहीं करता है बल्कि यह तो केरल राज्य का हक है। यदि केरल को आवश्यकतानुसार अनाज न दिया गया तो उसका परिणाम बुरा होगा। राष्ट्रपति ने यह आशा प्रकट की है कि इस वर्ष फसल बहुत अधिक अच्छी होगी। यह बात तो ठीक है कि अनाज अधिक पैदा होगा। परन्तु उसके समुचित वितरण की कौन व्यवस्था करेगा। सरकार की अयोग्यता और अक्षमता के कारण व्यापारी लोग जमाखोरी, मुनाफाखोरी तथा सट्टेबाजी आदि असामाजिक कृत्य करते हैं, जिनसे अनाज का वितरण ठीक से नहीं हो पाता है। केरल के लोग अनाज के लिये चिल्लाते रहते हैं किन्तु केन्द्रीय सरकार उस पर ध्यान नहीं देती। केरल के प्रति अपने इस सौतेले व्यवहार को समाप्त करना चाहिये।

कुछ राज्यों की औद्योगिकीकरण की दृष्टि से उपेक्षा की जा रही है। औद्योगिकीकरण से राज्य को लाभ होता है और उसमें रोजगार के अवसर अधिक उपलब्ध होते हैं। केरल की भी औद्योगिक विकास की दृष्टि से उपेक्षा की जा रही है। केरल में शिक्षित लोगों की प्रतिशतता सर्वाधिक है बकि वहाँ सबसे अधिक शिक्षित लोग बेरोजगार हैं। अतः केरल में उद्योगों का विकास तेजी ही से किया जाना चाहिये जिससे वहाँ बेकारी की समस्या हल हो जाये।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बहुत अधिक ऊँचे हैं। सरकार इस प्रकार के कार्य करती है जिससे पूंजीपतियों चोरबाजारी करने वालों को सहायता मिलती है। चीनी पर से नियन्त्रण हटा कर सरकार ने क्या जनसाधारण को कोई लाभ पहुँचाया? पहले चीनी का भाव 1·80 रुपए था जो अब बढ़कर 4·50 रुपए हो गया है।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में केरल-मैसूर सीमा-विवाद का भी जिक्र किया है। यदि सरकार वास्तव में सीमा-विवाद को सुलझाना चाहती है तो उसे केरल के उत्तरी और दक्षिणी दोनों सीमाओं पर विचार करना चाहिये। राज्यों के पुनर्गठन के समय केरल का कन्याकुमारी

का जिला मद्रास को दे दिया गया तथा नीलगिरी जिले में गुड़ालूर तालुक के क्षेत्र को केरल से छीन लिया गया। ये क्षेत्र ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से केरल के हैं। यदि ये उपजाऊ क्षेत्र केरल में मिला दिए जायें तो केरल की खाद्य समस्या स्वयं ही हल हो जायेगी।

श्री बेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : असाम में हुए दंगों से तथा अन्य स्थानों पर जो उपद्रव हुए, उनसे मुझे दुख हुआ हैं। भौगोलिक दृष्टि से आसाम की स्थिति कुछ अलगाव की स्थिति है। वह भारत की मुख्य भूमि से कुछ दूरी पर है, इसलिये उस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। आसाम की समस्याओं का समाधान आसामियों की सद्भावना तथा सहयोग पर आधारित होने चाहिये। केवल आसाम सरकार को दोषी ठहराने से काम न चलेगा, बल्कि यह देखना होगा कि वहाँ व्याप्त असंतोष तथा अशान्ति को मूल कारण क्या है। आसाम, भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से एक एकक है। यह कहना गलत है कि आसाम सरकार ने पहाड़ी लोगों की उपेक्षा की है। पाटस्कर आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार तो पहाड़ी लोगों पर मैदानी लोगों की अपेक्षा अधिक खर्च किया गया है तथा वहाँ से राज्य सरकार को आय कम हुई है। फिर पहाड़ी लोगों को आसाम से अलग करने का क्या औचित्य है? यदि सरकार उन लोगों को कोई विशेष सुविधा देना चाहती है तो वह केवल आसाम के पहाड़ी लोगों को ही क्यों दी जाये बल्कि भारत में सब पहाड़ी लोगों को वे सुविधायें उपलब्ध होनी चाहियें। आसाम से नेफा के क्षेत्र को अलग किया हुआ है। नागालैण्ड को तीव्र विरोध के बावजूद एक पृथक राज्य बनाया गया। इस प्रकार आसाम की भौगोलिक एकता को खंडित किया जा रहा है। यदि आसाम में पहाड़ी क्षेत्र का एक और पृथक राज्य बना दिया गया तो आसाम के लोगों में अलगाव की प्रवृत्ति बढ़ती जायेगी और इसके भविष्य में भयंकर परिणाम निकलेंगे।

आसाम औद्योगिक विकास की दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ राज्य है यद्यपि केन्द्रीय सरकार को वहाँ के तेल और चाय से अत्यधिक आय होती है। आसाम में तेल अधिक निकलता है परन्तु आसाम में तेल जनता को अधिक ऊँचे भाव पर खरीदना पड़ता है। आसाम को तेल पर मिलने वाली रायल्टी का प्रश्न अभी बीच में लटका हुआ है। आसाम में पैदा होने वाली वस्तुओं को कम कीमत पर खरीदा जाता है जबकि आसाम में अन्य सब वस्तुएं मंहगी मिलती हैं। आसाम का पटसन 28 रुपए के भाव पर खरीदा जाता है जब कि कलकत्ते में उसका भाव 40 रुपए है। आसाम में एक पटसन का मिल लगाने की बात एक लम्बे समय से चल रही है। परन्तु अधिकारीगण इस बात से विश्वस्त नहीं होते कि आसाम में एक पटसन की मिल लगना चाहिये। आसाम में अनन्नास 20 रुपए में 100 मिलते हैं चूंकि वहाँ इसका कोई उद्योग नहीं है। आसाम की इससे भी बड़ी समस्या यह है कि वहाँ यातायात के साधनों का अभाव है। वहाँ केवल एक मीटर गेज रेलवे लाइन है। अधिक मंहगाई का यह भी एक कारण है। आसाम में कच्चे माल को छोड़ कर शेष सब वस्तुएं मंहगी हैं। आसाम की इन सब समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये।

आसाम अब नहीं चाहता कि उसके और अधिक टुकड़े किए जायें। अब उसका विभाजन बन्द कर दिया जाना चाहिये। पहाड़ी क्षेत्र का एक पृथक राज्य या एकक बनाने से आसाम की

एकता भंग होगी। आसाम का इतिहास तो यही बताता है कि पूरा आसाम एक था। मेरे विचार से आसाम सम्बन्धी नीति में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अन्यथा आसाम के लोगों में और अधिक निराशा की भावना आयेगी।

श्री प० गोपालन (तेल्लिचेरी) : राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि केन्द्रीय सरकार प्रत्येक राज्य सरकार के साथ, चाहे वह किसी भी राजनैतिक दल से सम्बद्ध क्यों न हो, अच्छे सम्बन्ध बनाये रखना चाहती है। मुझे इस अभिव्यक्ति की सत्यता पर संदेह है। मैं ऐसे कई उदाहरण दूंगा जहाँ केन्द्रीय काँग्रेसी सरकार ने गैर-काँग्रेसी सरकारों को उलटने का प्रयास किया और सफल हुई। पश्चिमी बंगाल, बिहार, हरियाणा और पंजाब की सरकारों को उखाड़ने में केन्द्रीय सरकार सफल हो चुकी है। उसके बाद केरल सरकार को अपना लक्ष्य बनाया है। केरल सरकार को पलटने का काम केन्द्रीय विधि मंत्री को सौंपा, जो केरल में, गए और वहाँ जाकर लोगों को भड़काया कि वे राज्य सरकार को उलट दें। विधि मंत्री जी ने यह कहा कि चावल की सप्लाई के बारे में राज्य सरकार ने केन्द्र से कोई समझौता नहीं किया। यदि राज्य सरकार लोगों को आवश्यकतानुसर चावल देने समर्थ है तो वे उसे उखाड़ फेंके।

काँग्रेस के लोग भी केरल में मुक्ति आन्दोलन आरम्भ करने पर विचार कर रहे हैं। दुर्भाग्य से 1959 में केरल में मैंने ही मुक्ति आन्दोलन आरम्भ किया। अब काँग्रेस के लोग ही अहिंसात्मक और संविधान के सम्बन्ध कह रहे हैं। भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जब केरल गए थे तो उन्होंने श्री नम्बूदरीपाद से त्यागपत्र देने को कहा था। उन्होंने कहा था केरल सरकार को त्याग-पत्र देना चाहिये क्योंकि वहाँ बहुत अशान्ति है। श्री चव्हाण ने भी अपने भाषण में कहा था कि हम सब बातों का लोकतंत्रात्मक अधार पर विधान-सभाओं या संसद् में निर्णय करना चाहिये गलियों में नहीं।

हाल ही में श्रीमती इंदिरा गाँधी ने भी केरल का दौरा किया और जब संयुक्त मोर्चे के कुछ प्रतिनिधियों ने उनसे केरल को और अधिक चावल देने के लिये कहा तो उन्होंने प्रश्न किया कि यदि हम आपको चावल का वर्तमान कोटा भी न दें तो आप क्या करेंगे? अब काँग्रेस सरकार ने खाद्य के प्रश्न को राजनीतिक प्रश्न बना लिया है।

केन्द्रीय सरकार उनसे कहती है कि यदि आप चावल चाहते हैं तो आप वर्तमान सरकार को गिरा दें। केन्द्रीय सरकार ने केरल के लोगों को यह संदेश दिया है। मुझे विश्वास है कि केरल के लोग एकमत हो कर यह कहेंगे कि हम अपनी राजनीतिक अन्तरआत्मा को समाप्त नहीं करना चाहते। यह स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार से अच्छे सम्बन्ध स्थापित करना नहीं चाहती।

———

लक्खीसराय रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्घटना के बारे में चर्चा

DISCUSSION ON ACCIDENT AT LUCKEESERAI RAILWAY STATION

Shri Madhu Limaye : (Monghyr) : The accident of Delhi-Horwah Express train occurred at the Luckeeserai Station on 14th February, 1968 was similar to that of 1966. There is a sharp curve at the station and the passenger cannot see in incoming trains. Last time when a similar accident occurred we demanded reconstruction of the Station properly and to make a railway tract straight. But nothing has been done so far in this regard. The Commissionr of Railway Safety conducted the inquiry in this matter. The Hon. Minister has not placed the report of the inquiry on the Table of the House,. We are not aware of the recommendations given by this Commission for preventing such accidents in future. I want that an independent Judicial inquiry Committee should be held into the accicent. I also what to know the action taken by the Government to prevent accidents in future according to the recommedations of the Commission. We find that there has been no change in the situation as compared to that of 13th February. I suggest that till the recommedations of the Judicial inquiry are received we should make such arrangements that all Express and Mail trains should halt at that station.

Sign boards should be displayed at the station indicating the goods train to slow down their speed at the station.

A barrier or a fence should be erected between two tracks. .

Luckeeserai station is a very busy Station. Thousands of pilgrims come and pass through it every day. The station should be made more spacious and a bridge should also be constructed towards Delhi side. Adequate light arrangements should be made at the cabin and at the platform. The platforms and the railway tracks should be reconstructed.

A sum of Rs.10,000 should be paid to each victm or family involved in both these accidents, so that you learn a lesson by paying such a huge compensation.Till March, 1967 Dr. Ram Subhag Singh was in the Railway Ministry. To that extent he is responsible for not taking any action to avoid accidents. Therefore, he should also resign along with the present Railway Minister.

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur) : I agree that such accidents should be stopped in future. The number of railway accidents in our country is much less as compared to railway accidents in foreign countries. It is not correct to say that the recommedations of the Committee have not been accepted. Out of the total recommendations, 353 have been accepted and out of them 298 recommendations have been implemented. The remaining 55 recommendations will also be implemented slowly.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : As a result of frequency of accident people have naturally lost their faith in the safety of railway travel. Railway Board has no responsibility. Besides the Railway Minister, the Chairman of the Railway Board, its members and engineers should also resign in case of an accident.

The Railway Board should be reorganised. Judicial inquiry should be done into the cause of the accident.

Shri Sitaram Kesri (Kathihar) Political parties are not free from responsibility for railway accidents. They incite students. The students in incitement cross the railway tracks, and it thereby results in accident. We have full sympathy for the deceased. A Judicial inquiry should be conducted with regard to this accident.

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : हमें इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकना है। इस सम्बन्ध में तीन बातें ध्यान देने योग्य हैं। दुर्घटना स्थल पर ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि भविष्य में दुर्घटनाओं को रोका जा सके। श्री मधु लिमये ने सिगनल तथा पुल बनाने का सुझाव दिया है। आप इस स्टेशन को पुल से थोड़ी दूरी पर ले जाकर बनायें ताकि सामने से आने वाली गाड़ियाँ स्पष्ट दिख ई दे सकें। दूसरी बात यह है कि मंत्रियों के अतिरिक्त रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को भी जिन्होंने रिपोर्ट की जाँच की थी को दोषी ठहराता हूँ। यदि उन्होंने अपनी जिमेदारी को उचित तौर पर नहीं निभाया तो वे भी इन लोगों की मृत्यु के लिये जिम्मेदार हैं। उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चहिये जिन्होंने 1966 की दुर्घटना के सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं की। हमें इस बात पर भी विचार करना होगा कि ऐसी दुर्घटनाओं के रोकने के लिये क्या कार्यवाही करनी है? पिछले एक वर्ष में 5,500 दुर्घटनायें हुई जिनमें 120 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, 538 व्यक्ति घायल हुए तथा 8 लाख रुपए की हानि हुई। इन परिस्थितियों में आवश्यक है कि रेलवे को दुर्घटनाओं के प्रति सावधान रहना चाहिये और प्रत्येक दुर्घटना की जाँच की जानी चाहिये। हमें ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनायें फिर न हों।

Shri N. T. Das (Jamuni) : These accidents could have been averted if the Railway employees had not become slaves of rules and regulations. Responsibility could only be fixed in case a Judicial inquiry is conducted. This accident could have been averted. Before constructing the barrier it should be seen that there should be sufficient space between the two lines. If you want to avoid the accident permanently then abolish Luckeeserai station or connect it with Kiul station and an overbridge should be constructed towards Delhi side. If the expenditure in constructing the bridge comes to be on the high side then the luckeesarai Station should be shifted towards Delhi side. It should be a full-fledged station like Kiul. It is a very small station and is controlled by junior Station Master.

[**श्री गु० सिं० पीठासीन हुए**
Shri Dhillon in the Chair]

श्री कन्डप्पन : (मैसूर) : यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी दुर्घटना घटी जिसमें बहुत से यात्री मारे गए। इसकी जिम्मेदारी श्री पुनाचा पर ही है क्योंकि वे ही इस विभाग के अधिकारी हैं।

अरियालपुर दुर्घटना के समय श्री लाल बहादुर शास्त्री, जो उस समय रेलवे मंत्री थे, ने त्याग-पत्र दिया था। यद्यपि वह इस दुर्घटना से बिल्कुल सम्बन्धित नहीं थे फिर भी उन्होंने इस दुर्घटना के कारण त्यागपत्र दिया। यह परम्परा एक स्वस्थ परम्परा है। इसी कारण वर्तमान रेलवे मंत्री और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से त्यागपत्र दिए जाने की माँग की जा रही है।

इस सम्बन्ध में विचार करने योग्य एक बात और है और वह यह कि यह दुर्घटना अक्टूबर 1966 में इसी स्टेशन पर घटी दुर्घटना के समान है। इसलिये यह कहना उचित नहीं

कि यह दुर्घटना रेलवे प्रशासन की असावधानी के कारण नहीं हुई। जैसा कि सदस्यों ने कहा और मंत्री महोदय ने भी स्वीकार किया कि यह दुर्घटना स्टेशन की स्थिति के कारण हुई। यदि ऐसा है तो वह 1966 से अब तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। उस स्टेशन को कुछ समय के लिये बन्द किया जा सकता था। वस्तुतः यदि स्टेशन को उपयुक्त स्थान पर बनाया गया होता तो दुर्घटना नहीं होती। इस दुर्घटना के सम्बन्ध में उचित सावधानी नहीं की गई। यह ठीक है कि आने वाली गाड़ी से लोगों को नहीं देखा जा सकता था परन्तु स्टेशन मास्टर, कुली तथा अन्य रेलवे कर्मचारी उस गाड़ी को देख सकते थे और वे लोगों को वहाँ से हट जाने को कह सकते थे।

हमारे राज्य के एक मंत्री श्री करुणनिधि ने एक बार अपनी जान जोखिम में डाल कर लोगों को गाड़ी के नीचे आने से बचाया था? रेलवे स्टेशन इतनी अधिक संख्या में रेलवे कर्मचारी होते हैं। क्या उन्होंने कुछ नहीं किया था? इसलिये इस दुर्घटना की अदालती जाँच होनी चाहिये। ऐसी जाँच से ऐसी कई बातों का पता चलेगा कि जिसकी सहायता से हम भविष्य में दुर्घटनाओं से बच सकेंगे और रेलवे प्रशासन भी उससे लाभ उठा सकता है। मेरा माननीय रेलवे मंत्री से अनुरोध है कि कल्लाकुडी घटना पर ध्यान दें और स्टेशन का नाम परिवर्तन करने सम्बन्धी हमारी माँग स्वीकार करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड-हार्बर): यह एक बहुत दुखद दुर्घटना है। हम मरने वालों की आत्मा के लिये सदगति की प्रार्थना करते हैं। रेलवे मंत्री को चाहिये कि गैर-कांग्रेसी सरकारों वाले राज्यों के मंत्रिमण्डलों के प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिये। इस सम्बन्ध में केरल और मद्रास राज्यों के बारे में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो ठीक नहीं है।

इसी स्थान पर 1966 में भी एक दुर्घटना हुई थी परन्तु सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की है। क्या यह इसलिये किया गया कि यह छोटा सा स्टेशन है? और वहाँ कोई बड़ा आदमी नहीं जाता। वहाँ पर निर्धन यात्री गाड़ी पकड़ते हैं। रेलवे प्रशासन अपने छोटे कर्मचारियों के कल्याण की ओर भी ध्यान नहीं देता। पिछले दिसम्बर में दक्षिण-पूर्वी रेलवे के छवें गैंगमेन मृत्यु का शिकार हो गए थे। उनके आश्रितों को कोई सहायता नहीं दी गई थी। इस बारे में मैंने प्रधान मंत्री को भी लिखा है। अब लक्खीसराय मरने वालों को वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये।

हमारे देश में असंख्य ऐसे रेलवे फाटक हैं जहाँ कि कर्मचारी की ड्यूटी नहीं होती और वहाँ सैकड़ों जानें जाती हैं। इस बारे में हम प्रायः समाचार-पत्रों में पढ़ते हैं। सरकार को इन छोटे कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी चाहिये।

मेरे क्षेत्र में गाड़ियों में बहुत भीड़ होती है। रेलवे मंत्री को वहाँ बिना पूर्व सूचना के जाकर स्वयं देखना चाहिये। सरकार को वहाँ के लोगों की मुश्किलों को दूर करना चाहिये।

इस प्रकार की दुर्घटनाओं की जाँच रेलवे सुरक्षा अधिकारी से न कराकर एक संसदीय समिति

से करायी जानी चाहिये अथवा आप एक न्यायाधीश द्वारा जांच करा सकते हैं। रेलवे के बड़े-बड़े अधिकारी अपने कर्तव्य की ओर ध्यान नहीं देते। सरकार को रेलवे दुर्घटनाओं की जाँच के लिये स्थायी व्यवस्था करनी चाहिये ।

Shri Sheo Narain (Basti): It is a very serious matter that Railway accidents are taking place so frequently. Precious human lives are lost in this. Monetary compensation is no compensation for that. A fair was taking place there and large number of pilgrims were there. The railway staff should have been a little considerate and vigilant. The incoming train should have been stopped.

Railway journey is not safe the se days. The passengers are treated in a very shabby manner. The authorities should have taken measures in advance. They should be careful in future.

I want to request the hon. members of the opposition parties that they should not bring politics in such matters. We should have an objective outlook. We are elected to serve the electroate. I know that Goverment machinery is efficient. I would like that Government should hand over the work to private sector if it cannot be carried on efficiently in public sector.

Goverment should pay compensation to the dependents of those who have been killed. The station should be developed and maintained.

Shri Lakhan Lal Kapoor (Kishangaj) : A very serious accident has taken place. I support the demand made by Shri Madhu Limaye. This accident has taken place where an accident occurred about two years back. At that time about 40 persons had died and dozens were injured. Another accident should occur there is all the more serious.

The location of this station is such that you have only one or two minutes to clear the place on seeing an incoming train. There is a curve in line at short distatnce from the Railway station. I belong to that place. This place has assumed great importance. It is a big business centre. I am sorry to say that Government did not take adequate remedial measures after the previous accident. They did not take any action on the report of previous enquiry report. I hold this Government ressponsible for this murder of passengers.

They should be prosecuted for this negligence. The General Manager of Eastern Railway should be punished for this. The Chairman of Railway Board should also be punished. Not only Shri Poonacha but the entire Cabinet should resign. The families of those killed should be adquately compensated. I support the demands put forward by Shri Madhu Limaye here.

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): मुझे इन दुर्घटनाओं पर बहुत दुख है। यह दुर्घटना पहली दुर्घटना के 18 महीने बाद हुई है । इस पर हमें गम्भीरता से विचार करना है। लखीसराय एक छोटा स्टेशन है। वहां पर लगभग 10 गाड़ियाँ रुकती हैं। कुछ मेल गाड़ियां हैं। वे वहाँ नहीं रुकती हैं।

यह कहा गया है कि वहाँ स्टेशन के समीप ही लाइन का एक मोड़ है और यात्रियों को गाड़ी बिल्कुल निकट आने पर दिखायी देती है। इस बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि जब एक स्टेशन बनाया जाता है तो रेलवे सुरक्षा संगठन सभी बातकी ओर ध्यान देता है। उसके द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद ही स्टेशन बनाया जाताहै। इस स्टेशन पर लाइन का मोड़ बहुत मामूली मोड़ है । वह केवल एक डिग्री का है । पटना की ओर आती हुई गाड़ी 500 फ़ुट से दिखाई देती है। मेरे सहयोगी वहाँ गए हैं ।

रेलवे की दुर्घटनाओं की जाँच के लिये एक अलग विभाग है। यह रेलवे सुरक्षा आयुक्त के अधीन है। उसके सभी अधिकारी बहुत अनुभवी व्यक्ति और इंजीनियर हैं। वे सभी दुर्घटनाओं की जाँच करते हैं। पिछली बार की दुर्घटना के बारे में उनकी रिपोर्ट हमारे समक्ष है। उसमें लिखा है कि यदि यात्री ऊपर के पुल का प्रयोग करते तो दुर्घटना नहीं होती।

रेलवे प्रशासन सुरक्षा के पहलू को बहुत महत्व देता है। इसमें यात्रियों को भी सहयोग देना चाहिये। अन्यथा दुर्घटनाओं का भय बना रहेगा। जब गाड़ी चल रही है और उस समय कोई व्यक्ति गाड़ी के आगे आ जाता है तो ऐसी स्थिति में दुर्घटना हो सकती है। यात्रियों को ऊपर के पुल का लाभ उठाना चाहिये। हमें नियमों का पालन करना चाहिये। यह हमारे हित में है। यह कहा गया है कि बीच में जंगला क्यों नहीं लगाया गया था। इस पर विचार किया गया था और इसे वहाँ पर वाँछनीय नहीं समझा गया क्योंकि लोग उसके ऊपर से चढ़ कर चले जाते हैं। वहाँ पर सुरक्षा के लिये और जो कुछ उपाय हो सकते हैं, वे किए जायेंगे

वहाँ पर एक उच्चाधिकारी जाँच कर रहा है उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद यदि यह देखा गया कि किसी के विरुद्ध कार्यवाही करना आवश्यक है तो वह की जायेगी। साथ-साथ जनता को भी ध्यान रखना चाहिये।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 23 फरवरी, 1968/ 4 फाल्गुन, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday the 23rd February, 1968/ Phalguna 4, 1889 (Saka).

Printed by Job Printers, 119 Swami Vivekanand Marg, Allahabad.